लोक-सभा

वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ४७, १९६०/१८८२ (शक)

[१४ से २५ नवम्बर, १९६०/२३ कार्तिक से ४ अग्रहायण, १८८२ (शक)]

Chamber Fumigated 18/X/73

2nd Lok Sabha

Preservation Unit
18-5-97
Fumigated
On 29.11.83
Parliament Library

बारहवां सत्र, १९६०/१८८२ (शक)

(खण्ड ४७ में अंक १ से १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय सूची

[...ीय माला, खण्ड ४७—अंक १ से १०—१४ से २५ नवम्बर, १९६०/२३ कार्तिक से ४ अग्रहायण १८८२ (शक)]

...क १ सोमवार, १४ नवम्बर, १९६० पृष्ठ

२३ कार्तिक, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १ से ९	१—२३
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १० से ४२ .	२३—२९
अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ५३	४०—६३
निधन सम्बन्धी उल्लेख	६२
स्थगन प्रस्तावों के बारे में	६२—६३
विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में . . .	६३—६५
सभा पटल पर रखे गये पत्र	६५—६८
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	६८—६९
सिन्धु पानी सन्धि के बारे में वक्तव्य	६९—७१
विशेषाधिकार समिति—	
प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय का बढ़ाया जाना .	७२
मोटरगाड़ी कर्मचारी विधेयक—	
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय का बढ़ाया जाना	७२
मेहेन्द्र प्रताप सिंह जायदाद (निरसन) विधेयक—पुरस्थापित . .	७२
मोटर गाड़ी (द्वितीय संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव . .	७३—७५
खण्ड २ से १० तथा १ पारित करने का प्रस्ताव	७५
कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक	७५—९५
विचार करने का प्रस्ताव	७५—९२
खण्ड २ से ६ तथा १ पारित करने का प्रस्ताव .	९३—९५

पृष्ठ

बिलासपुर वाणिज्यिक निगम (निरसन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव . . . . ९६—९७
खण्ड १ से ४—पारित करने का प्रस्ताव . ९७
भारतीय विमान (संशोधन) विधेयक—
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ९७—१०२
खंड २ से ६ तथा १ पारित करने का प्रस्ताव १०२
पूर्वाधिकार अंश (लाभांश का विनियमन) विधेयक—
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . १०२—१०४
सभा का कार्य १०४—०५
दैनिक संक्षेपिका १०६—११४

अंक २—मंगलवार, १५ नवम्बर, १९६०/२४ कार्तिक, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या ४३ से ५२ ११५—३९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या ५३ से ९४ १३९—५९
अतारांकित प्रश्न संख्या ५४ से २३९ . १६०—२०३
सभा पटल पर रखे गये पत्र
कार्य मंत्रणा सलिति . २०३—२०४
छप्पनवां प्रतिवेदन २०४
पूर्वाधिकार अंश (लाभांश का विनियमन) विधेयक—
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव . २०५—२१०
भारतीय संग्रहालय (संशोधन) विधेयक—
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार करने का प्रस्ताव . २१०—३२
खण्ड २ से १३ तथा १—पारित करने का प्रस्ताव . . २३२—३३
समवाय (संशोधन) विधेयक—
संयुक्त समिति द्वारा भेजे गये रूप में, विचार करने का प्रस्ताव २३३
दैनिक संक्षेपिका २३४—४०

पृष्ठ

अंक ३—बुधवार, १६ नवम्बर, १९६०/२५ कार्तिक, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९५ से १०८	२४१—६१
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १०३ से ११४ और ११६ से १६८	२६१—९४
अतारांकित प्रश्न संख्या १३९ से १८५ और १८७ से २४४	२९४—३३९
स्थगन प्रस्ताव—	
प्रधान मंत्री का वक्तव्य—सिन्धु पानी संधि के बारे में	३४०—४१
विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में	३४१
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	३४२—४५
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
इकहत्तरवां प्रतिवेदन	३४५
समवाय संशोधन विधेयक—	
विचाराधीन प्रस्ताव, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में	३४६—८३
दैनिक संक्षेपिका	३८४—९४

अंक ४—गुरुवार, १७ नवम्बर, १९६०/२६ कार्तिक, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १६९ से १७७	३९५—४१८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १७८ से २०९ . .	४१८—३१
अतारांकित प्रश्न संख्या २४५ से ३०९, ३११ और ३१२ .	४३१—६२
सभा पटल पर रखे गये पत्र . .	४६२—६३
याचिकायें—	
(१) भारतीय पुरातत्व संस्था विधेयक और .	४६३
(२) राष्ट्रीय स्मारक आयोग विधेयक .	४६३
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में . .	४६३—६४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
गैर सरकारी उद्योग क्षेत्र द्वारा कोयले का खनन .	४६४—६६
समवाय (संशोधन) विधेयक—	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव .	४६६—९१
दैनिक संक्षेपिका	४९२—९७

1428 (Ai) LSD—8

पृष्ठ

अंक ५—शुक्रवार, १८ नवम्बर, १९६०/२७ कार्तिक, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१० से २१६, २१८ से २२१, २४१ और २४४ ४९९—५२४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१७, २२२ से २४०, २४२, २४३ और २४५ से २५९ . . . ५२५—४०

अतारांकित प्रश्न संख्या ३१३ से ४०१ ५४१—८१

सभा पटल पर रखे गये पत्र ५८१

सभा का कार्य ५८१—८२

धार्मिक न्यास विधेयक—

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित करने के लिये समय का बढ़ाया जाना . . . ५८२

विधेयक—पुरस्थापित—

(१) निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक ५८२—८४

(२) वायदे के सौदे (विनियमन) संशोधन विधेयक ५८५

समवाय (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ५८५—६०९

ग़ैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

इकहत्तरवां प्रतिवेदन . . ६०९—१०

नौवहन के लक्ष्य के बारे में संकल्प—वापस लिया गया ६१०—२५

सामान्य बीमा के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प ६२६

दैनिक संक्षेपिका . . ६२७—३३

अंक ६—सोमवार, २१ नवम्बर, १९६०/३० कार्तिक, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २६० से २६९ . ६३५—५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७० से ३१२ और ३१४ से ३२४ . ६५६—८३

अतारांकित प्रश्न संख्या ४०२ से ४९९ और ५०१ से ५०४ . ६८३—७२७

पृष्ठ

स्थगन प्रस्ताव—

(१) बम्बई में विस्फोट . ७२७–२८

(२) हुगली नदी में एक ड्रेजर का उलटना . . ७२८–२९

(३) उत्तरी सीमांत जिलों में कम्युनिस्टों द्वारा कथित प्रचार ७२९—३२

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ७३२–३३

कार्य-मंत्रणा समिति—

सत्तावनवां प्रतिवेदन . . ७३३

महेन्द्र प्रताप सिंह जायदाद (निरसन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ७३३—५०

खण्ड २, ३ तथा १—पारित करने का प्रस्ताव . . ७५०

इंडियन रिफ़ाइनरीज लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव ७५१—६३

दैनिक संक्षेपिका ७६४—७१

अंक ७—मंगलवार, २२ नवम्बर, १९६०/१ अग्रहायण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३२६ से ३३५ और ३३७ ७७३—९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३२५, ३३६ और ३३८ से ३६२ . . ७९७—८०९

अतारांकित प्रश्न संख्या ५०५ से ५४८, ५५० से ५७७ और ५७९ से ५८१ ८०९—४१

स्थगन प्रस्ताव—

(१) गश्ती गाड़ी का पटरी पर से उतर जाना . . ८४२–४३

(२) बेरूबारी के मामले में केन्द्रीय सरकार तथा पश्चिमी बंगाल सरकार के बीच कथित गंभीर मतभेद . . ८४३—४५

(३) कुछ राज्यों में सांविधानिक व्यवस्था की कथित विफलता ८४५–४६

सभा पटल पर रखे गये पत्र ८४६–४७

समितियों के लिये निर्वाचन—

(१) प्राक्कलन समिति ८४७

(२) लोक लेखा समिति . ८४७–४८

विधेयक—पुरस्थापित—

(१) रेलवे यात्री किराया (संशोधन) विधेयक . . ८४८

(२) औद्योगिक रोज़गार (स्थायी आदेश) संशोधन विधेयक ८४८

पृष्ठ

कार्य मंत्रणा समिति—
सत्तावनवां प्रतिवेदन ८४९
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव ८५०—८४
दैनिक संक्षेपिका ८८५—९०

अंक ८—बुधवार, २३ नवम्बर, १९६०/२ अग्रहायण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या ३६४, ३६६, ३६८ से ३७५ और ३७७ से ३८२ . ८९१—९१७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या ३६३, ३६५, ३६७, ३७६, ३८३ से ३८९ और ३९१ से ४०४ . . . ९१७—३०
अतारांकित प्रश्न संख्या ५८२ से ६७३ ९३०—७२
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ९७२—७५
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
बहत्तरवां प्रतिवेदन ९७५
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव ९७५—१०१७
दैनिक संक्षेपिका १०१८—२६

अंक ९—गुरुवार, २४ नवम्बर, १९६०/३ अग्रहायण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या ४०५, ४०७ से ४१४, ४१६ और ४१७ . १०२७—४८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—
अतारांकित प्रश्न संख्या ४०६, ४१५ और ४१८ से ४५२ . १०४८—६४
अतारांकित प्रश्न संख्या ६७४ से ७७८ . . १०६४—११०४

स्थगन प्रस्ताव—
(१) कांगो के सैनिकों द्वारा लियोपोल्डविल में संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से नियुक्त भारतीय अधिकारियों पर हमला . ११०४—१०
(२) तिब्बत में राकेट के अड्डे बनाना और राकेट छोड़े जाना १११०
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . १११०—१२
मध्य प्रदेश खाद्य क्षेत्र के बारे में वक्तव्य . . १११२—१४

	पृष्ठ
समवाय (संशोधन) विधेयक—	
खण्ड २ से ८, १०, १२, १५, १६, ६, ११, १३, १४, १७ से २३, २६ से ४१, ४३, ४६ से ५४, २४, २५, नया खण्ड ४०-क, ४२, ४४, ४५, ५५, ५६, ५८, ६० से ६४, ६७ से ६६, ७१, ७३, ७६, ७८, ५७, ५६, ६५, ६६ और ७०	११११—४०, ११४०—४४
सभा का कार्य	११४०
दैनिक संक्षेपिका	११४५—५२

अंक १०—शुक्रवार, २५ नवम्बर, १६६०/४ अग्रहायण, १८८२ (शक)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	११५३
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ४५३, ४५५, ४५६, ४५८ से ४६५, ४८२, ४६१ और ४६६	११५३—७५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ४५४, ४५७, ४६७ से ४८१, ४८३ से ४६० और ४६२	११७६—८८
अतारांकित प्रश्न संख्या ७७६ से ८४३	११८८—१२१८
स्थगन प्रस्ताव—	
आसनसोल के निकट कोयला खान में कथित उपद्रव	१२१६–२०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१२२०–२१
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
नारियल के तेल और गोले का आयात	१२२१–२२
सभा का कार्य	१२२२–२३
त्रिपुरा उत्पादन शुल्क विधि (निरसन) विधेयक—पुरस्थापित	१२२३
समवाय (संशोधन) विधेयक—	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में खण्ड ७०, ७२, ७४, ७५, ७७ और ७६	१२२४—३५
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
बहत्तरवां प्रतिवेदन	१२३५
विधेयक—पुरस्थापित—	
(१) औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक (नये अध्याय ५ कक का रखा जाना) (श्री त० ब० विट्ठल राव का)	१२३५–३६
(२) कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक (धारा ६ के स्थान पर नई धारा का रखा जाना) (श्री त० ब० विट्ठल राव का)	१२३६
(३) धर्मार्थ न्यास विधेयक (श्री रामकृष्ण गुप्त का)	१२३६

पृष्ठ

पशु खाद्य के निर्यात पर प्रतिबन्ध विधेयक (श्री झूलन सिंह का)—वापस लिया गया—

विचार करने का प्रस्ताव . . १२३६—४८

नैमित्तिक श्रमिकों की नियुक्ति का अन्त विधेयक (श्री अरविन्द घोषाल का)—

विचार करने का प्रस्ताव १२४९—५४

दैनिक संक्षेपिका . . १२५५—६०

नोट :—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

GMGIPND—LS III—1428 (Ai LSD)—20-12-60—115.

लोक-सभा

सदस्यों की वर्णानुक्रम-सूची

अ

अंजनप्पा, श्री ब० (नेल्लोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अगाड़ी, श्री स० अ० (कोप्पल)

अग्रवाल, श्री मानकभाई (मन्दसौर)

अचमम्बा, डा० को० (विजयवाड़ा)

अचल सिंह, सेठ (आगरा)

अचिंत राम, लाला (पटियाला)

अजित सिंह, श्री (भटिण्डा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अणे, डा० माधव श्री हरि (नागपुर)

अनिरुद्ध सिंह, श्री (मधुबनी)

अब्दुर्रहमान, मौलवी (जम्मू तथा काश्मीर)

अब्दुल रशीद, बख्शी (जम्मू तथा काश्मीर)

अब्दुल लतीफ,, श्री (बिजनौर)

अब्दुल सलाम, श्री (त्रिरुचिरापल्ली)

अमजद अली, श्री (धुबरी)

अम्बलम्, श्री सुब्बया (रामनाथपुरम)

अय्यंगार, श्री म० अनन्तशयनम् (चित्तूर)

अय्यर, श्री ईश्वर (त्रिवेन्द्रम)

अय्याकण्णु, श्री (नागपट्टिनम्—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अरुमुगम, श्री रा० सी० (श्री विल्लीपुतुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अरूमुगम, श्री स० र० (नामक्कल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अवस्थी, श्री जगदीश (बिल्हौर)

अशण्णा, श्री (आदिलाबाद)

अष्ठाना, श्री लीलाधर (उन्नाव)

आ

आचार, श्री क० र० (मंगलौर)

आल्वा, श्री जोकीम (कनारा)

आसर, श्री प्रेमजी र० (रत्नागिरी)

1287(Ai) LSD—1.

इ

इकबाल सिंह, सरदार (फीरोजपुर)

इलयापेरुमाल, श्री ल० (चिदाम्बरम्--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

इलियास, श्री मुहम्मद (हावड़ा)

ई

ईयाचरण, श्री व० (पालघाट)

उ

उइके, श्री मं० गा० (मंडला--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

उपाध्याय, पंडित मुनिश्वर दत्त (प्रतापगढ़)

उपाध्याय, श्री शिव दत्त (रीवा)

उमराव सिंह, श्री (घोसी)

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नामनिर्देशित--आंग्ल भारतीय)

ओ

ओंकार लाल, श्री (कोटा--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

ओझा, श्री घनश्याम लाल (झालावाड़)

क

कटकी, श्री लीलाधर (नौगांव)

कट्टी, श्री द० अ० (चिकोड़ी)

कनकसबै, श्री (चिदाम्बरम्)

कमल सिंह, श्री (बक्सर)

कयाल, श्री परेश नाथ (बसिरहाट--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

करमरकर, श्री द० प० (धारवाड़--उत्तर)

कर्णी सिंह जी, श्री (बीकानेर)

कानूनगो, श्री नित्यानन्द (कटक)

कामले, डा० देवराज नामदेवराव (नांदेड़--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

कामले, श्री बा० चं० (कोपरगांव)

कार, श्री प्रभात (हुगली)

कालिका सिंह, श्री (आजमगढ़)

कासलीवाल, श्री नेमीचन्द्र (कोटा)

क--(क्रमशः)

किलेदार, श्री रघुनाथ सिंह (होशंगाबाद)
किस्तैया, श्री सुरती (बस्तर--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
कुन्हन, श्री (पालघाट--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
कुमारन, श्री मेलकुलन्जरा कन्नन (चिरयिन्कील)
कुम्भार, श्री बनमाली (सम्बलपुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
कुरील, श्री बैजनाथ (रायबरेली--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
कृपालानी, आचार्य (सीतामढ़ी)
कृपालानी, श्रीमती सुचेता (नई दिल्ली)
कृष्ण, श्री मं० रं० (करीमनगर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
कृष्ण चन्द्र, श्री (जलेसर)
कृष्णप्पा, श्री मो० वें० (तमकुर)
कृष्णमाचारी, श्री ति० त० (मद्रास दक्षिण)
कृष्णराव, श्री मं० वें० (मसुलीपट्टनम्)
कृष्णस्वामी, डा० (चिंगलपट)
कृष्णय्या, श्री दू० बलराम (गुडिवाडा)
केदरिया, श्री छगनलाल म० (मांडवी--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
केशव, श्री न० (बंगलौर नगर)
केसकर, डा० बा० वि० (मुसाफिरखाना)
केसर कुमारी देवी, श्रीमती (रायपुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
कोडियान, श्री (क्विलोन--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
कोरटकर, श्री विनायकराव (हैदराबाद)
कोट्टुकप्पल्ली, श्री जार्ज थामस (मवात्तुपुजा)

ख

खां, श्री उस्मान अली (कुरनूल)
खां, श्री शाहनवाज (मेरठ)
खां, श्री सादत अली (वारंगल)
खाडिलकर, श्री र० के० (अहमदनगर)
खादीवाला, श्री कन्हैयालाल (इन्दौर)
खीमजी, श्री भवनजी अ० (कच्छ)
खुदाबख्श, श्री मुहम्मद (मुर्शिदाबाद)
ख्वाजा, श्री जमाल (अलीगढ़)

ग

गंगा देवी, श्रीमती (उन्नाव––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

गणपति, श्री (तिरुचिन्दूर)

गणपति राम, श्री (जौनपुर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

गांधी, श्री माणिकलाल मगनलाल (पंच महल)

गायकवाड़, श्री भाऊराव कृष्णराव (नासिक)

गायकवाड़, श्री फतेहसिंह राव प्रताप सिंह राव (बड़ौदा)

गुप्त, श्री इन्द्रजीत (कलकत्ता––दक्षिण पश्चिम)

गुप्त श्री छेदा लाल (हरदोई)

गुप्त, श्री रामकृष्ण (महेन्द्रगढ़)

गुप्त, श्री साधन (कलकत्ता––पूर्व)

गुह, श्री अरुण चन्द्र (बारसात)

गोडसोरा, श्री शम्भूचरण (सिंहभूम––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

गोपालन, श्री अ० क० (कासरगोड)

गोरे, श्री नारायण गणेश (पूना)

गोविन्द दास, सेठ (जबलपुर)

गोहोकर, डा० देवराव यशवन्त राव (यवतमाल)

गौंडर, श्री षनमुघ (तिंडीवनम्)

गौंडर, श्री दुरैस्वामी (तिरुपत्तूर)

गौंडर, श्री क० पेरियास्वामी (करूर)

गौतम, श्री (बालाघाट)

(घ)

घोडासर, श्री फतहसिंहजी (कैरा)

घोष, श्री अतुल्य (आसनसोल)

घोष, श्री विमल कुमार (बैरकपुर)

घोष, श्री नलिनी रंजन (कूच बिहार)

घोष, श्री महेन्द्र कुमार (जमशेदपुर)

घोष, श्री सुबिमन (बर्दवान)

घोषाल, श्री अरविन्द (उलुबेरिया)

च

चक्रवर्ती, श्रीमती रेणु (बसिरहाट)

चतुर्वेदी, श्री रोहनलाल (एटा)

चन्दा, अनिल कु० (वीरभूम)

च—(क्रमशः)

चन्द्रशंकर, श्री (भड़ौच)

चन्द्रामणि कालो, श्री (सुन्दरगढ़—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

चावन, श्री दा० रा० (कराड़)

चांडक, श्री बी० ल० (चिन्दवाड़ा)

चावदा, श्री अकबर भाई (बनस्कंठा)

चुनीलाल, श्री (अम्बाला—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

चेट्टियार, श्री रामनाथन् (पुदुकोटै)

चौधरी, श्री चन्द्रामणि लाल (हाजीपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

चौधरी, श्री त्रिदिब कुमार (बरहामपुर)

चौधरी, श्री सु० चं० (दुमका)

ज

जगजीवन राम, श्री (सहसराम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

जयपाल सिंह, श्री (रांची-पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

जांगड़े, श्री रेशम लाल (बिलासपुर)

जाधव, श्री यादव नारायण (मालेगांव)

जीनचन्द्रन्, श्री (टेल्लीचेरी)

जेधे, श्री गुलाब राव केशव राव (बारामती)

जेना, श्री कान्हुचरण (बालासोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

जैन, श्री अजित प्रसाद (सहारनपुर)

जैन, श्री मूल चन्द (कैथल)

जोगेन्द्रसिंह, सरदार (बहराइच)

जोगेन्द्र सेन, श्री (मंडी)

जोशी, श्री आनन्द चन्द्र (शाहडोल)

जोशी, श्री लीलाधर (शाजापुर)

जोशी, श्रीमती सुभद्रा (अम्बाला)

ज्योतिषी, पंडित ज्वाला प्रसाद (सागर)

झ

झुनझुनवाला, श्री बनारसी प्रसाद (भागलपुर)

झूलन सिंह, श्री (सीवन)

ट

टांटिया, श्री रामेश्वर (सीकर)

ठ

ठाकुर, श्री मोतीसिंह बहादुर सिंह (पाटन)

ड

डांगे, श्रीपाद ग्रमृत (बम्बई नगर—मध्य)

डामर, श्री ग्रमर सिंह (झाबुग्रा—रक्षित—ग्रनुसूचित ग्रादिम जातियां)

डिन्डोड, श्री जाल्जीभाई कोयाभाई (दोहद—रक्षित—ग्रनुसूचित ग्रादिम जातियां)

त

तंगामणि, श्री (मदुरै)

तारिक, श्री ग्रली मोहम्मद (जम्मू तथा काश्मीर)

ताहिर, श्री मुहम्मद (किशनगंज)

तिम्मय्या, श्री डोडा (कोलार—रक्षित—ग्रनुसूचित जातियां)

तिवारी, पंडित द्वारका नाथ (केसरिया)

तिवारी, पंडित बाबूलाल (निमाड़—खंडवा)

तिवारी, श्री द्वारिका नाथ (कचार)

तिवारी, श्री राम सहाय (खजुराहो)

तुलाराम, श्री (इटावा—रक्षित—ग्रनुसूचित जातियां)

तेवर, श्री उ० मथुरमलिंग (श्री विल्लीपुत्तूर)

त्यागी, श्री महाबीर (देहरादून)

थ

थामस, श्री ग्र० म० (एरणाकुलम)

द

दलजीत सिंह, श्री (कांगड़ा—रक्षित—ग्रनुसूचित जातियां)

दातार, श्री ब० ना० (बेलगाम)

दामानी, श्री सू० र० (जालोर)

दास, श्री कमल कृष्ण (वीरभूम—रक्षित—ग्रनुसूचित जातियां)

दास, श्री नयन तारा (मुंगेर—रक्षित—ग्रनुसूचित जातियां)

दास, डा० मन मोहन (ग्रासनसोल—रक्षित—ग्रनुसूचित जातियां)

दासगप्त, श्री विभूति भूषण (पुरुलिया)

दासप्पा, श्री (बंगलौर)

द—(क्रमश:)

दिगे, श्री शंकरराव खंडेराव (कोल्हापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

दिनेश सिंह, श्री (बांदा)

दुबे, श्री मूलचन्द (फर्रुखाबाद)

दुबलिश, श्री विष्णुशरण (सरधना)

देब, श्री दशरथ (त्रिपुरा)

देव, श्री नरसिंह मल्ल (मिदनापुर)

देव, श्री प्र० गं० देब (अंगुल)

देव, श्री प्रताप केसरी (कालाहांडी)

देशमुख, डा० पंजाबराव शा० (अमरावती)

देशमुख, श्री कृ० गु० (रामटेक)

देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)

दोरा, श्री दि० स० (पार्वतीपुरम्)

दोहड़, श्री शिवदीन (हरदोई—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

दौलता, श्री प्रताप सिंह (झज्जर)

द्विवेदी, श्री म० ला० (हमीरपुर)

द्विवेदी, श्री सुरेन्द्रनाथ (केन्द्रपाड़ा)

ध

धनगर, श्री बन्शी दास (मैनपुरी)

धर्मलिंगम, श्री (थिरुवन्नामलाई)

न

नंजप्पा, श्री (नीलगिरी)

नथवानी, श्री नरेन्द्रभाई (सोरठ)

नन्दा, श्री गुलजारी लाल (सबरकांठा)

नरसिंहन्, श्री च० र० (कृष्णगिरि)

नलदुर्गकर, श्री वैंकटराव श्रीनिवासराव (उस्मानाबाद)

नल्लाकोया, श्री कोविलाट (नामनिर्देशित—लक्कादीव, मिनिकाय और अमीन दीवी द्वीप)

नाथपाई, श्री (राजापुर)

नादर, श्री थानुलिंगम् (नागरकोईल)

नायक, श्री मोहन (गंजम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

न—(क्रमशः)

नायडू, श्री गोविन्द राजुलू (तिरुवल्लूर)
नायडू, श्री मुत्तुकुमारसामी (कडलूर)
नायर, डा० सुशीला (झांसी)
नायर, श्री कुट्टिकृष्णन् (कोजीकोड)
नायर, श्री च० कृष्णन् (बाह्य दिल्ली)
नायर, श्री वें० प० (क्विलोन)
नायर, श्री वासुदेवन (तिरुवल्ला)
नारायणदीन, श्री (शाहजहांपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
नारायणस्वामी, श्री (पेरियाकुलम्)
नास्कर, श्री पूर्णेन्दु शेखर (डायमण्ड हार्बर)
नेगी, श्री नेकराम (महासू—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
नसवी, श्री ति० रु० (धारवाड़-दक्षिण)
नेहरू, श्री जवाहरलाल (फूलपुर)
नेहरू, श्रीमती उमा (सीतापुर)

प

पटनायक, श्री उमाचरण (गंजम)
पटेल, श्री नानूभाई निच्छाभाई (बलसार—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
पटेल, श्री पुरुषोत्तमदास र० (मेहसाना)
पटेल, श्री राजेश्वर (हाजीपुर)
पटेल, सुश्री मणिबेन बल्लभभाई (आनन्द)
पट्टाभिरामन्, श्री चे० रा० (कुम्बकोणम्)
पद्मदेव, श्री (चम्बा)
पन्नालाल, श्री (फैजाबाद—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
परमार, श्री करसन दास उ० (अहमदाबाद—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
परमार, श्री दीनबन्धु (उदयपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
परूलकर, श्री शामराव विष्णु (थाना)
पलनियाण्डी, श्री (पैरम्बलूर)
पहाड़िया, श्री जगन्नाथ प्रसाद (सवाई माधोपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
पांगरकर, श्री नागराव क० (परभणी)
पांडे, श्री काशीनाथ (हाता)
पांडे, श्री च० द० (नैनीताल)

प—(क्रमशः)

पाटिल, श्री उत्तमराव ल० (धूलिया)
पाटिल, श्री नाना (सतारा)
पाटिल, श्री बाला साहेब (मिराज)
पाटिल, श्री र० ढो० (भीर)
पाटिल, श्री स० का० (बम्बई नगर-दक्षिण)
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (पुरी)
पाण्डेय, श्री सरजू (रसरा)
पार्वती कृष्णन्, श्रीमती (कोयम्बटूर)
पालचौधरी, श्रीमती इला (नवद्वीप)
पिल्ले, श्री एन्थनी (मद्रास-उत्तर)
पिल्ले, श्री पे० ति० थानु (तिरुनेलवेली)
पुन्नूस, श्री (अम्बल पुजा)
पोकर साहेब, श्री (मंजेरी)
प्रधान, श्री विजय चन्द्रसिंह (कालाहांडी—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
प्रभाकर, श्री नवल (बाह्य दिल्ली—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

ब

बजाज, श्री कमलनयन (वर्धा)
बदन सिंह, चौ० (बिसौली)
बनर्जी, डा० रामगोति (बांकुरा)
बनर्जी, श्री पुनिल बिहारी (लखनऊ)
बनर्जी, श्री प्रमथ नाथ (कण्टाई)
बनर्जी, श्री सत्येन्द्र मोहन (कानपुर)
बरुआ, श्री प्रफुल्ल चन्द्र (शिवसागर)
बरुआ, श्री हेम (गोहाटी)
बर्मन, श्री उपेन्द्र नाथ (कूच बिहार—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बलदेव सिंह, सरदार (होशियारपुर)
बसुमतारी, श्री धरनीधर (ग्वालपाड़ा—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
बहादुर सिंह, श्री (लुधियाना—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बांगशी ठाकुर, श्री (त्रिपुरा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बाकलीवाल, श्री मोहनलाल (दुर्ग)
बाबूनाथ सिंह, श्री (सरगुजा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

ब—(क्रमशः)

बारूपाल, श्री पन्नालाल (बीकानेर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

बालकृष्णन्, श्री स० चि० (डिंडीगल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

बाल्मीकि, श्री कन्हैयालाल (बुलन्दशहर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

बासप्पा, श्री चि० र० (तिपतुर)

बिदरी, श्री रामप्पा बालप्पा (बीजापुर—दक्षिण)

बिष्ट, श्री जंग बहादुर सिंह (अल्मोड़ा)

बीरबल सिंह, श्री (जौनपुर)

बेक, श्री इगनेस (लोहरदगा—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

बेरो, श्री (नामनिर्देशित—आंग्ल-भारतीय)

ब्रजराज सिंह, श्री (फिरोजादाद)

'ब्रजेश', पंडित ब्रज नारायण (शिवपुरी)

ब्रजेश्वर प्रसाद, श्री (गया)

ब्रह्म प्रकाश, चौ० (दिल्ली सदर)

भ

भंजदेव, श्री लक्ष्मी नारायण (क्योंझर)

भक्त दर्शन, श्री (गढ़वाल)

भगत, श्री ब० रा० (शाहबाद)

भगवती, श्री बि० (दरांग)

भटकर, श्री लक्ष्मण रावजी श्रवन जी (अकोला—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

भट्टाचार्य, श्री चपलकांत (पश्चिम दीनाजपुर)

भदौरिया, श्री अर्जुन सिंह (इटावा)

भरूचा, श्री नौशीर (पूर्व खानदेश)

भार्गव, पंडित ठाकुर दास (हिसार)

भार्गव, पंडित मुकुट बिहारी लाल (अजमेर)

भोगजी भाई, श्री (बांसवाड़ा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

म

मंजुला देवी, श्रीमती (ग्वालपाड़ा)

मंडल, डा० पशुपति (बांकुरा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

मंडल, श्री जियालाल (खगरिया)

मजीठिया, सरदार सुरजीत सिंह (तरनतारन)

म—(क्रमश:)

मणियंगाडन, श्री मैत्यु (कोट्टयम्)
मतीन, काजी (गिरिडीह)
मतेरा, श्री लक्ष्मण महादु (थाना—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
मनायन, श्री (दार्जिलिंग)
मफीदा अहमद, श्रीमती (जोरहाट)
मलिक, श्री धीरेन्द्र चन्द्र (धनबाद)
मलिक, श्री वैष्णव चरण (केन्द्रपाड़ा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मल्लय्या, श्री उ० श्रीनिवास (उदीपी)
मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीत लाल (जम्मू तथा काश्मीर)
मसानी, श्री मी० रु० (रांची—पूर्व)
मसुरिया दीन, श्री (अफूलपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
महन्ती, श्री सुरेन्द्र (ढेंकानाल)
महागांवकर, श्री भाऊसाहेब रावसाहेब (कोल्हापुर)
महादेव प्रसाद, श्री (गोरखपुर—रक्षित—अनसूचित जातियां)
महेन्द्र प्रताप, राजा (मथुरा)
माईति, श्री नि० वि० (घाटल)
माझी, श्री रामचन्द्र (मयूरभंज—रक्षित—अनसूचित आदिम जातियां)
माथुर, श्री हरिश्चन्द्र (पाली)
माने, श्री गो० का० (बम्बई नगर-मध्य—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मालवीय, पंडित गोविन्द (सुल्तानपुर)
मालवीय, श्री कन्हैयालाल भेरूलाल (शाजापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मालवीय, श्री केशव देव (बस्ती)
मालवीय, श्री मोतीलाल (खजुराहो—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मिनिमाता अगमदास गुरु, श्रीमती (बलोदा बाजार—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मिश्र, श्री भगवानदीन (केसरगंज)
मिश्र, श्री मथुरा प्रसाद (बेगु सराय)
मिश्र, श्री रघुवर दयाल (बुलन्दशहर)
मिश्र, श्री राजा राम (फैजाबाद)
मिश्र, श्री ललित नारायण (सहरसा)
मिश्र, श्री विभूति (बगहा)
मिश्र, श्री श्याम नन्दन (जयनगर)
मुकर्जी, श्री हीरेन्द्र नाथ (कलकत्ता—मध्य)
मुत्तुकृष्णन्, श्री म० (बल्लोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

म—(क्रमशः)

मुनिस्वामी, श्री न० रा० (वैल्लोर)
मुरमू, श्री पाइका (राजमहल—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
मुरारका, श्री राधेश्याम रामकुमार (झूंझनू)
मुसाफिर, ज्ञानी गुरमुख सिंह (अमृतसर)
मुहम्मद अकबर, शेख (जम्मू तथा काश्मीर)
मुहम्मद इमाम, श्री (चितलद्रुग)
मुहीउद्दीन, श्री (सिकन्दराबाद)
मूर्ति, श्री ब० सू० (काकिनादा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मूर्ति, श्री मि० सू० (गोलुगोंडा)
मेनन, डा० क० ब० (बडागरा)
मेनन, श्री वें० कृ० कृष्ण (बम्बई नगर-उत्तर)
मेनन, श्री नारायण् कुट्टि (मुकुन्दपुरम्)
मेलकोटे, डा० (रायचूर)
मेहता, श्री अशोक (मुजफ्फरपुर)
मेहता, श्रीमती कृष्णा (जम्मू तथा काश्मीर)
मेहता, श्री जसवन्त राज (जोधपुर)
मेहता, श्री बलवन्तराय गोपालजी (गोहिलवाड़)
मेहदी, श्री सै० अहमद (रामपुर)
मोरे, श्री ज० घ० (शोलापुर)
मोहनस्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहीदीन, श्री गुलाम (डिंडीगल)

य

याज्ञिक, श्री इन्दूलाल कन्हैयालाल (अहमदाबाद)
यादव, श्री राम सेवक (बाराबंकी)

र

रंगा, श्री (तेनाली)
रंगाराव, श्री (करीम नगर)
रघुनाथसिंह जी, श्री (बाड़मेर)
रघुनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
रघुबीर सहाय, श्री (बदायूं)
रघुरामैया, श्री कोता (गुण्टर)
रणवीर सिंह, चौ० (रोहतक)

रहमान, श्री मु० हिफ़जुर (अमरोहा)
राउत, श्री भोला (चम्पारन—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राउत, श्री राजा राम बाल कृष्ण (कोलाबा)
राजबहादुर, श्री (भरतपुर)
राजू, श्री द० स० (राजामुंद्री)
राजेन्द्र सिंह, श्री (छपरा)
राज्य लक्ष्मी, श्रीमती ललिता (हजारीबाग)
राधा मोहन सिंह, श्री (बलिया)
राधा रमण, श्री (चांदनी चौक)
रान, श्री शिवराम रंगो (बुलडाना)
रामकृष्णन्, श्री पी० रा० (गोल्लाची)
रामगरीब, श्री (बस्ती—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
रामधनीदास, श्री (नवादा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
रामपुरे, श्री महादेवप्पा (गुलबर्गा)
रामम, श्री उद्दाराजू, (नरसापुर)
राम सुभग सिंह, डा० (सहसराम)
रामस्वामी, श्री क० स० (गोबी चट्टिपलयम्)
रामस्वामी, श्री पु० (महबूबनगर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
रामस्वामी, श्री सें० वें० (सैलम)
रामशंकर लाल, श्री (डुलरियागंज)
राम शरण, श्री (मुरादाबाद)
रामानन्द तीर्थ, स्वामी (औरंगाबाद)
रामौल, श्री शिवानन्द (महासू)
राय, श्री खुशवक्त (खेरी)
राय, श्रीमती रेणुका (मालदा)
राव, श्री विश्वनाथ (सलेमपुर)
राव, श्रीमती सहोदरा बाई (सागर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राव, श्री इ० मधुसूदन (महबूबाबाद)
राव, श्री त० ब० बिट्ठल (खम्मम)
राव, श्री तिरुमल (काकिनाडा)
राव, श्री देवुलपल्ली वेंकटेश्वर (नलगोंडा)
राव, श्री रा० जगन्नाथ (कोरापट)

र—(क्रमशः)

राव, श्री बी० राजगोपाल (श्रीकाकुलम्)

राव, श्री रामेश्वर (महबूबनगर)

राव, श्री हनुमन्त (मेदक)

रूसुंग सुइसा, श्री (बाह्य मनीपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

रूप नारायण, श्री (मिर्जापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

रेड्डी, श्री क० च० (कोलार)

रेड्डी, श्री रो० नरपा (ओंगोल)

रेड्डी, श्री नागी (अनन्तपुर)

रेड्डी, श्री बाली (मरकापुर)

रेड्डी, श्री राम कृष्ण (हिन्दूपुर)

रेड्डी, श्री रामी (कड़पा)

रेड्डी, श्री रे० लक्ष्मी नरसा (नेल्लोर)

रेड्डी, श्री विश्वनाथ (राजमपेट)

ल

लक्ष्मणसिंह, श्री (नामनिर्देशित—अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह)

लक्ष्मीबाई, श्रीमती (विकाराबाद)

लच्छीराम, श्री (हमीरपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

लास्कर, श्री निवारण चन्द्र (कचार—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

लाहिरी, श्री जितेन्द्र नाथ (श्रीरामपुर)

व

वर्मा, श्री ब्रि० बि० (चम्बारन)

वर्मा, माणिक्यलाल (उदयपुर)

वर्मा, श्रीरामजी (देवरिया)

वर्मा, श्री राम सिंह भाई (निमाड़)

वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (बलरामपुर)

वाडीवा, श्री ना० (छिन्दवाड़ा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

वारियर, श्री कृ० कि० (त्रिचूर)

वाल्वी, श्री लक्ष्मण वेदू (पश्चिमी खानदेश—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

वासनिक, श्री बालकृष्ण (भंडारा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

विजय आनन्द, डा० (विशाखापटनम्)

विजय राजे, कुंवरानी (छतरा)

विल्सन, श्री जान० न० (मिर्जापुर)

व—(क्रमशः)

विश्वनाथ प्रसाद, श्री (आजमगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

विश्वास, श्री भोलानाथ (कटिहार)

वीरेन्द्र बहादुर सिंह जी, श्री (रायपुर)

वेंकटा सुब्बैया, श्री पेन्देकान्ति (अडोनी)

वेद कुमारी, कुमारी मोते (एलूरू)

वैरावन, श्री अ० (तंजौर)

वोडयार, श्री क० गु० (शिमोगा)

व्यास, श्री रमेश चन्द्र (भीलवाड़ा)

व्यास, श्री राधेलाल (उज्जैन)

श

शंकर देव, श्री (गुलबर्गा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

शंकरपांडियन, श्री (टंकासी)

शंकरय्या, श्री (मैसूर)

✓शकुन्तला देवी, श्रीमती (बंका)

शर्मा, पंडित कृष्ण चन्द्र (हापुड़)

शर्मा, श्री दीवान चन्द्र (गुरदासपुर)

शर्मा, श्री राधा चरण (ग्वालियर)

शर्मा, श्री हरिश्चन्द्र (जयपुर)

शास्त्री, श्री प्रकाशवीर (गुड़गांव)

शास्त्री, श्री लाल बहादुर (इलाहबाद)

शास्त्री, पंडित हीं० (सवाई माधोपुर)

शास्त्री, स्वामी रामानन्द (बाराबंकी—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

शाह, श्री मनुभाई (मध्य सौराष्ट्र)

शाह, श्री मान्वेन्द्र (टेहरी गढ़वाल)

शाह, श्रीमती जयाबेन बजुभाई (गिरनार)

शिव, डा० गंगाधर (चित्तूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

शिवनंजप्पा, श्री (मंडया)

शिवराज, श्री (चिंगलपट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

शुक्ल, श्री विद्याचरण (बलोदा बाजार)

शोभाराम, श्री (अलवर)

श्री नारायण दास, श्री (दरभंगा)

स

संगण्णा, श्री तो० (कोरापट—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

सवंदम्, श्री (नागपट्टिनम)

सक्सेना, श्री शिब्बन लाल (महाराजगंज—उत्तर प्रदेश)

सतीश चन्द्र, श्री (बरेली)

सत्य नारायण, श्री बिद्दिका (पार्वतीपुरम्—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

सत्यभामा देवी, श्रीमती (नवादा)

सम्पत्, श्री (नामक्कल)

सरदार, श्री भोली (सहरसा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सरहदी, श्री अजित सिंह (लुधियाना)

सहगल, सरदार अमर सिंह (जंजगीर)

साधूराम, श्री (जालन्धर —रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सामन्त, श्री सतीश चन्द्र (तामलुक)

सामन्तसिंहार, डा० न० चं० (भुवनेश्वर)

सालंके, श्री बालासाहेब (खेड़)

साहू, श्री भगवत (बालासोर)

साहू, श्री रामेश्वर (दरभंगा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सिंह, श्री क० ना० (शहडोल—रक्षित —अनुसूचित आदिम जातियां)

सिंह, श्री चण्डिकेश्वर शरण (सरगूजा)

सिंह, श्री दिग्विजय नारायण (पपरी)

सिंह, श्री दिनेश प्रताप (गोंडा)

सिंह, श्री प्रभु नारायण (चन्दौली)

सिंह, श्री बनारसी प्रसाद (मुंगेर)

सिंह, श्री महेन्द्र नाथ (महाराजगंज बिहार)

सिंह, श्री लैसराम अचौ (आन्तरिक मनीपुर)

सिंह, श्री सत्यनारायण (समस्तीपुर)

सिंह, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद—बिहार)

सिंह, श्री हर प्रसाद (गाजीपुर)

सिंहासन सिंह, श्री (गोरखपुर)

सिदय्या, श्री (मैसूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सिद्धनंजप्पा, श्री (हसन)

सिन्धिया, श्रीमती विजय राजे (गुना)

सिन्हा, श्री कैलाशपति (नालन्दा)

स—(क्रमशः)

सिन्हा, श्री गजेन्द्र प्रसाद (पालामऊ)

सिन्हा, श्रीमती तारकेश्वरी (बाढ़)

सिन्हा, श्री सारंगधर (पटना)

सुगन्धि, श्री मु० सु० (बीजापुर—उत्तर)

सुन्दर लाल, श्री (सहारनपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सुब्बरायन, डा० प० (तिरूचेंगोड)

सुब्रह्मण्यम्, श्री टेकुर (बेल्लारी)

सुमत प्रसाद, श्री (मुजफ्फर नगर)

सुल्तान, श्रीमती मैमूना (भोपाल)

सूपकार, श्री श्रद्धाकर (सम्बलपुर)

सूर्य प्रसाद, श्री (ग्वालियर)—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सेठ, श्री बिशन चन्द (शाहजहांपुर)

सेन, श्री अशोक कु० (कलकत्ता—उत्तर-पश्चिम)

सेन, श्री फणि गोपाल (पूर्निया)

सैलकू, श्री मारदी (पश्चिमी दीनाजपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

सयद महमूद, उ० (गोपाल गंज)

सोनावने, श्री तयप्पा (शोलापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सोनुल, श्री हरिहर राव (नांदेड)

सोमानी, श्री ग० ध० (दौसा)

सोरेन, श्री देवी (दुमका—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

स्नातक, श्री नरदेव (अलीगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

स्वर्ण सिंह, सरदार (जालंधर)

स्वामी, श्री (चांदा)

ह

हंसदा, श्री सुबोध (मिदनापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

हजरनवीस, श्री रा० म० (भंडारा)

हजारिका, श्री जोगेन्द्र नाथ (डिब्रगढ़)

हरवानी, श्री अन्सार (फतेहपुर)

हाथी, श्री जयसुखलाल लालशंकर (हालर)

ह—(क्रमशः)

हाल्दर, श्री अन्सारी (डायमण्ड हार्बर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

हिनिटा, श्री हूवर (स्वायत जिले—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

हुक्म सिंह, सरदार (भटिंडा)

हेडा, श्री ह० चं० (निजामाबाद)

हेमराज, श्री (कांगड़ा)

लोक-सभा

अध्यक्ष

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार

उपाध्यक्ष

सरदार हुक्म सिंह

सभापति तालिका

पंडित ठाकुर दास भार्गव

डा० सुशीला नायर

श्री मूल चन्द दुबे

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

श्री जगन्नाथ राव

श्री ह० चं० हेडा

सचिव

श्री महेश्वर नाथ कौल, बैरिस्टर-एट-ला

कार्य-मंत्रणा समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार—**सभापति**

सरदार हुक्म सिंह

पंडित ठाकुर दास भार्गव

श्री श्रीनारायण दास

श्री प्र० के० देव

श्री म० ला० द्विवेदी

श्री यादव नारायण जाधव

श्री जयपाल सिंह

श्रीमती सुभद्रा जोशी

श्री शिवराम रंगों राने

श्री तिरूमल राव

श्री सिद्धनंजप्पा

श्री लैसराम अचौं सिंह

श्री सत्य नारायण सिंह

श्री तंगामणि

विशेषाधिकार समिति

सरदार हुक्म सिंह—**सभापति**

श्री हेम बरुआ

श्री च० द० गौतम

श्री फतहसिंहजी घोड़ासर

श्री मी० रु० मसानी

श्री हरिश्चन्द्र माथुर

श्री हीरेन्द्रनाथ मुकर्जी

श्री च० द० पांडे

श्री शिवराम रंगो राने

श्री अशोक कु० सेन

श्रीमती जयाबेन वजूभाई शाह

श्री सारंगधर सिन्हा

श्री सत्यनारायण सिंह

डा० प० सुब्बरायन

श्री श्रद्धाकर सूपकार

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

श्री मूलचन्द दुबे—**सभापति**

श्री आचार

श्री अय्याकणु

श्री इगनेस बेक

श्री चपलकान्त भट्टाचार्य

श्री बी० ल० चांडक

श्री षनमुघ गौंडर

श्री रामकृष्ण गुप्त

श्री सुरती किस्तैया

श्री बै० च० मलिक

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही

श्री राजेश्वर पटेल

श्री हरिश्चन्द्र शर्मा

श्री रुंगसुंग सुइसा

श्री बालकृष्ण वासनिक

प्राक्कलन समिति

श्री दासप्पा—**सभापति**

श्री प्रेमजी ग्रासर

श्री बासप्पा

श्री चंद्र शंकर

श्री शम्भू चरण गोडसोरा

श्री हेडा

श्री यादव नारायण जाधव

श्री द० ग्र० कट्टी

श्री खुशवक्त राय

श्री भाउसाहेब रावसाहेब महागांवकर

रानी मंजुला देवी

श्री विभूति मिश्र

श्री गु० सिं० मुसाफिर

श्री मुत्तुकृष्णन्

श्री कुट्टिकृष्णन् नायर

श्री जगन्नाथ प्रसाद पहाड़िया

श्री थानू पिल्ले

श्री पुन्नूस

श्री रघुनाथ सिंह

श्री नागी रेड्डी

श्री वुतुकुरू रामी रेड्डी

सरदार ग्रमर सिंह सहगल

श्री सतीश चन्द्र सामन्त

श्री कैलाशपति सिन्हा

श्री तय्यपा हरि सोनावने

श्री सुन्दर लाल

श्री ग्र० मु० तारिक

श्री महावीर त्यागी

श्री मं० गा० उइके

सरकारी ग्राश्वासनों संबंधी समिति

पंडित ठाकुर दास भार्गव—**सभापति**

श्री सुब्बया ग्रम्बलम

श्री बासप्पा

श्री दलजीत सिंह

श्री विभूति भूषण दास गुप्त

श्री गणपति राम

श्री कमल सिंह

श्री मोतीलाल मालवीय

डा० पशुपति मंडल

श्री नवल प्रभाकर

श्री त० ब० विट्ठल राव

श्री विश्वनाथ राय

श्री अनिरुद्ध सिंह

श्री अटल बिहारी वाजपेयी

श्री रामजी वर्मा

याचिका समिति

श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन—**सभापति**

श्री अब्दुल सलाम

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया

श्री जाल्जीभाई कोयाभाई डिन्डोड

श्री फतहसिंह घोड़ासर

पंडित ज्वाला प्रसाद ज्योतिषि

श्री मं० रं० कृष्ण

श्री रामचन्द्र माझी

श्रीमती कृष्णा मेहता

श्री वासुदेवन नायर

श्रीमती उमा नेहरू

श्री फणि गोपाल सेन

श्री शिवनंजप्पा

श्री शिवराज

पंडित द्वारिका नाथ तिवारी

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

सरदार हुक्म सिंह—**सभापति**

श्री स० अ० अगाड़ी

श्री देवी सोरेन

श्री रामकृष्ण गुप्त

श्री ईश्वर अय्यर

श्री यादव नारायण जाधव

श्री कालिका सिंह

श्री सुरेन्द्र महन्ती

डा० पशुपति मंडल

श्री थानुलिंगम् नादर

श्री बालासाहेब पाटिल

श्री अमर सिंह सहगल

श्रीमती जयाबेन वजूभाईशाह

श्री झूलन सिंह

श्री सुन्दर लाल

लोक लेखा समिति

लोक-सभा

श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन—सभापति

श्री माणिकलाल मगनलाल गांधी

श्री र० सिं० किलेदार

श्री विनायक राव कोरटकर

श्री मनायन

श्री माने

श्री मतीन

श्री वै० च० मलिक

श्री नेस्वी

श्री परुलकर

श्री पु० र० पटेल

श्री राधा रमण

डा० सामन्त सिंहार

पंडित द्वा० ना० तिवारी

राज्य सभा

श्रीमती शारदा भार्गव

श्री जशौद सिंह विष्ट

श्री सुरेन्द्र मोहन घोष

डा० श्रीमती सीता परमानन्द

श्री बी० सी० केशव राव

श्री मुल्क गोविन्द रेड्डी

श्री जसवन्त सिंह

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

सरदार हुक्म सिंह—**सभापति**

श्री बहादुर सिंह

श्री अरविन्द घोषाल

श्री न० रे० घोष

डा० कृष्णस्वामी

श्री क० भे० मालवीय

श्री नारायणन् कुट्टि मेनन

श्री मोहम्मद इमाम

श्री घनश्याम लाल ओझा

श्री करसन दास परमार

श्री रघुवीर सहाय

श्री क० स० रामस्वामी

श्री रामी रेड्डी

श्री अजित सिंह सरहदी

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह

सामान्य प्रयोजन समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार—**सभापति**

सरदार हुक्म सिंह

श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन

पंडित ठाकुर दास भार्गव

श्री ब्रज राज सिंह

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

श्री श्री० अ० डांगे

श्री दासप्पा

श्री प्र० के० देव

श्री मूलचन्द दुबे

श्री ह० चं० हेडा

श्री रंगा

श्री जयपाल सिंह

आचार्य कृपालानी

डा० कृष्णस्वामी

श्री उ० श्री० मल्लय्या

डा० सुशीला नायर

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्

श्री सत्य नारायण सिंह

श्री शिवराज

श्री याज्ञिक

श्री जगन्नाथ राव

आवास समिति

श्री उ० श्री० मल्लय्या—सभापति

श्री बैरो

श्री रोहनलाल चतुर्वेदी

श्री माणिकलाल मगनलाल गांधी

श्री खुशवक्त राय

श्रीमती पार्वती कृष्णन्

श्री महागांवकर

श्री राजेश्वर पटेल

श्रीमती सहोदराबाई राय

श्री जगन्नाथ राव

श्री स० चं० सामन्त

श्री राधेलाल व्यास

लाभपद संबंधी संयुक्त समिति

लोक-सभा

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्—सभापति

डा० मा० श्री० अणे

श्री आसर

डा० क० ज० मेनन

श्री मुरारका

श्री ही० ना० मुकर्जी

श्रीमती उमा नेहरू

श्री राधा चरण शर्मा

श्री सिद्धनंजप्पा

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह

राज्य सभा

दीवान चमन लाल

श्री टी० एस० अविनाशलिंगम चेट्टियार

श्री एम० गोविन्द रेड्डी

डा० राजबहादुर गौड़

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह

संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते संबंधी संयुक्त समिति

लोक-सभा

श्री सत्यनारायण सिंह--**सभापति**

श्री चपल कांत भट्टाचार्य

श्री लक्ष्मी नारायण भंजदेव

श्री नारायण गणेश गोरे

श्री दुराय स्वामी गौंडर

श्री कन्हैयालाल खादीवाला

श्री कोडियान

श्री उ० श्री० मल्लय्या

श्री रघुबर दयाल मिश्र

श्री दीवन चन्द शर्मा

राज्य सभा

श्री जसपत राय कपूर

श्री टीकाराम पालीवाल

श्री रोहित एम० दवे

श्रीमती यशोदा रेड्डी

डा० डब्ल्यू० एस० बार्रालिंगे

नियम समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार--**सभापति**

सरदार हुकम सिंह

नियम समिति

श्री अमजद अली
पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
श्री मु० सु० सुगन्धि
श्रीमती उमा नेहरू
श्री घनश्याम लाल ओझा
श्री पु० र० पटेल
श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्
श्री शंकरय्या
श्री सत्य नारायण सिंह
श्री शिवराज
श्री वाडीवा
श्री बालकृष्ण वासनिक

भारत सरकार

मंत्री-मंडल के सदस्य

प्रधान-मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति विभाग के भारसाधक मंत्री—श्री जवाहरलाल नेहरू

गृह-कार्य मंत्री—श्री गोविन्द बल्लभ पन्त

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री—श्री लाल बहादुर शास्त्री

रेलवे मंत्री—श्री जगजीवन राम

वित्त मंत्री—श्री मोरारजी देसाई

श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री—श्री गुलजारी लाल नन्दा

परिवहन तथा संचार मंत्री—डा० प० सुब्बरायन

विधि मंत्री—श्री अ० कु० सेन

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री—सरदार स्वर्ण सिंह

सिंचाई और विद्युत मंत्री—हाफिज मुहम्मद इब्राहीम

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री—श्री क० च० रेड्डी

खाद्य तथा कृषि मंत्री—श्री स० का० पाटिल

प्रतिरक्षा मंत्री—श्री वे० कृ० कृष्ण मेनन

राज्य मंत्री

संसद्-कार्य मंत्री—श्री सत्य नारायण सिंह

सूचना और प्रसारण मंत्री—डा० बा० वि० केसकर

स्वास्थ्य मंत्री—श्री द० प० करमरकर

कृषि मंत्री—डा० पंजाबराव शा० देशमुख

खान और तेल मंत्री—श्री केशव देव मालवीय

पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री—श्री मेहर चन्द खन्ना

वाणिज्य मंत्री—श्री नित्यानन्द कानूनगो

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री—श्री राज बहादुर

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री—श्री ब० ना० दातार

उद्योग मंत्री—श्री मनुभाई शाह

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री—श्री सुरेन्द्र कुमार डे

शिक्षा मंत्री—डा० का० ला० श्रीमाली

वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री—श्री हुमायून् कबिर

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री—डा० बे० गोपाल रेड्डी

उपमंत्री

प्रतिरक्षा उपमंत्री—सरदार सुरजीत सिंह मजीठिया

श्रम उपमंत्री—श्री आबिद अली

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री—श्री अनिल कु० चन्दा

कृषि उपमंत्री—श्री मों० वें० कृष्णप्पा

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री —श्री जयसुख लाल लालशंकर हाथी

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री—श्री सतीश चन्द्र

योजना उपमंत्री—श्री श्याम नन्दन मिश्र

वित्त उपमंत्री—श्री ब० रा० भगत

वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री—डा० मनमोहन दास

रेलवे उपमंत्री—श्री शाहनवाज़ खां

रेलवे उपमंत्री—श्री सें० वें० रामस्वामी

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री—श्रीमती लक्ष्मी मेनन

गृह-कार्य उपमंत्री—श्रीमती वायलेट आल्वा

प्रतिरक्षा उपमंत्री—श्री कोत्ता रघुरमैया

असैनिक उड्डयन उपमंत्री—श्री मुहीउद्दीन

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री—श्री अ० म० थामस

पुनर्वास उपमंत्री—श्री पू० शे० नास्कर

विधि उपमंत्री—श्री हजरनवीस

वित्त उपमंत्री—श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा

सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री—श्री ब० सू० मूर्ति

श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री—श्री ललित नारायण मिश्र

सभा-सचिव

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव—श्री सादत अली खां

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव—श्री जो० ना० हजारिका

प्रतिरक्षा मंत्री के सभा-सचिव—श्री फतेहसिंह राव प्रतापसिंहराव गायकवाड़

सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा सचिव—श्री आ० चं० जोशी

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा सचिव—श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री के सभा सचिव—श्री श्यामधर मिश्र

लोक-सभा वाद-विवाद

खंड ४७] दूसरी लोक-सभा के बारहवें सत्र का पहला दिन [अंक १

लोक-सभा

सोमरवा, १४ नवम्बर, १९६०
२३ कार्तिक, १८८२ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

चीनियों द्वारा भारतीय सीमा का अतिक्रमण

+

†*१. **श्री प्र० गं० देव :**
श्री सै० अ० मेहदी :
श्री भक्त दर्शन :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री खुशवक्त राय :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ९ सितम्बर, १९६० के बाद चीनियों द्वारा भारतीय प्रदेश में घुसने की कोई घटना हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) और (ख) गश्ती दलों द्वारा भारतीय प्रदेश में घुसने की छोटी मोटी घटनायें हुई हैं। इनका पूरा ब्योरा भारत सरकार के २६ सितम्बर, १९६० और २४ अक्तूबर, १९६० के टिप्पणों में दिया गया है जो आज सभा-पटल पर रखे जाने वाले श्वेत पत्र ४ में सम्मिलित कर दिये गये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री प्र० गं० देव : यदि कोई विरोध पत्र भेजा गया तो उसका क्या परिणाम हुआ ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) : जो श्वेत पत्र सभा पटल पर बाद में रखा जायेगा उसमें माननीय सदस्य सम्पूर्ण पत्र-व्यवहार के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इस बात से इनकार किया गया है कि सीमा उल्लंघन की कोई घटना हुई।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या प्रधान मंत्री महोदय का ध्यान चीन के प्रधान मंत्री के उस बयान की तरफ गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सीमा सम्बन्धी जो झगड़े हैं उन के सुलझाने में भारत सरकार की हठधर्मी है और वह सुलझाने के मूड में नहीं है ? दूसरी सरकारों ने जैसे बर्मा और नैपाल की सरकारों ने झगड़े तय कर लिये हैं...

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को प्रश्न पूछना चाहिये। वे तर्क करने जा रहे हैं।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में अपना कोई विचार व्यक्त किया है और यदि हां, तो क्या ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी हां, अखबार में चीन के प्रधान मंत्री का जो बयान छपा था वह मैंने पढ़ा। अब यह उनकी अपनी राय है। हमारी राय इस के खिलाफ है और आप जानते ही हैं कि हमारी राय क्या है।

†श्री प्र० गं० देव : क्या यह सच नहीं है कि गत दो महीनों के दौरान में चीनी जहाज कई बार भारतीय प्रदेश में घुसे ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : हमने श्वेत पत्र में इसकी भी सूची दी है। हर बार ठीक-ठीक यह पता लगाना असंभव हो जाता है कि वे जहाज किनके थे। वे लगभग सात हजार फुट की ऊंचाई पर उड़ते हैं और अक्सर रात में उनको पहचानना कठिन हो जाता है। केवल प्रकाश देखा जा सकता है। वे इस बात से मना करते हैं कि उन्होंने कोई जहाज भेजा था। हमारा ख्याल है कि वे उसी दिशा से कहीं से आये हैं किन्तु ठीक-ठीक इस बात का प्रमाण देना कठिन है कि वे किसके जहाज थे। चीनियों के कथनानुसार के किसी अन्य जगह के जहाज होंगे।

†श्री सै० अ० मेहदी : क्या सितम्बर में सिक्किम सीमा की तरफ इस सम्बन्ध में कोई गिरफ्तारियां की गई थी ?

†श्री जवाहरलाल नेहरु : किस संबंध में, श्रीमान्

†श्री सै० अ० मेहदी : मेरा तात्पर्य इस ओर प्रवेश करने वाले चीनी सिपाहियों से है।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : जैसा कि मैंने कहा, सारी बातें उस से पता चल जायेंगी। कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। लगभग एक या दो दर्जन व्यक्तियों के कुछ गश्ती दल १५ मील अन्दर तक घुस आये थे किन्तु जब उन्होंने हमारे सैनिक देखे तो वे तुरन्त वापस चले गये। कोई मुठभेड़ नहीं हुई। वे तुरन्त लौट गये।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, शासन की ओर से यह स्वीकार किया गया है कि इस बीच में स्फुट रूप में भारतीय सीमा का अतिक्रमण किया गया है तो इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिये और क्या भविष्य में ऐसा न होने पाये क्या खासतौर से कुछ विशेष कठोर कदम उठाये गये हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : आक्रमण रोकने के लिए काफी इंतजाम है लेकिन दो, चार आदमी घुसपैंठ कर चले आयें, छिप कर चले आयें यह तो हमेशा हो सकता है और कोई भी जा सकता है इधर से उधर और एक एक इंच को रोकना तो जरा मुश्किल बात है । अब उनका बयान यह है कि आप देखेंगे कि चन्द लोग धोखे से उधर चले गये थे क्योंकि वहां कोई निशान तो है नहीं ।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल** : क्या हमारे प्रदेश में घुस आने के फलस्वरूप क्या कोई गोलावारी हुई थी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : नहीं, श्रीमान् । कोई मुठभेड़ नहीं हुई ।

†**श्री हेम बरूआ** : क्या यह सच है कि ७ अक्तूबर को नेफा प्रदेश में तुतकिंग नामक स्थान के निकट भारत-चीन सीमा पर चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर गोली चलाई थी और उससे एक या दो सैनिक मर भी गये थे ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

†**श्री गोरे** : क्या हमने अपने जहाज इस बात का पता लगाने के लिय भेजे थे कि वे जहाज चीन के थे अथवा किसी अन्य राष्ट्र के थे ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हम हमेशा ही इसका पता लगाने की कोशिश करते हैं किन्तु जैसा कि मैंने कहा ऐसी घटनायें सामान्यत: रात में होती हैं और जहाज बड़ी ऊंचाई पर होते हैं । यदि हम अपना जहाज भेजें तो वे कुछ ही सेकेण्डों में गायब हो जायेंगे । ये संभवत: जेट विमान होते हैं जो काफी ऊंचाई पर उड़ते हैं ।

†**श्री वाजपेयी** : संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में प्रधान मंत्री ने अपने भाषण में चीनियों द्वारा भारतीय प्रदेश पर किये गये कब्जे को केवल एक विवाद की वस्तु बताया था । उन्होंने यह क्यों नहीं कहा कि चीनियों ने भारत के विरुद्ध आक्रमण किया था ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न यहां उत्पन्न नहीं होता । प्रस्तुत प्रश्न केवल हाल के आक्रमणों तथा उनके व्यौरे के बारे में है ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या यह सच है कि चीनी सैनिक हमारा कुछ क्षेत्र छोड़ गये हैं और यदि हां, तो उस पर पुन: कब्जा करने के लिये क्या कोई कार्यवाही की गई है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे नहीं मालूम कि वे किसी क्षेत्र को छोड़ गये हैं । शायद उन्होंने अपना शिविर दो या तीन मील पीछे हटा लिया हो किन्तु उन्होंने कोई क्षेत्र छोड़ा नहीं है । संभवत: ऐसी घटना केवल एक ही जगह हुई थी क्योंकि वहां पर कोई बीमारी फैल गई थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत-चीन वार्ता

\+

*२. श्री भक्त दर्शन :
श्री राजेन्द्र सिंह :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री नरदेव स्नातक :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री प्र० के० देव :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्रीमती इला पालचौधरी
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री खुशवक्त राय :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री आसर :
श्री डामर :
श्री हेम बरुआ :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री अगाड़ी :
श्री वोडयार :

क्या प्रधान मंत्री १८ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ४९८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत और चीन के पदाधिकारियों के बीच भारत-चीन सीमा-विवाद के सम्बन्ध में जो विचार-विमर्श चल रहा था उसमें क्या प्रगति हुई है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : भारतीय और चीनी अधिकारियों ने १९ अगस्त, १९६० को फिर से बातचीत शुरू की और उनकी यह बातचीत ५ अक्तूबर, १९६० तक दिल्ली में चलती रही। जब इन दोनों दलों ने यह अनुभव किया कि वे सितम्बर के अंत तक सबूत की जांच पूरी न कर सकेंगे तो उन्होंने भारत और चीन के प्रधान मंत्रियों से अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया। उनका यह अनुरोध मान लिया गया और अब ये दल रंगून में अपनी तीसरी बैठक कर रहे हैं, जहां वे अपना काम खत्म करके रिपोर्ट तैयार कर देंगे। उम्मीद है कि ये दल नवम्बर, १९६० के अन्त तक अपना काम खत्म कर लेंगे। उसके बाद, दोनों तरफ की रिपोर्टें दोनों सरकारों के पास विचार के लिये पेश कर दी जायेंगी।

श्री भक्त दर्शन : मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस चाल और जिस ढंग से अब तक दोनों देशों के प्रतिनिधियों में बात-चीत चलती रही है, उस को दृष्टि में रख कर क्या भारत सरकार को विश्वास है कि इस प्रकार दोनों देशों में सम्मानपूर्ण समझौता हो जायगा ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि हमारे पास कोई रिपोर्ट ही नहीं आई है। इस के अलावा जब कि काम चल रहा है बीच में कुछ कहना मुनासिब नहीं है। अब तक भी उन्होंने जो कुछ बात-चीत की है, उसकी तफ़सील और वरबैटिम रिपोर्ट्स हज़ारों सफ़हों की हैं।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या दलों की बैठक कुछ समय के लिये स्थगित कर दी जायेगी और अन्तिम निर्णय देने के लिये उनकी बैठक फिर होगी? ऐसी अवस्था में बैठक के स्थगित हो जाने पर वे किस नई बात की जांच करेंगे?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : पिछली बार उनकी बैठक स्थगित कर दी गई थी। अब उनकी बैठक हो रही है। अब बैठक स्थगित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उनकी बैठक काम पूरा होने तक होती रहेगी। ऐसा ख्याल है।

†**श्रीमती सफीदा अहमद** : क्या सरकारी तौर से की जाने वाली बातचीत से सरकार को ऐसा कोई आभास मिला है कि चीन मकमोहन रेखा को भारत व चीन की सीमा रेखा मानेगा अथवा नहीं?

†**अध्यक्ष महोदय** : अभी से इसके बारे में बताना कठिन है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं ऐसे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता। वे वार्ता के विषय से संबंधित हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रतिवेदन के प्राप्त होने तक हम क्यों न प्रतीक्षा करें?

†**श्री हेम बरुआ** : क्या सरकार का ध्यान श्री चाऊ एन लाई द्वारा ब्रिटिश पत्रकारों से की गई टेलीवीजन भेंट की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने भारत के विरुद्ध हठधर्मी, चीन से सशस्त्र युद्ध के लिये उभाड़ने तथा चीन के विरुद्ध आक्रमण करने के स्पष्ट आरोप लगाये हैं और यदि हां, तो सारी बातें स्पष्ट करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह बात मैंने अखबारों में पढ़ी है। यह वही बात है जो गतवर्ष या उससे पहले चीन के बारे में कही गई थी। जहां तक हमारा संबंध है हमने सारा मामला स्पष्ट रूप से कई बार उन पत्रों में दिया है जो सभा के समक्ष रखे गये हैं तथा जो चर्चा हुई है और दोनों सरकारी दलों द्वारा जिन पत्रों की परीक्षा की जा रही है उन सब में हमने स्पष्ट रूप से इसके बारे में बताया है।

†**श्री वाजपेयी** : आगामी बातचीत के लिये रंगून क्यों चुना गया है और क्या रंगून में वार्ता पूरी करने का कोई प्रस्ताव है?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : वार्ता के तीसरे दौर के लिये रंगून इसलिये चुना गया है क्योंकि उसे सुविधाजनक समझा गया। पहले हमने ही रंगून का सुझाव दिया था और चीनी सरकार ने उसे मान लिया। जैसा कि अभी मैंने एक दूसरे प्रश्न के उत्तर में बताया यह आशा की जाती है कि रंगून में वार्ता के दौरान सारे पत्रों की परीक्षा कर ली जायेगी तथा कोई न कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा, अर्थात् तब तक संभवतः इन सरकारी दलों का काम पूरा हो जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : दोनों प्रतिनिधि-मंडलों की जो बातचीत चल रही है, सम्भव है कि भारतीय प्रतिनिधि-मंडल ने अब तक की बातचीत से प्रधान मंत्री जी को अवगत कराया हो। क्या अब तक की बातचीत से कोई आशा बंधती है कि किसी उचित निर्णय पर पहुंचा जा सकेगा ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं ने अभी कहा है कि इस का जवाब देना न तो मुनासिब है और न ही मैं इस काबिल हूं कि जवाब दूं, क्योंकि इन आफ़िशिल्ज़ को यह नहीं कहा गया है— और न उन को अधिकार है— कि वे कोई समझौते की बातचीत करें। एक एक शहादत का जो कागज़ है, जो कुछ है, उस को वे देखते हैं, जांच करते हैं और दोनों तरफ के आफ़िशल्ज़ अपना अपना व्यू-प्वायंट बताते हैं। इन सब को जमा कर के वे हम को बतायेंगे और अपनी राय देंगे कि कैसी शहादत है। समझौता करना गवर्नमेंट का काम है। यह आफिशल्ज़ का काम नहीं है कि वे बड़े सवालों को हल करने की कोशिश करें।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : चीन के प्रधान मंत्री की ब्रिटिश पत्रकारों के साथ भेंट के पश्चात् क्या सरकार को यह आशा है कि आगे वार्ता के अच्छे परिणाम निकलेंगे ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह प्रश्न दो बार पूछा गया है और मैंने इसका उत्तर दिया है। मैं यह बताना चाहता हूं कि कोई भी आशा करने का सवाल ही नहीं उठता। इस ओर से या उस ओर से पेश किये गये सभी पत्रों की हमारे पदाधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है। हमारा यह ख्याल है कि सबूत मूल रूप से हमारे पक्ष में है, अन्यथा जो रुख हमने अपनाया है वह न अपनाते। अन्तिम परिणाम क्या निकलेगा, यह कई बातों पर निर्भर है।

†**श्री प्र० के० देव** : एक पहले प्रश्न के उत्तर में प्रधान मंत्री ने जो यह बताया था कि इस वार्ता के दौरान आक्रमण की कुछ घटनायें हुई हैं क्या आगे वार्ता करने का कोई लाभदायक परिणाम निकलेगा ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : उन छोटे-छोटे आक्रमणों का इस वार्ता पर अथवा किसी भी इस प्रकार की कार्यवाही पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। यह ठीक है कि ऐसी घटनायें नहीं होनी चाहिये किन्तु साथ हीं वे बड़ी छोटी हैं। इन बड़े प्रश्नों से उनका कोई संबंध नहीं। यदि कोई स्थानीय गश्ती दल गलती कर बैठे, तो उससे हम सीमा सम्बन्धी नीतियां नहीं बदल सकते।

†**श्री खाडिलकर** : बर्मा के प्रधान मंत्री यू नू ने जो यह आशा प्रकट की है कि इस वार्ता का परिणाम अच्छा निकलेगा और शीघ्र ही कोई समझौता हो जायेगा, क्या सरकार को भी कुछ हद तक ऐसी आशा है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** मैं यह उचित नहीं समझता कि इस विषय पर मेरे आदरणीय मित्र तथा बर्मा के प्रधान मंत्री ने जो कुछ कहा है उसकी अप्रत्यक्ष रूप से भी चर्चा करूं।

†**श्री हेम बरुआ** : इस बात को देखते हुये कि श्री चाऊ एन लाई ने टेलीवीजन पर ब्रिटिश पत्रकारों से भेंट की थी तथा यह देखते हुये, जैसा कि अभी प्रधान मंत्री ने स्वीकार किया है, कि चीन बराबर इस बात का प्रचार कर रहा है कि यह केवल एक विवाद है, सरकार ने संसार के समक्ष यह सिद्ध करने के लिये क्या कार्यवाही की है कि यह केवल विवाद की बात नहीं है अपितु चीन ने हमारे देश पर आक्रमण किया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री जवाहरलाल नेहरू : माननीय सदस्य यह जानते हैं कि हमने कई बार इस विषय पर चर्चा की है कि हमने क्या किया है और क्या नहीं किया है। आक्रमण भी एक विवाद ही है। यह बताने से कि यह केवल एक विवाद है, यह सिद्ध नहीं हो जाता कि वह आक्रमण नहीं है। यह तो स्पष्ट ही है कि चीन सरकार जिसका विरोध कर रही है उसका वह स्वीकार कैसे कर सकती है। यह जब उन्हें अवसर मिलेगा वे तो अपने पक्ष की बात कहेंगे ही। उनकी दृष्टि में भारत में उनके विरुद्ध जो आन्दोलन चल रहा है उसके प्रति उनको आपत्ति है।

†श्री हेम बरुआ : क्या "आक्रमण" शब्द का अर्थ "विवाद" से गहरा नहीं है ?

†श्री बि० दास गुप्त : चीन-सभारत सीमा विवाद के सम्बन्ध में रंगून में जब कि भारतीय और चीनी अधिकारियों के बीच वार्ता चल रही है, बर्मा के प्रधान मंत्री भारत आये हैं और उन्होंने यह बताया कि वे चीन-भारत सीमा विवाद के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री से बातचीत करेंगे। क्या उन्होंने इस सम्बन्ध में कोई बातचीत की है और उस वार्ता का उनके भारत आने से कोई सम्बन्ध है ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू मैं प्रश्न को अच्छी तरह समझ नहीं पाया हूं किन्तु जहां तक मैं समझ पाया हूं, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि रंगून में इन पदाधिकारियों के बीच जो बातचीत चल रही है उसका बर्मा के प्रधान मंत्री के भारत आने से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह केवल एक संयोग की बात है और न ही मैंने और बर्मा के प्रधान मंत्री ने इस विषय पर बातचीत की है। बर्मा के प्रधान के प्रधान मंत्री द्वारा यह आशा प्रकट करना कि मामला तय हो जाना चाहिये, बिल्कुल ठीक है। यह एक ऐसी बात है जिसकी हम सदैव आशा करते हैं। यदि मुझे बर्मा-चीन विवाद के सम्बन्ध में बोलने पड़े तो मैं भी यही कहूंगा कि यह तय हो जाना चाहिये।

रानी एलिजाबेथ की भारत यात्रा

\+
*३. { श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री राधा रमण :
श्री कालिका सिंह : }

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रानी एलिजाबेथ की भारत यात्रा के कार्यक्रम को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) जी हां।

(ख) भारत में रानी का आगमन दो भागों में विभक्त किया जाएगा। वह २१ जनवरी, १९६१ को दिल्ली पधारेंगी और १ फरवरी तक भारत में ठहरेंगी। १ फरवरी को वह पाकिस्तान जाएंगी और १६ फरवरी, को भारत लौटेंगी। फिर वह २ मार्च को भारत से विदा लेंगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत में उनके पहले आगमन में वह दिल्ली, जयपुर, आगरा, उदयपुर और अहमदाबाद जाएंगी ।

अपने दूसरे आगमन में वह कलकत्ता, मद्रास, बंगलौर, बम्बई, बनारस जाएंगी और पुनः दिल्ली आएंगी ।

†अध्यक्ष महोदय : आज प्रातः इस ब्योरे के बारे में समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित हो चुकी है । अब अगला प्रश्न लेंगे ।

†श्री इन्द्रजीत गुप्त : समाचारपत्रों में जो प्रकाशित नहीं हुआ मैं उसके बारे में कुछ पूछना चाहता हूं । क्या यह सच है जो कि समाचार पत्रों में पहले प्रकाशित हो चुका है कि यह फैसला किया गया है कि जब राष्ट्रपति अपनी बग्घी में २६ जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में सम्मिलित होने के लिये जाएंगे तो उनकी बग्घी में रानी भी उनके साथ होंगी और यदि हां, तो क्या यह बात सामान्य राज शिष्टाचार से भिन्न नहीं होगी ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : यह सच है कि ऐसा फैसला किया गया है । इस मामले पर पूरी तरह विचार किया गया है । यह फैसला केवल साम्राज्ञी के बारे में ही नहीं अपितु भविष्य में आने वाले सभी राज्यों के प्रमुखों के बारे में राज शिष्टाचार के रूप में किया गया है । पहले एक अवसर आया था जब इस मामले पर वास्तव में पूरी तरह विचार नहीं किया गया था, परन्तु सामान्यतया यह राज शिष्टाचार होता है । जब कोई राज्य प्रमुख आता है, और भविष्य में इस का पालन किया जायगा ।

†श्री आ० कृ० गायकवाड़ : भारत में सम्राज्ञी के आने और ठहरने के लिये सरकार ने कितनी राशि का उपबंध किया है ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : रानी के लौट जाने के पश्चात् मैं इसका उत्तर दे सकंगा ।

मकान और भवन निर्माण विशेषज्ञों का दौरा

*४. श्री बै० च० मलिक : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एशिया और दूरपूर्व सम्बन्धी आर्थिक आयोग की ओर से यूरोप का दौरा करने के लिये एशिया और दूर पूर्व के देशों के मकान और भवन निर्माण विशेषज्ञों के दल में, जिनमें १४ सदस्य थे, भारतीय प्रतिनिधि भी शामिल थे ;

(ख) यदि हां, तो भारत का प्रतिनिधि कौन था ;

(ग) क्या इस दल ने संयुक्त राष्ट्र संघ के एशिया और दूर पूर्व सम्बन्धी आर्थिक आयोग की रिपोर्ट पेश की है; और

(घ) दल में क्या सुझाव दिये हैं ?

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) :(क) से (घ) अपेक्षित जानकारी वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १] ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री ई० च० मलिक** : क्या अध्ययन दल द्वारा दिये गये सुझावों का भारतीय विशेषज्ञों ने परीक्षण किया है और यदि हां, तो क्या उनके बारे में फैसले किया गया है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : यह अध्ययन दौरा संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक कार्य विभाग तथा एशिया एवं सुदूर पूर्व सम्बन्धी आर्थिक परिषद् के तत्वाधान में आयोजित किया गया था। प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्र को पेश किया जा चुका है। उसने अभी इस पर विचार नहीं किया है।

†**श्री तंगामणि** : क्या इस अध्ययन दल के सुझावों पर हाल में बंगलौर में हुए नगर योजना मंत्रियों के सम्मेलन में विचार किया गया था ; और यदि हां, तो एक मुख्य सिफारिश अर्थात् यह कि आवास कार्यक्रम को केन्द्रित किये जाने के बजाये पूर्णतया स्थानीय प्राधिकारों को दे दिया जाना चाहिये, के बारे में उसकी प्रतिक्रिया क्या है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा**: मैं पहले ही कह चुका हूं कि प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्र को पेश किया जा चुका है। अभी उसमें इस पर चर्चा नहीं की है। इस पर वहां चर्चा होने के पश्चात् यह सबद्ध राज्यों को भेजा जायगा।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : इस सम्मेलन में किन किन देशों ने भाग लिया था ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** कम्बोडिया, लंका, भारत, मलाया, हांगकांग, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, जापान, लाओस, पाकिस्तान तथा थाईलैंड।

प्रश्न ५ तथा ३३ के बारे में

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न।

†**श्री बि० दास गुप्त**: प्रश्न ५ तथा ३३ इकट्ठे ले लिये जाएं क्योंकि दोनों का विषय एक है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री दोनों का उत्तर दे सकते हैं।

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : ये भिन्न प्रश्न हैं।

अध्यक्ष महोदय : केवल प्रश्न संख्या ५ का उत्तर दिया जाए। जब तक माननीय मंत्री सहमत न हों, मैं दोनों प्रश्नों की अनुमति नहीं दे सकता।

पुनर्वास मंत्रालय का विघटन

+
*५. { **श्रीमती इला पालचौधरी** :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री प्र० के० देव :
डा० राम सुभग सिंह :

क्या **पुनर्वास तथा अल्प संख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनर्वास मंत्रालय के विघटन का कार्य प्रारम्भ हो गया है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) अब तक मंत्रालय द्वारा जिन विषयों की देखभाल की जाती थी, उनको, विशेषतः पूर्व पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों के मामलों को, अब कौन निपटायेगा ?

†पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २]।

†श्रीमती इला पालचौधरी : पश्चिम बंगाल में आश्रमों तथा अपाहिज घरों का प्रभार किस के पास होगा ? विस्थापित विद्यार्थियों को जो ४० लाख रुपये की अधिवृत्तियां दी जातीं हैं उनका प्रभारी कौन होगा ? क्या यह केन्द्रीय मंत्रालय के अधीन होगा या पश्चिम बंगाल के शिक्षा विभाग को दे दिया जाएगा ? मैं इस बात का स्पष्टीकरण चाहता हूं।

†श्री पू० शे० नास्कर : जैसा कि सभा में रखे विवरण में पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता के बारे में कहा गया है, शिक्षा मंत्रालय शेष समस्याओं की देखभाल करेगा। जहां तक पश्चिम बंगाल के आश्रमों तथा अपाहिज घरों का संबंध है, हम यह विषय शिक्षा मंत्रालय को देने का विचार कर रहे हैं।

†श्री प्र० के० देव : विवरण में दंडकारण्य परियोजना का कोई उल्लेख नहीं। क्या मंत्रालय के विघटन के उपरांत दंडकारण्य परियोजना का व्यय संबद्ध राज्य देंगे ?

†श्री पू० शे० नास्कर : यह सच है कि विवरण में दंडकारण्य विकास प्राधिकार के भविष्य के बारे में कुछ नहीं कहा गया। इस समय यह हमारे प्रशासनिक नियंत्रण में है। दंडकारण्य दीर्घकालीन परियोजना है। उचित समय पर यह भारत सरकार के उपयुक्त मंत्रालय को सौंप दिया जाएगा।

†श्री स० मो० बनर्जी : विवरण से प्रतीत होता है कि उड़ीसा और त्रिपुरा के पुनर्वास विभाग पहले ही बन्द कर दिये गये हैं और बिहार का पुनर्वास विभाग वित्तीय वर्ष के अन्त तक बन्द कर दिया जाएगा। बंगाल और आसाम के बारे में विवरण में कहा गया है कि निर्धारण किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या पश्चिम बंगाल और आसाम में विभाग या इसका कार्य इसी प्रकार जारी रहने की संभावना है और यदि हां, तो किस वर्ष तक।

†श्री पू० शे० नास्कर : माननीय सदस्य की सूचना के लिये मैं कहूंगा कि प्राक्कलन समिति ने अपने पिछले प्रतिवेदन में मंत्रालय को कहा है कि वह यथाशीघ्र पूर्वी क्षेत्र में शेष समस्या की देखभाल करे और इसे भारत सरकार के संबद्ध स्थायी मंत्रालय को सौंप दे। उड़ीसा के बारे में विभाग बन्द कर दिया गया है और वह निधि शेष कार्य के लिये उड़ीसा सरकार को दे दी गई है। पश्चिम बंगाल में शेष कार्य का अनुमान लगाया जा रहा है। ज्योंही शेष कार्य का अनुमान पूरा हो जाएगा यह भारत सरकार के उपयुक्त मंत्रालय को सौंप दिया जाएगा। मुझे बताया गया है कि पश्चिम बंगाल मंत्रालय के बन्द होने के पश्चात् भी अपने विभाग को जारी रखेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या इस बात में कोई सचाई है कि पश्चिम बंगाल में पुनर्वास के सबडिवीजनल तथा जिला दफ्तर ३० नवम्बर तक बन्द कर दिये जाने को कहा गया है ?

†**श्री पू० शे० नास्कर :** मुझे पता नहीं क्योंकि उसका प्रशासन पश्चिम बंगाल सरकार के हाथ में है।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** इन दफ्तरों के बन्द किये जाने के कारण कितने कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिये जाने की संभावना है ? जिन मंत्रालयों को शेष कार्य दिया जा रहा है उनमें इन कर्मचारियों को लगाने के लिये क्या कार्रवाई की जा रही है ?

†**श्री पू० शे० नास्कर :** इस विषय पर पृथक प्रश्न है। यदि वह पूछा जाएगा तो उत्तर दिया जाएगा।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** स्वभावतः यह प्रश्न उठता है कि इसका मंत्रालयों और कर्मचारियों पर समान प्रभाव पड़ता है।

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि मंत्रालय बन्द किया जाता है तो कर्मचारियों का क्या होगा ?

†**श्री पू० शे० नास्कर :** क्या प्रश्न राज्य विभागों के बारे में है या केन्द्रीय मंत्रालय के बारे में यह राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व होगा कि वे अपने स्थायी कर्मचारियों को अन्यत्र लगाये और अस्थायी कर्मचारियों के बारे में जो करना चाहें करें। यह पुनर्वास मंत्रालय का काम नहीं है कि राज्यों के पुनर्वास विभाग के कर्मचारियों को अन्यत्र नौकरी पर लगाये।

†**श्री वाजपेयी :** केन्द्रीय पुनर्वास मंत्रालय के कर्मचारियों का क्या होगा ?

†**अध्यक्ष महोदय :** उन्हें नौकरी पर लगाना केन्द्रीय सरकार का कर्तव्य होगा।

†**श्री बिमल घोष :** उपमंत्री जी ने बताया है कि विभाग समस्या के अनुमान लगाये जाने के शीघ्र पश्चात ही बन्द कर दिया जाएगा। क्या यह समझा जाए कि केवल समस्या का अनुमान लगा कर ही, विस्थापित लोगों का पुनर्वास किये बिना ही, विभाग बन्द कर दिया जाएगा ?

†**श्री पू० शे० नास्कर :** शेष कार्य का अनुमान लगाया जाएगा और वह केन्द्रीय सरकार के उपयुक्त स्थायी मंत्रालयों को सौंप दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल का विभाग केन्द्रीय पुनर्वास मंत्रालय के बन्द होने के पश्चात् भी जारी रहेगा।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** माननीय मंत्री ने कहा है कि उड़ीसा सरकार को विस्थापितों सम्बन्धी शेष कार्य को चलाने के लिये धन आवंटित किया गया है। क्या विस्थापितों की सब मांगें पूरी कर दी गई हैं और क्या केन्द्रीय सरकार उड़ीसा में इन शरणार्थियों के लाभार्थ और अधिक धन मंजूर कर रही है ?

†**श्री पू० शे० नास्कर :** उड़ीसा राज्य सरकार के साथ परामर्श के पश्चात् वहां शरणार्थियों संबंधी शेष कार्य की समस्या को हल करने के लिये राज्य सरकार को २० लाख रुपये मंजूर किये गये हैं। जब अधिक राशि की प्रार्थना प्राप्त होगी तो उस पर विचार किया जाएगा।

---

†मूल अंग्रेजी में.

कपड़े की कीमतें

+[

†*६. श्री राजेन्द्र सिंह :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री तंगामणि :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री सै० अ० मेहदी :
श्री प्र० गं० देब :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री साधन गुप्त :
श्री प्र० के० देव :
श्री सुबिमन घोष :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री कालिका सिंह :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री बि० दास गुप्त :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री पुन्नूस :
श्री वोडयार :
श्री खीमजी :
श्री रामी रेड्डी :
श्री हाल्दर :
श्री हेम बरुआ :
श्रीमती रेणुका राय :
श्री पु० र० पटेल :
श्री मा० ग० गांधी :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा उद्योग के मालिकों ने कपड़े की कीमतों में और कमी करने के बारे में सरकार क अनुरोध को मान लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन्होंने कितनी कमी करना स्वीकार किया है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी वाला टिप्पण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

टिप्पण

सरकार के सुझाव पर उद्योग से ३–९–१९६० को भारतीय सूती कपड़ा मिल फेडरेशन द्वारा घोषित फार्मूले के आधार पर सूती कपड़े के मूल्य फिर से निर्धारित कर दिये हैं । इस

†मूल अंग्रेजी में।

फार्मूले के अधीन मिलों को अगस्त १९५९ संविदा मूल्यों के आधार की तुलना में घटिया के लिये २५% निम्न मध्य के लिये २२%, उच्च मध्य के लिये १८% बढ़िया के लिये ११½% और अति बढ़िया के लिये ९ प्रतिशत से अधिक मूल्य लेने से रोक दिया गया है। जहां कहीं वर्तमान संविदा मूल्य कम थे, कपड़ा कम दामों पर बेचा जाता रहेगा। इस से ११ अगस्त १९६० को फेडरेशन द्वारा घोषित मूल्य से निश्चित ही कमी होगी, जो अक्तूबर १९५९ में चालू अधिक-स्तर मूल्यों पर आधारित थे।

२. फेडरेशन ने मिलों को यह भी कहा है कि वे सब कपड़ों पर मिल से निकलने तथा बाजार में बिकने के मूल्यों की मुहर लगायें और यह किया जा रहा है। इस में कोई संदेह नहीं है कि मूल्यों को बढ़ने से रोक दिया गया है। नई रुई फसल आने के साथ, सरकार ने इसके लिये कार्रवाई की है कि मिलों को उचित दामों पर रुई दी जाए और इस से स्थिति में और अधिक सुधार होगा।

†**श्री राजेन्द्र सिंह :** उत्तर के साथ लगे हुए टिप्पण से यह स्पष्ट पता चलता है कि सरकार कपड़े के दामों के कमी के लिये पूर्णतः भारतीय सूती कपड़ा मिल फेडरेशन पर निर्भर करती है। क्या सरकार ने उपभोक्ताओं को उचित दामों पर कपड़ा देने के लिये मिल मालिकों को अपनी सब शक्तियां दे दी हैं?

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य केवल यह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार ने इस मामले पर अपना स्वतंत्र निर्णय किया है या यह उन पर छोड़ दिया है।

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** जी, हां। हमने अपना फैसला किया है। माननीय सदस्य उस समय उपस्थित थे जब इस विषय पर इस सभा में लगभग दो घंटे तक चर्चा हुई थी। मैंने बताया था कि हम फेडरेशन के साथ बातचीत करेंगे और कुछ निर्णय करेंगे। उस के अनुसार हमने चर्चा की और कुछ फैसले किये जो माननीय सदस्यों तथा जनता को विदित हैं।

†**श्री राजेन्द्र सिंह :** क्या सरकार यह सोचती है कि भारतीय सूती कपड़ा मिल फेडरेशन की सलाह से जो अधिक दाम निर्धारित किये गये हैं वे उपभोक्ताओं की दृष्टि से उचित हैं?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** मैं कह चुका हूं कि बढ़ौती उचित नहीं थी, परन्तु जो कमी बाद में की गई मैं उससे पूर्णतया संतुष्ट तो नहीं था, परन्तु वह निश्चय ही काफी थी और पिछली कमी से अधिक थी।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** अब नई रुई की फसल आ रही है और सरकार कहती है कि वह मिलों को रुई देने की व्यवस्था करेगी और उस से अधिक सुधार होगा। तो क्या सरकार उक्त फार्मूला को और कम करने के लिये क्या और कोई कार्रवाई नहीं कर रही है?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** आशा है कि कपास के पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाने पर कीमतें स्वयंमेव कम हो जायेंगी। कपास सामान्यतया नवम्बर मास के अन्त तक बाजार में आ जाती है। उसका आगमन अब प्रारम्भ हो गया है और नवम्बर के अन्त तक उसकी सभी किस्में बाजार में आ जायेंगी। आशा है कि उस समय कीमतों में निश्चित रूप से कमी हो जायेगी, क्योंकि कीमतें सामान्यतया कपास पर ही निर्भर करती हैं।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या यह सच नहीं है कि मिल मालिकों ने कपड़े पर खुदरा कीमतों को अंकित करने की रीति का विरोध किया है क्योंकि उन्हें इस बात का भय है कि यदि खुदरा कीमतों को अंकित किया गया तो कपड़ा चोर बाजारों में चला जायेगा ? यदि हां, तो सरकार कपड़े को चोर बाजारों में जाने से रोकने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करेगी ताकि स्थिति और अधिक खराब न हो जाये ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : माननीय सदस्या की जानकारी गलत है। मिल मालिकों ने कपड़े पर कीमतें अंकित करने का कभी भी विरोध नहीं किया है। वास्तव में कपड़ों पर कीमतें अंकित की जा रही हैं।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या सरकार के ध्यान में ऐसी रिपोर्ट आयी है कि कपड़ों पर अंकित मूल्य कई बार सामान्य मूल्यों से भी अधिक होते हैं ? ये रिपोर्ट समाचार पत्रों में भी छपी है।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : जी, नहीं, जहां तक मुझे ज्ञात है, यह कथन सत्य नहीं है।

†**श्री रामी रेड्डी** : क्या सरकार को ज्ञात है कि कपड़ों पर मूल्य अंकित करने के सम्बन्ध में निर्णय करने से पहले थोक तथा खुदरा व्यापारियों के पास कपड़े का बहुत अधिक स्टाक पड़ा हुआ था, और यदि हां, तो क्या वे व्यापारी उस स्टाक को चोर बाज़ारी में बेच रहे हैं और यदि बेच रहे हैं, तो क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखेगी कि वह सामान अंकित कीमतों पर ही बेचा जाये ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : जी नहीं। यह तो सच है कि लगभग १५ दिन पूर्व तक थोक व्यापारियों के पास ऐसा बहुत सा स्टाक था जिस पर मोहर नहीं लगी थी। परन्तु वह स्टाक तो बिक चुका है और इस समय भी बिक रहा है। वह स्टाक लगभग समाप्त हो चुका है और इस समय बाज़ार में अंकित माल बिकना प्रारम्भ हो गया है।

†**श्री त्यागी** : क्या कीमतों में यह कमी केवल उसी कपड़े पर लागू की जायेगी जो कि देश के अन्दर बिकता है, या कि उस पर भी लागू होगी जिसका निर्यात किया जाता है, क्योंकि हमें बिदेशों से बड़े भारी मुकाबले का सामना करना पड़ रहा है ?

†**श्री कानूनगो** : निर्यात की कीमतों पर हम नियन्त्रण नहीं रख सकते। वे तो अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर निर्भर करती हैं ? उन पर मुहर लगाने का कोई प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता। उनकी कीमतें तो पारस्परिक वार्तालाप तथा संविदाओं पर निर्भर करती हैं।

†**श्री त्यागी** : मैं मुहर लगाने के बारे में नहीं, अपितु कीमतें घटाने के बारे में पूछ रहा हूं।

†**श्री कानूनगो** : स्पष्टतया हमारे कपड़े के अन्तरिक मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों की तुलना में अधिक हैं। कुछ एक किस्मों के कपड़े के मूल्य कम हैं क्योंकि उनमें उपकर तथा अन्य बातों को नज़रअन्दाज कर दिया जाता है।

†**श्री तंगामणि** : क्या सरकार भारतीय कपास मिल्स फेडरेशन से यह निवेदन करेगी कि वह प्रचलित मूल्यों में कमी करे क्योंकि वे मूल्य अगस्त, १९५९ के मल्यों की तुलना में २५ प्रतिशत अधिक हैं ? इसके अतिरिक्त दक्षिण भारतीय मिल मालिकों ने मोटे कपड़े के अतिरिक्त मोटे सूत की कीमतों में भी कमी करने के सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : लगभग सभी दक्षिण भारतीय मिल मालिकों ने फेडरेशन द्वारा प्रस्तावित सूत्र को स्वीकार कर लिया है। मेरा ख्याल है कि केवल तीन चार मिलों ने फेड-

---

†मूल अंग्रेज़ी में

रेशन के सुझाव को अभी तक स्वीकार नहीं किया है और फेडरेशन उन से इस सम्बन्ध में बातचीत कर रहा है। यदि वे मिलें फेडरेशन के सुझाव को स्वीकार करने से इनकार कर देती हैं, तो उस स्थिति में हम विचार करेंगे कि उन मिलों के कपड़ों के सम्बन्ध में कार्यवाही की जाये। जहां तक धागे का सम्बन्ध है, इस बारे में सभी मिलों ने फेडरेशन के निर्णय को स्वीकार कर लिया है।

†श्री ब्रजराज सिंह : माननीय मंत्री ने यह आशा अभिव्यक्त की है कि कपास की नई फसल के आगमन पर कीमतों में कमी हो जायेगी। परन्तु क्या सरकार इस प्रकार की कोई कार्यवाही कर रही है जिससे मिल मालिकों को बाध्य किया जा सके कि वे नई फसल के आने पर कीमतों में कमी कर दें ?

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : जी हां, हम उन्हें बाध्य करेंगे अर्थात् उन पर नियंत्रण तथा राशन पद्धति लागू कर दी जायेगी। हम इस सम्बन्ध में विचार कर भी रहे हैं। परन्तु यदि कपास की पर्याप्त मात्रा के पहुंच जाने पर स्थिति सुधर गई तो नियंत्रण अथवा राशन का प्रयत्न उत्पन्न ही नहीं होगा।

†श्री ब्रजराज सिंह : मैं इस सम्बन्ध में कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं। एक अन्य अवसर पर सभा में हुई चर्चा में माननीय मंत्री ने यह कहा था कि नियंत्रण तथा राशन के अतिरिक्त ऐसे और भी कई उपाय हैं जिनसे सरकार मिल मालिकों को इस के लिये बाध्य कर सकती है। क्या सरकार ने उन अन्य उपायों का उपयोग किया है ?

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : संभवतः माननीय सदस्य भूल गये हैं कि उस चर्चा के दौरान मैंने क्या कहा था। जैसा कि मैंने कहा था, कपास की उपलब्ध मात्रा के सम्बन्ध में हमने निश्चित रूप से कार्यवाही की है और हमारे पास वह शक्ति है जिससे हम वस्त्र मिलों को कपास संभरित करने के लिये कपास की वसूली कर सकते हैं। आशा है कि उस कार्यवाही से पर्याप्त प्रभाव होगा। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को कुछ समय के लिये प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। नवम्बर मास का अन्त अधिक दूर नहीं है। यदि उस समय तक मूल्यों में कमी न हुई तो हमें दिसम्बर मास में आवश्यक कार्यवाही करनी पड़ेगी।

†श्री सिंहासन सिंह : मैं माननीय मंत्री का ध्यान भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री टी० टी० कृष्णमाचारी द्वारा उस समय सभा में दिये गये इस वक्तव्य की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जिसमें उन्होंने उत्पादन शुल्क बढ़ाते समय यह कहा था कि इस सम्पूर्ण राशि को केवल उपभोक्ताओं को ही वहन नहीं करना पड़ेगा। कुछ अंश मिलमालिकों द्वारा, कुछ अंश बीच के दलालों को और शेष अंश उपभोक्ताओं को सहन करना पड़ेगा। अब कपड़े पर कीमतें अंकित कर दी गई हैं, प्रत्येक कपड़े पर उत्पादन शुल्क को भी अलग रूप से अंकित कर दिया गया है और वह शुल्क पूरा का पूरा उपभोक्ताओं से वसूल किया जा रहा है। क्या सरकार कोई ऐसा उपाय सोच रही है जिससे उत्पादन शुल्क का भार सभी द्वारा बराबर बराबर वहन किया जा सके ?

†श्री कानूनगो : उत्पादन शुल्क अंकित मूल्यों में ही सम्मिलित है।

†श्री सिंहासन सिंह : जी, नहीं। वह अलग रूप से अंकित होता है और उपभोक्ताओं को वह अदा करना पड़ता है।

†अध्यक्ष महोदय : तर्क-वितर्क से कोई लाभ नहीं है। गत बार मैंने दो घण्टे की चर्चा का अवसर दिया था। इसलिये अब इस बारे में और अधिक चर्चा अथवा अनुपूरक प्रश्नों के लिये मैं अनुमति नहीं दे सकता।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री त्यागी :** क्या सरकार ने कपड़े के मूल्यों में पर्याप्त मात्रा में कमी करने के लिये उद्योग के लिये स्वचालित यंत्र लगाने और इसके वैज्ञानिकन के सम्बन्ध में विचार किया है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** यह एक व्यापक प्रश्न है । मिलों के लिये पहले ही कई स्वचालित करघों की अनुमति दी जा चुकी है । परन्तु खेद है कि जितने करघे आवंटित किये गये हैं, उनका पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है ।

इस सम्बन्ध में मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि कपड़े की कीमतों में निश्चित रूप से सुकरता आ गई है । स्थिति अब बेहतर है । "फ़ाइन' और 'सुपर फ़ाइन' कपड़े के मूल्यों में तो निश्चित रूप से कमी हुई है । 'कोर्स' और 'मीडियम' किस्म के कपड़े के मूल्यों में भी पर्याप्त सुधार हुआ है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री ने स्पष्टतया बता दिया है कि इस मास के अन्त तक मामला सुलझ जायेगा । यदि ऐसा न हुआ तो मैं निश्चित रूप से माननीय सदस्यों को अवसर प्रदान करूंगा कि वे इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री से प्रश्न पूछ सकें । वर्तमान सत्र तो लगभग २२ दिसम्बर, तक जारी रहेगा ।

दादरा और नगरहवेली का एकीकरण

\+

*७.
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री नरदेव स्नातक :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री सुमन घोष :
श्री रामेश्वर टांटिया :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री बी० दास गुप्त :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री जगन्नाथराव :
श्री कोडियान :
श्री वोडियार :
श्री गोरे :
श्री आचार :
श्री आसर :
श्री हेम बरुआ :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दादरा और नगर हवेली की मुक्त बस्तियों के भारत संघ के साथ एकीकरण के प्रश्न पर इस बीच विचार कर लिया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**वैदशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार ने यह निर्णय किया है कि फिलहाल दादरा और नगर हवेली की वरिष्ठ पंचायत की इस प्रार्थना को स्वीकार न किया जाये जिसमें यह कहा गया था कि उन बस्तियों को भारतीय संघ में मिला लिया जाये ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : जब स्वयं उनकी ओर से प्रार्थना की गई है तो उसे स्वीकार करने के मार्ग में क्या क्या कठिनाइयां हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : कोई मुख्य बाधा तो नहीं है । कुछ एक कठिनाइयां हैं जो कि दूर भी की जा सकती हैं । परन्तु सम्पूर्ण मामले पर विचार करने के बाद हमने यही सोचा है कि इस निवेदन को अभी फिलहाल स्वीकार न किया जाये । वास्तव में उन क्षेत्रों का कार्य अच्छी प्रकार से चल रहा है । उन्होंने हम से कुछ प्रविधिक सहायता मांगी थी और हमने एक उच्च शक्ति प्राप्त अधिकारी भेज दिया है । इसमें रिपोर्ट भी भेज दी है । हमने अपने परामर्श सहित वह रिपोर्ट उनके पास भेज दी है । वहां का कार्य अच्छी प्रकार से चल रहा है, इसलिये हम नहीं समझते कि इस समय किसी भी हमारी कार्यवाही की कोई आवश्यकता है । उन क्षेत्रों को भारत में मिला लेने के बारे में निर्णय करना हम पर निर्भर करता है ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : माननीय प्रधान मंत्री ने अभी अभी यह बताया है कि वहां पर कार्य चलाने के लिये कुछ पदाधिकारी भेजे गये हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वे भारत सरकार की ओर से कार्य कर रहे हैं या उन्हें स्थानीय अधिकारियों द्वारा वेतन अदा किये जायेंगे ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : वहां तो केवल एक ही पदाधिकारी भेजा गया था और वह भी केवल रिपोर्ट तैयार करने के लिये । उसने रिपोर्ट भेज दी है और अब वह वापिस आ गया है । वहां जो भी व्यक्ति काम करता है उसे वेतन वहां के प्राधिकार से ही प्राप्त होता है ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या सरकार को ज्ञात है कि पुर्तगाल ने अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय को अपने पक्ष में विजय के रूप में घोषित किया है और उस खुशी में उन्होंने रोशनी आदि भी की थी । यदि हां, तो क्या भारत सरकार उस कारण से अभी इन दो बस्तियों को भारत में मिला लेने के सम्बन्ध में निर्णय करने में संकोच कर रही है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : उसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है । संभवतः माननीय सदस्य को ज्ञात होगा कि पुर्तगाल ने इस निर्णय के घोषित होने से पहले ही अपनी विजय मनानी प्रारम्भ कर दी थी ।

†**श्री हेम बरुआ** : आतिशबाजी भी की गई थी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी, हां, वे इसी के लिये तैयार की गई थीं ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : जब तक इन बस्तियों को पूर्णरूपेण इस देश के साथ न मिला लिया जायेगा तब तक उन क्षेत्रों के निवासी जिन्हें भारतीय नागरिकता के सभी अधिकार प्राप्त करने का अधिकार है, उन अधिकारों से वंचित रह जायेंगे । जब उन्होंने सफलतापूर्वक स्वातन्त्र्य संघर्ष का सामना किया है, और पुर्तगाली शासन के जुए को उतार

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री जवाहरलाल नेहरू : यह तो स्पष्ट है कि इन क्षेत्रों को भारत में मिला लिया जायेगा

†एक माननीय सदस्य : परन्तु अभी क्यों नहीं ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : प्रश्न यह है कि विलय का ऐसा कौन सा उपयुक्त समय है जो कि उन लोगों के लिये और हमारे लिये लाभदायक सिद्ध हो सके। इसके अतिरिक्त अन्य बातों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। इस दौरान में उन्हें कोई हानि तो हो नहीं रही। माननीय सदस्य ने नागरिकता तथा अन्य विशेषाधिकारियों की ओर संकेत किया है। उन्हें केवल एक अधिकार प्राप्त नहीं है और वह है संसद् के लिये अथवा गुजरात विधान सभा के लिये मतदान देने का अधिकार। परन्तु शेष तो उनका कार्य अच्छी प्रकार से चल रहा है। और फिर हमारा यह भी तो विचार है कि यदि इस छोटे से क्षेत्र को मिला दिया गया तो उसका अस्तित्व शेष व्यापक देश में मिल जायेगा और उसे निश्चित रूप से प्रगति करने का अवसर न मिल सकेगा। इसीलिये हमने यही अच्छा समझा कि उसका कार्य फिलहाल एक ग्राम पंचायत या ग्राम गणराज्य के रूप में चलता रहे। यह एक रुचिकर प्रयोग चल रहा है।

भारी विद्युत् उपकरण परियोजना

+

†*८. श्री राधा रमण :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री अ० मु० तारिक :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री मोरारका :
श्री विद्या चरण शुक्ल :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री कोडियान :
श्री खीमजी :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री रामी रेड्डी :
श्री मणियंगाडन :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में सोवियत रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से दो भारी विद्युत् उपकरण संयंत्र स्थापित करने के प्रबन्ध को अन्तिम रूप देने के लिए जो प्रतिनिधि मंडल

†मूल अंग्रेजी में

सोवियत रूस और चेकोस्लोवाकिया गया था, क्या वह लौट आया है और उसने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इन रिपोर्टों की महत्वपूर्ण बातें क्या हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). शिल्पिक प्रतिनिधि मंडल २९ सितम्बर, १९६० और १९ अक्तूबर, १९६० के बीच सोवियत संघ और चेकोस्लोवाकिया गया था । शिल्पक प्रतिनिधि मंडल की कोई औपचारिक रपोर्ट नहीं होगी कन्तु उनके अध्ययन से विदेशी कम्पनियों के विशेषज्ञों स परामर्श परियोजनाओं के ब्यौरे तैयार करने में मदद मलेगी ।

†**श्री राधा रमण** : क्या भारत सरकार यह पहले ही तय कर चुकी है कि ये कारखाने कहां बनाये जायेंगे और जो प्रतिनिधि मंडल इन दो देशों से सहकार्य के लिए गया था क्या उसने, इससे पहले कि ये दो कारखाने खोलने का काम शुरू किया जाये, विचार करने के लिए कुछ विशिष्ट बातों का उल्लेख किया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है, प्रतिनिधि मंडल को उन वास्तविक कारखानों को, जिनके साथ हम सहकार्य कर रहे हैं, देखने से काफी लाभ हुआ है । उसे ध्यान में रख कर कार्यक्रम में काफी संशोधन और परिवर्तन किये जायेंगे । जहां तक स्थान का संबंध है, वह तो परियोजना तैयार करने के बाद की बात है और हेवी इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की शिल्पिक समिति को स्थान चुनने के लिए कहा गया है ।

†**श्री राधा रमण** : यदि भारत सरकार इन दो सरकारों के सहकार्य से यह दो परियोजनाएं चालू करती है, तो इन दो परियोजनाओं के लिए कुल कितनी धनराशि आवश्यक होगी ? तीनों सरकारों का उसमें कितना कितना हिस्सा होगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जहां तक कुल अनुमान का संबंध है, सोवियत परियोजनायें लगभग ५० करोड़ रुपये का कुल विनियोजन होगा और जेक परियोजना में लगभग ४० करोड़ रुपये लगेंगे । शिल्पिक जानकारी और विदेशी मुद्रा के ऋण को छोड़ कर दोनों देशों के बीच कोई साझेदारी नहीं है । जैसा कि सभा को अवगत है, सोवियत संघ ने हमें तीन ऋण दिये हैं जिसमें यह किया जायगा ; और जेक सरकार ने भी एक ऋण दिया है जिसमें यह किया जायगा ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : इन परियोजनाओं को तय करने में कितना समय लगेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : तीन या चार महीने से अधिक समय नहीं लगेगा ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या इन दो भारी विद्युत् उपकरण कारखानों की परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का काम किसी दल या विशेषज्ञों की फर्म को सौंपा गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : वास्तव में, मोटे मोटे ब्योरे पहले ही निश्चित किये जा चुके हैं । प्रतिनिधि मंडल उन ब्योरों की और जांच पड़ताल करने के लिए गया था । उसमें तीन महीने से अधिक समय नहीं लगेगा । इस परियोजना रिपोर्ट में टर्बाइन, आल्टरनेटर और अन्य अनेक भारी विद्युत् उपकरणों का यथोचित विवेचन किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री तिरुमल राव** : माननीय मंत्री ने बताया कि प्रतिनिधि मंडल की कोई औपचारिक रिपोर्ट नहीं है और उन्होंने यह भी बताया कि प्रतिनिधि मंडल को लाभ हुआ। प्रतिनिधि मंडल को जो लाभ हुआ क्या वह भारत सरकार की फाइलों में यथोचित रूप से उतारा गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : औपचारिक रिपोर्ट वह होती है जो सरकार को पेश की जाती है । हां, इस मामले में, विभिन्न सदस्यों के अध्ययन के प्रकाश में, संपूर्ण परियोजनाओं और ब्यौरों पर विचार किया जायगा ।

†**श्री तिरुमल राव** : क्या वे हम पर विश्वास कर के हमें भी रिपोर्टें दिखायेंगे ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह किसी औपचारिक ढंग की किसी रिपोर्ट की बात नहीं है । भारत सरकार के जो शिल्पिक विशेषज्ञ इस प्रतिनिधि मंडल में गये उन्होंने भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से इस बात का अध्ययन किया कि वे देश किन किन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और हमारे लिए सर्वोत्कृष्ट क्या होगा । उसे ध्यान में रख कर परियोजना रिपोर्टें अंतिम रूप से तैयार की जायेंगी और वे रिपोर्टें सभा के समक्ष होंगी ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि यह भारी विद्युत उपकरण तयार करने के कारखाने भूपाल के अतिरिक्त भारत में और किन किन स्थानों पर खोले जायेंगे ? क्या ऐसी कोई योजना विचाराधीन है ?

श्री मनुभाई शाह : यही तो मैं ने बतलाया कि दो कारखाने एक उत्तर में और एक दक्षिण में लगाये जायेंगे ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या उन के वास्ते जगहें तय हो गई हैं ?

श्री मनुभाई शाह : जगह अभी तय नहीं की गई है ।

†**श्री वी० चं० शर्मा** : क्या इन दो विद्युत उपकरण कारखानों से वह काम दोबारा नहीं होगा जो भोपाल में पहले ही हो रहा है अथवा उन में और किसी प्रकार की प्रगति की योजना है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हम दोबारा कोई काम नहीं करेंगे किन्तु हम देश के लिय भारी विद्युत् उपकरणों का उत्पादन बढ़ायेंगे जिस से कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हम सभी प्रकार के भारी विद्युत् उपकरणों की राष्ट्रीय आवश्यकता का लगभग ७५ प्रतिशत पूरा कर सकें ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या स्थान के बारे में निर्णय करने से पहले दावों के बारे में विभिन्न राज्यों के दृष्टिकोण मांगे जा रहे हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जैसा कि माननीय सदस्य को मालूम है, आजकल दृष्टिकोण मांगने की आवश्यकता नहीं है । हमारे पास प्रायः सभी परियोजनाओं के लिए प्रत्येक राज्य से निरन्तर प्रार्थनायें आती हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ग्रजित सिंह सरहदी :** मैं दावों क बारे में पूछता हूं। मेरा प्रश्न यह है कि क्या उन के दावों के बारे में विभिन्न राज्यों के दृष्टिकोण स्थान निश्चित करने के लिए मांगे गये हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : वहां दावों का कोई प्रश्न नहीं है । परियोजनायें राष्ट्रीय नीति के अनुसार स्थापित की जाती हैं । उनके लिए हम, यथासंभव, उन स्थानों को चुनते हैं जो पिछड़े हुए प्रदेश होते हैं अथवा उन जगहों को नहीं चुनते जहां पहले ही अनेक उद्योग रहते हैं या जहां पहले ही भारी विद्युत् उपकरण के कोई उद्योग हों ।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त :** माननीय मंत्री ने बताया कि एक कारखाना उत्तरी भारत में खोला जायगा । क्या कोई स्थान चुन लिया गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी नहीं ।

श्री म० ला द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या निजी उद्योगपतियों से भी कुछ ऐसे सुझाव आये हैं कि वह इलेक्ट्रिकल प्लांट्स खोलेंगे ग्रौर यदि हां तो क्या सरकार सुझाव ग्राने पर उनकी मदद कर सकेगी ग्रौर जो लोग रूस ग्रौर चेकोस्लोवाकिया विजिट करने गये थे क्या उनकी राय भी उनको उपलब्ध हो सकेगी ?

श्री मनुभाई शाह : जी हां यह बात है कि बहुत से खानगी क्षेत्रों से प्राइवेट सैक्टर से बहुत से प्रपोजल्स ग्राये हैं ग्रौर हमारा इरादा है कि एक दफे तीनों प्रोजेक्ट्स के दरमियान एक मर्यादा तय की जाय ग्रौर उसके बाद जो जो खानगी क्षेत्र के प्रपोजल्स हों ग्रौर उनमें भी बनाने की गुंजाइश हो तो उनको भी देखा जाय ग्रौर उनको मंजूर करने की कोशिश की जाय ।

†**श्री मुरारका :** माननीय मंत्री ने ग्रभी ग्रभी बताया कि सोवियत कारखाने में ५० करोड़ रुपये की ग्रौर जेक कारखाने में ४० करोड़ रुपये की लागत लगेगी । क्या मैं जान सकता हूं कि ग्रन्तिम लागत, विदेशों से मंगाये गये उपकरण के बारे में, किस प्रकार निर्धारित की जा रही है ? क्या सब जगह से टेंडर मंगाये जायेंगे या वह विशेषज्ञों की समिति द्वारा निर्धारित की जायगी ? वे उपकरण की लागत किस प्रकार निर्धारित करने जा रहे हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह:** जैसा कि सभा को मालूम है, ये सब सम्बद्ध ऋण हैं। किन्तु उसका यह मतलब नहीं कि हम विभिन्न देशों के पूंजी माल ग्रौर उपकरण का तुलनात्मक ग्रध्ययन नहीं करते । विस्तृत तुलना के लिये हमने काफी ग्रनुभव प्राप्त कर लिया है । यद्यपि ऋण देने वाले देशों से हमें कुछ साज सामान खरीदना है, फिर भी हमारे पास इन सभी पूंजी माल की लागत के बहुत विश्वसनीय तुलनात्मक ग्रांकड़े हैं ।

†**श्री ग्र० क० गोपालन:** केरल राज्य ग्रौद्योगिक दृष्टि से सबसे ग्रधिक पिछड़ा होने के कारण क्या इसे केरल राज्य में स्थापित करने के बारे में केरल राज्य से कोई प्रार्थना प्राप्त हुई है ? क्या उस पर विचार किया जायगा ?

†**श्री मनुभाई शाह:** मैं पहले ही बता चुका हूं कि प्रत्येक राज्य ने सभी परियोजनाग्रों के लिये हमसे प्रार्थना की है । हम प्रत्येक राज्य की मांग पर उचित रूप से विचार करते हैं ।

---

†मूल ग्रंग्रेजी में

†श्री विद्या चरण शुक्ल : भारत सरकार की नीति यह है कि पिछड़े हुये क्षेत्रों में ये कारखाने स्थापित किये जायें। क्या मैं जान सकता हूं कि सरकारी तौर पर पिछड़े हुये क्षेत्र की किस प्रकार व्याख्या की जाती है ?

†श्री मनुभाई शाह : मैंने बताया कि पहले पिछड़े हुये क्षेत्रों में और उन क्षेत्रों को रद्द कर दिया जाता है जहां बहुत अधिक उद्योग हों। ये काफी प्रचलित शब्द हैं और इन क्षेत्रों को चुनना कठिन नहीं होना चाहिये ।

†श्री विद्या चरण शुक्ल : आयोजन आयोग सरकारी तौर पर पिछड़े हुये क्षेत्र की व्याख्या नहीं कर सका है। किस आधार पर क्षेत्रों को पिछड़ा हुआ समझा जाता है ?

†अध्यक्ष महोदय : वे व्याख्या न करें किन्तु वे जानते हैं कि कौन पिछड़ा हुआ है।

†श्री अन्सार हरवानी : क्या सरकार स्वतः मशीनों का आयात करेगी या आयात करने वाले पुराने लोगों की सेवायें काम में लायी जायेंगी ?

†श्री मनुभाई शाह : वह तो सरकारों के बीच का परस्पर सौदा है। इसलिये आयात करने वाले लोगों के अभिकरण को काम में लाने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता। यह तो ठेके की जिम्मेदारियां हैं ।

†राजा महेन्द्र प्रताप : क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि इन उद्योगों को अमृतसर, मथुरा, बुद्धगया और अजमेर जैसे तीर्थयात्रा के स्थानों पर स्थापित करना अधिक अच्छा होगा ?

†अध्यक्ष महोदय : यह तो कार्यवाही के लिये सुझाव हैं। माननीय मंत्री उन्हें नोट कर लें।

खानों में सुरक्षा के लिये शिक्षा

†* ९. श्री त० ब० विठ्ठल राव : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुरक्षा, शिक्षा और प्रचार संबंधी समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इनकी जांच की है ; और

(घ) उपरोक्त समिति द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार राष्ट्रीय खान सुरक्षा परिषद् के निर्माण के संबंध में कब कार्य शुरू किये जाने की संभावना है ?

†श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) समिति ने शिक्षा और प्रचार के जरिये सुरक्षा बढ़ाने के कुछ उपायों की सिफारिश की है और यह सुझाव दिया है कि इस प्रयोजन के लिये स्थापित राष्ट्रीय खान सुरक्षा परिषद् को ये उपाय सौंप दिये जायें ।

(ग) जी हां ।

(घ) सर्वप्रथम, मालिकों, कर्मचारियों और खान प्रबन्धकों के संगठनों आदि से राय ली जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या समिति की यह रिपोर्ट कर्मचारियों के संगठनों में परिचलित की गयी थी ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** यह अभी हाल में परिचालित की गयी थी । हम एक महीने के अन्दर उनकी रिपोर्ट की आशा करते हैं ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या खानों के मुख्य निरीक्षक की यह रिपोर्ट है कि खानों में दुर्घटनाओं की दर बराबर बढ़ती जा रही है और प्रतिवर्ष औसतन लगभग ४०० घातक दुर्घटनायें होती हैं ? यदि हां तो इस विषय में, राष्ट्रीय खान सुरक्षा परिषद् स्थापित करने के अलावा, और क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** मैं प्रश्न नहीं समझ सका ।

†**अध्यक्ष महोदय:** वे कहते हैं कि लगभग ४०० दुर्घटनायें होती हैं । इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिये राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् की स्थापना के अलावा क्या और कोई विशेष कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** जी हां ।

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा) :** यह तो उन अनेक कार्यवाहियों में से एक है जिन पर डेढ़ साल पहले संगठित किये गये सुरक्षा संबंधी सम्मेलन ने विचार किया था और निर्णय किया था और उसके फलस्वरूप उनमें से कुछ स्वीकार भी की गयी हैं । इसलिये यही एकमात्र कार्यवाही नहीं है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी:** अभी हाल में कई घटनायें हुई हैं और वह भी दो या तीन वर्षों में और कई जांच पड़तालें भी हुईं । किन्तु इसके अतिरिक्त उन मालिकों पर, जिन्होंने सुरक्षा नियमों के अनुसार ठीक ठीक काम नहीं किया, अभियोग चलाने के लिये क्या ठोस कार्यवाहियां की गयी हैं ? क्या अभी हाल में कोई अभियोग चलाया गया है ?

†**श्री नन्दा :** जी हां, जब कभी नियमों का उल्लंघन होता है, अभियोग अवश्य ही चलाये जाते हैं और चलाये जा सकते हैं ।

†**श्री स० च० सामन्त :** क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय ने इस समिति की सिफारिशों पर अपनी राय भेजी है और क्या वह इन सुरक्षा परिषदों को बनाने में भाग लेगा ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** हमने उन्हें भी रिपोर्ट भेज दी है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

पाम्बा—काकी परियोजना

†*१०. **श्री कुन्हन :** क्या योजना मंत्री १२ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ३६६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल की पाम्बा-काकी परियोजना पर योजना आयोग और वित्त मंत्रालय द्वारा विचार कर लिया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इस संबंध में कार्य शुरू करने के बारे में कोई निर्णय किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). केरल सरकार को भेजे गये पत्र की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या ३**]

बेरोजगार व्यक्तियों की सहायता के लिये निधि

†*११. **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री अ० मु० तारिक :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री १ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बेरोजगार व्यक्तियों की सहायता देने के लिये राज्यों और केन्द्र में एक कोष स्थापित करने की प्रस्थापना के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इसके कब क्रियान्वित किये जाने की संभावना है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख) तालाबन्दी के परिणामस्वरूप हुई बेरोजगारी को दूर करने और तालाबन्दी से प्रभावित व्यक्तियों को फिर काम पर लगाने के लिये सहायता देने के बारे में एक कोष स्थापित करने की प्रस्थापना परीक्षणाधीन है ।]

मैंगनीज डायआक्साइड का आयात

†*१२ **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल कार्बन कम्पनी आफ इंडिया लिमिटेड को ६००० टन मैंगनीज डायआक्साइड के आयात का लाइसेंस दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसकी छानबीन कर ली थी कि इस तरह का मैंगनीज डायआक्साइड का उत्पादन भारत में नहीं होता ; और

(ग) इस लाइसेंस में कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग) माननीय सस्य ने लाइसेंस अवधि का उल्लेख नहीं किया । मेसर्ज नेशनल कारबन कम्पनी आफइंडिया लिमिटेड (मेसर्ज यूनियन कारबाइड) को पिछले कुछ समय से उनके अपने उपभोग व साफ करने और सिंगापुर में अपने कारखाने को निर्यात करने के लिये बड़ी मात्रा में मैंगनीज डायआक्साइड के आयात की आज्ञा दी गयी है । मैंगनीज डायआक्साइड की यह किस्म देश में उपलब्ध नहीं है । इसमें अन्तर्ग्रस्त विदेशी मुद्रा का एक भाग साफ किये गये उत्पाद के पुनर्निर्यात से पूरा कर लिया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विस्थापित व्यक्तियों का दण्डकारण्य ले जाया जाना

†*१३. { **श्री यादव नारायण जाधव :**
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में केन्द्रीय पुनर्वास मंत्री तथा पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा के मुख्य मंत्रियों की एक बैठक हुई थी और उसमें विस्थापित व्यक्तियों को दण्डकारण्य ले जाया जाने के बारे में चर्चा की गई थी ;

(ख) इस बैठक में क्या क्या मुख्य निर्णय किये गये थे ; और

(ग) उन निर्णयों के अनुसार सरकार क्या कार्यवाही करने के बारे में विचार कर रही है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० श० नास्कर)** : (क) जी, हां । पश्चिमी बंगामी में कैम्पों से परिवारों को दण्डकारण्य ले जाये जाने के बारे में भी विचार किया गया था ।

(ख) और (ग) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४]**

पाकिस्तानियों द्वारा अतिक्रमण

†*१४. **श्री अ० मु० तारिक** : क्या **प्रधान मंत्री** ४ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १५२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १६ मई, १९६० को पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पर स्थित राधानगर में भारतीय क्षेत्र में पाकिस्तानियों के घुस आने के बारे में पाकिस्तान सरकार से क्या कोई और उत्तर प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) और (ख). जी, नहीं । जुलाई में हुए त्रिपुरा और पूर्वी पाकिस्तान के जिला अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में यह तै किया गया कि सब-डिवीजनल अधिकारी स्तर पर एक संयुक्त जांच की जाये । यह जांच अभी आरम्भ नहीं हुई है । पिछले महीने हमारे उच्चायुक्त ने पाकिस्तान के विदेश कार्यालय को एक संस्मरण दिया था जिसमें यह कहा गया था कि वे शीघ्र जांच के लिये सहमत हों ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना

†*१५. { **श्री गोरे :**
श्री सूपकार :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में राज्यों द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किये गये थे तथा जितना काम हो पाया है उसमें कितना अन्तर है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कमी की पूर्ति करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) :** (क) और (ख). द्वितीय पंचवर्षीय योजना के पूरा हो जाने के बाद ही योजना आयोग राज्य सरकारों के परामर्श से राज्यों में विभिन्न क्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्य और किये गये काम के बीच अन्तर के सम्बन्ध में एक प्रतिवेदन पेश कर सकेगा ।

तिब्बत् में भारतीय व्यापारी

†*१६. **श्री मोहन स्वरूप :**
श्री प्र० के० देव :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनियों ने प्रत्येक भारतीय व्यापारी पर एक असाधारण कर लगाया है ;

(ख) क्या यह सच है कि यह कर भूतलक्षी प्रभाव दे कर उस समय से वसूल किया जा रहा है जब से चीनियों ने तिब्बत पर अधिकार किया ; और

(ग) यदि हां, तो तिब्बत में भारतीय व्यापारियों के हितों की रक्षा करने के लिये सरकर ने क्या कार्यवाही की है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) :** (क) और (ख). जी, हां ।

(ग) ल्हासा स्थित भारतीय महावाणिज्यदूत ने वैदेशिक कार्य ब्यूरो को अभ्यावेदन दिये हैं । अभी तक अभ्यावेदनों का कोई फल नहीं निकला है ।

रायपुर में आकाशवाणी का ट्रांसमिटर

†*१७. **श्री विद्याचरण शुक्ल :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री १२ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ७१० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रायपुर में आकाशवाणी का एक केन्द्र खोलने के लिए वहां मीडियम वेव के ट्रान्समिटर की स्थापना करना ठीक रहेगा या नहीं क्या इस सम्बन्ध में जांच कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका व्योरा क्या है ;

(ग) इसके कब स्थापित किये जाने की सम्भावना है ; और

(घ) अब तक क्या कार्यवाही की गई है तथा वर्तमान स्थिति क्या है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** (क) से (घ). मीडियम वेव के अतिरिक्त ट्रान्समिटर लगाने की योजना में रायपुर में भी एक ट्रांसमिटर लगाने का प्रस्ताव है । अभी ट्रान्समिटर लगाने के स्थान, विद्युत सम्भरण और अन्य बातों सम्बन्धी प्रश्नों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है । यह आशा की जाती है कि इस महीने के अन्त तक वह निपटा दिया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में संशोधन

†*१८. { **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री प्र० के० देव :
श्री हेम बरुआ :
श्री बा० चं० कामले :
श्री मे० क० कुमारन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने (१) संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में संशोधन करने तथा (२) इसके ढांचे में परिवर्तन लाने की आवश्यकता पर विचार किया है ;

(ख) अन्य देशों विशेषतः समाजवादी देशों की क्या प्रतिक्रिया है क्या इसके बारे में जानकारी है ; और

(ग) विशेष रूप से सोवियत रूस क्या क्या मुख्य परिवर्तन चाहता है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) :** (क) पिछले कुछ दिनों से भारत सरकार ने ऐसा महसूस किया है कि संयुक्त राष्ट्र के ढांचे में कुछ परिवर्तन लाने की आवश्यकता है । इस परिवर्तन की आवश्यकता इसलिये हुई है कि अधिकाधिक संख्या में ऐशियाई और अफ्रीकी देश संयुक्त राष्ट्र में शामिल हो गये हैं । इस समय विभिन्न क्षेत्रों में और विशेषतः सुरक्षा परिषद में उनका प्रतिनिधान सीमित है । भारत सरकार का विचार है कि इस प्रतिनिधान को अधिक कार्यकारी बनाया जाये ।

तथापि, भारत सरकार ने इस परिवर्तन के लिये जोर नहीं डाला क्योंकि ऐसा लगा कि घोषणापत्र को संशोधित करने के प्रयत्न से विवादास्पद बातें खड़ी हो सकती हैं और फिर इसको सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्यों से एकमत राय न मिल सके । तथापि, संयुक्त राष्ट्र की महासभा के हाल के सत्र के दौरान इस परिवर्तन की आवश्यकता अधिकाधिक है प्रत्यक्ष हो गयी है ।

संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान ढांचे में भी, इसमें विभिन्न तत्वों को शामिल करने के लिये, कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है ।

(ख) और (ग). मोट तौर पर, इन प्रश्नों के बारे में अन्य देशों की प्रतिक्रियाय मालम हैं । परन्तु यह मामला विस्तार में नहीं गया है । जहां तक समाजवादी देशों, और मुख्यतः रूस का सम्बन्ध है, महासभा के वतमान सत्र के दौरान ढांचे में परिवर्तन के बारे में, जिसमें महा सचिव के पद की स्थिति भी शामिल है, अधिक जोर डाला गया था ।

सिन्द्री उर्वरक कारखाना

†*१९. { **श्री अजित सिंह सरहदी :**
श्री अनिरुद्ध सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ९ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या २५७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिन्द्री उर्वरक कारखाने में उत्पादन में कमी दूर करने तथा उत्पादन बढ़ाने के लिये इस बीच क्या कदम उठाये गये हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या कोई प्रगति हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो कितनी प्रगति हुई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

कोक बनाने के लिये उपयुक्त प्रकार का संमिश्रण तैयार करने के लिये अपेक्षित मात्रा में व अपेक्षित किस्म के कोयले का नियमित रूप से संभरण करने के लिये व्यवस्था की गयी है ।

गैस जनरेटरों के क्रमबद्ध पूर्ण-प्रतिसंस्करण के लिये एक कार्यक्रम तैयार किया गया है। एक जनरेटर का पूर्ण-प्रतिसंस्कार किया जा चुका है और अन्यों का कार्य एक एक करके, जैसे जैसे दिये गये क्रमादेशों पर बदलने के लिये अतिरिक्त पुर्जे आ जायेंगे, किया जायेगा।

एक अतिरिक्त गैस जनरेटर लगाया जा रहा है और उसके छः महीनों में चालू किये जाने की आशा है ।

अक्तूबर, १९६० में उत्पादन में कुछ सुधार हुआ है ।

लौह अयस्क का निर्यात

†*२०. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतत्वीय खनन तथा धातु कर्मिक संस्था ने यह सुझाव दिया है कि ६५ प्रतिशत लोहे वाले लौह अयस्क का निर्यात रोक दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी, हां । यह सुझाव खनिज परामर्शदाता बोर्ड की एक बैठक में संस्था ने दिया था ।

(ख) संस्था का यह खयाल था कि केवल ६५ प्रतिशत लौह-अयस्क निर्यात किया जा रहा है ।

खाली सरकारी फ्लैट

*२१. { **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री हेम राज :
श्री वै० च० मलिक : }

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वविनय नगर, नई दिल्ली में लगभग २० रिहायशी फ्लैट, जो केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा एक वर्ष से भी अधिक समय पूर्व तैयार किये गये थे, अभी तक सरकारी कर्मचारियों को नहीं दिये गये हैं ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि कुछ दूधियों ने इन फ्लैटों पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है और वे वहां अपने पशुओं सहित रह रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो उन फ्लैटों को खाली करवाने और सरकारी कर्मचारियों को देने के लिये क्या पग उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) और (ख). ईस्ट विनय नगर (लक्ष्मी बाई नगर) में चौबीस मकान, जो केन्द्रीय सरकारी निर्माण विभाग ने गन्दी बस्ती सफाई योजना के अन्तर्गत दिल्ली विकास अधिकारी (दिल्ली डैवलपमेंट अथौरिटी/दिल्ली नगर निगम की ओर से बनाये गये थे, नगर निगम द्वारा चमार, नाई इत्यादि जैसे सामुदायिक सेवा करने वाले उन लोगों को देने के लिए यथावत् प्रस्तुत किये गये थे, जिन्होंने उस सरकारी बस्ती में या उस के आस पास सरकारी या सार्वजनिक भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा किया हुआ था, या जो गन्दी बस्तियों में रह रहे थे । परन्तु अभी तक उनमें से कोई भी नियतन (अलौटमेंट) को स्वीकार करने के लिए आगे नहीं आया है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

श्रीलंका को कपड़े का निर्यात

†*२२. **श्री न० रा० मुनिस्वामी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

श्रीलंका की सरकार ने कपड़े के आयात पर जो प्रतिबन्ध लगाया है उस के परिणाम-स्वरूप भारत से श्रीलंका को कपड़े के निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** कपड़े के आयात पर श्रीलंका सरकार द्वारा लगाये गये प्रतिबन्धों के फलस्वरूप उस देश को सूती कपड़े के भारतीय निर्यात में वर्ष १९५८ के आंकड़ों की तुलना में कमी का पता लगा है । निर्यात में यह कमी लगभग ३० से ४० लाख गज तक की हुई है ।

मोटर टायर तथा ट्यूब

†*२३. { **श्री जगन्नाथ राव :**
श्रीमती मफीदा अहमद ।

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम ने सितम्बर, १९६० के अन्त तक चीन से कुल कितने मोटर टायर तथा ट्यूब खरीदे ; और

(ख) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने यह शिकायत की है कि इन टायरों तथा ट्यूबों की किस्म घटिया होने के कारण उन्हें नुकसान उठाना पड़ा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) ३० सितम्बर, १६६० तक राज्य व्यापार निगम ने चीन से टायर तथा ट्यूब के ६२६० सेट खरीदे हैं।

(ख) चीनी टायरों और ट्यूबों की घटिया किस्म के बारे में हुई हानि के बारे में न हमें और न राज्य व्यापार निगम को ही मध्य प्रदेश से कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त हुई है ।

अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड

†*२४. **श्री हेम बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हस्तशिल्प सहकारी समितियों के विकास के संबंध में अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के पूर्वी क्षेत्र की सितम्बर, १६६० में रांची में हुई गोष्ठी ने यह सिफारिश की है कि प्रत्येक राज्य में समस्त छोटी छोटी हस्तशिल्प सहकारी समितियों को एक राज्य विपणन समिति में संगठित किया जाय जो कच्चे माल की प्राप्ति एवं वितरण का और आर्डर लेने का काम करें और किस्म-नियंत्रण, विपणन, गवेषणा, प्रचार तथा निर्यात आदि के लिए उत्तरदायित्व संभालें ; और

(ख) यदि हां, तो इस सुझाव के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, हां।

(ख) सितम्बर, १६६० में रांची में हुई हस्तशिल्प सहकारी समितियों सम्बन्धी क्षत्रीय गोष्ठी द्वारा किये गये सुझावों के बारे में अभी तक अखिल भारत हस्तशिल्प बोर्ड की सिफ़ारिशें प्राप्त नहीं हुई हैं। सरकार को मिल जाने पर इन पर विचार किया जायेगा ।

पुर्तगाल में गोआनी राजनैतिक बन्दी

†*२५. { **डा० राम सुभग सिंह** :
श्री पद्म देव :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री राम गरीब : }

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि श्री मोहन रानाडे नामक एक भारतीय नागरिक, जो गोआ के स्वतंत्रता आन्दोलन के संबंध में गोआ जेल में सजा काट रहे हैं, तथा अनेक अन्य राजनैतिक बन्दी पुर्तगाल भेज दिए गए हैं ; और

(ख) क्या सरकार को उनकी हालत के संबंध में कोई सूचना प्राप्त हुई है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) और (ख). सरकार को समाचार-पत्रों में प्रकाशित समाचारों से पता चला है कि गोआ में जेल काट रहे एक भारतीय

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री मोहन रानाडे और अन्य गोआनी बन्दियों को पुर्तगाल भेज दिया गया है। इस बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है परन्तु उसने संयुक्त अरब गणराज्य, सरकार से, जो पुर्तगाल और भारत में पुर्तगाली बस्तियों में भारतीय हितों की देख-भाल करती है, तत्काल जांच करने और उपलब्ध जानकारी देने को कहा है। सरकार भारतीय और गोआनी राजनीतिक बन्दियों के पुर्तगाल में कैद में उद्विवासन के बारे में चिन्ता प्रकट करती है।

प्रधान मंत्री की पाकिस्तान यात्रा

†*२६. **श्री प्र० ग० देव :**
श्री सै० अ० मेहदी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री नरदेव स्नातक :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री सुबिमन घोष :
श्री सूपकार :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री साधन गुप्त :
श्री प्र० के० देव :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री मो० ब० ठाकुर :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री वोडयार :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री आसर :
श्री हेम बरूआ :
श्री हेमराज :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, १९६० के तीसरे सप्ताह में उनकी पाकिस्तान यात्रा के दौरान किन-किन विषयों पर चर्चा हुई थी ;

(ख) क्या काश्मीर के सम्बन्ध में चर्चा की गई थी ; और

(ग) क्या संयुक्त प्रतिरक्षा एवं मंगला बांध के निर्माण के प्रश्नों की भी चर्चा हुई थी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) हमारी बात-चीत सामान्य और मोटे तौर पर भारत-पाकिस्तान वित्तीय और सीमा सम्बन्धी प्रश्नों, निष्क्रान्त चल सम्पत्ति, वैज्ञानिक और प्रविधिक मामलों के बारे में भारत और पाकिस्तान के बीच सहयोग, भारत और पूर्वी पाकिस्तान में सामान्य नदियों के जल-संसाधनों के उपयोग सम्बन्धी परियोजनाओं के बारे में जानकारी का आदान-प्रदान, व्यापार वृद्धि की योजनाओं और चालू अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों के बारे में हुई । पश्चिमी पाकिस्तान के पांच दिन के दौरे के अन्त में २३ सितम्बर, १९६० को लाहौर में जारी किये गये संयुक्त विज्ञप्ति की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५ ।]**

(ख) काश्मीर के बारे में हमने स्पष्ट और मित्रता पूर्वक बात चीत की जिस में प्रत्येक ने अपने अपने विचार बताये। यद्यपि बात चीत से कोई स्पष्ट परिणाम नहीं निकला, हम दोनों इस बात के इच्छुक थे कि यह प्रश्न सुलझना चाहिये।

(ग) जी, नहीं ।

राजघाट पर महात्मा गांधी का स्मारक

*२७. **श्री भक्त दर्शन** :
श्री बी० चं० शर्मा :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री २५ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ७९१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि राजघाट पर महात्मा गांधी का स्मारक बनाने के प्रश्न के संबंध में, जिस पर विचार किया जा रहा था, इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : लट्ठेदार नींवों पर हो रहा काम पूर हो चुका है । आंगन के चारों ओर की पुश्ता दीवार के नीचे, आंगन में प्रवेश के मार्गों के सिवाय , सर्दल भी रखे जा चुके हैं । प्रवेश मार्गों पर सर्दल रखने का काम मिट्टी की भराई के बाद ही, जिसकी दिसम्बर, १९६० के तीसरे सप्ताह तक पूरा हो जाने की आशा है, शुरू किया जा सकेगा । दीवार की चिनाई औसतन तीन फुट की ऊंचाई तक हो चुकी है । दीवार के सामने की ओर पत्थर लगाने का काम शुरू हो गया है ।

कांगो में भारतीय सैनिक

†*२८. **श्री रामकृष्ण गुप्त**
श्री राजेन्द्र सिंह :
श्री बी० चं० शर्मा :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कांगो में संयुक्त राष्ट्र संघीय दल के साथ काम करने के लिए कितने भारतीय सैनिक भेजे गए हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या सरकार को राष्ट्र संघ से अधिक सैनिक भेजने के लिए कोई और संदेश प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) छः सौ तिरानव ।

(ख) २७ अक्तूबर को दस डाक्टरों और १५ मिलिटरी सिपाहियों के लिये और प्रार्थना प्राप्त हुई थी।

(ग) मिलिटरी के सिपाही भेज दिये गये हैं । डाक्टरों की भी व्यवस्था की जा रही है ।

चीनियों को भारत छोड़ने का आदेश

†*२९. **श्री वें० च० मलिक :**
श्री राजेन्द्र सिंह :
श्रीमती इला पाल चौधरी
श्री सुबिमन घोष :
श्री हेम बरुआ :
श्री प्र० के० देव :
श्री रामेश्वर टांटिया :
डा० राम सुभग सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ चीनियों को दिए गए 'भारत छोड़ो' आदेश के विरुद्ध चीनी दूतावास से कोई विरोध-पत्र प्राप्त हुआ है ;

(ख) इस विरोध-पत्र में क्या कहा गया ह ; और

(ग) इस विरोध-पत्र के संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) से (ग). कुछ चीनियों को दिये गए 'भारत छोड़ो' आदेश के विरुद्ध चीन सरकार ने अभ्यावेदन किया है । भारत और चीन सरकार के बीच हुए पत्र-व्यवहार की प्रतियां चतुर्थ श्वेत-पत्र में शामिल की गयी हैं जोकि आज सभा पटल पर रखा जायेगा ।

फिल्मों की लम्बाई

†*३०. **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री विश्वनाथ रेड्डी :
श्री उस्मान अली खां :
श्री हेम बरुआ :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय फिल्मों की लम्बाई कम करके लगभग १०,००० फीट कर देने का कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है ;

†मल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव का व्यौरा क्या है ;

(ग) फिल्मों की लबाई कम कर देने से किस प्रकार का लाभ होगा ;

(घ) क्या इस मामले में राज्य सरकारों तथा फिल्मों उद्योग से परामर्श किया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उनकी प्रतिक्रियाओं का संक्षिप्त व्यौरा क्या है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ङ). विदेशी मुद्रा की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार के प्रतिनिधियों से बातचीत के बाद भारत का फिल्म फेडरेशन चलचित्रों की लम्बाई में स्वेच्छा से निम्नलिखित कमी करने को सहमत हो गया है :

बम्बई (हिन्दी, गुजराती, मराठी आदि)	१३,००० फुट
मद्रास (दक्षिण भारतीय भाषायें)	१५,००० फुट
कलकत्ता (बंगाली, आसामी, उडिया)	१२,००० फुट

चल चित्रों की लम्बाई में कमी से कच्चे माल के आयात में कमी होगी, जिस से विदेशी मुद्रा बचेगी। राज्य सरकारों से परामर्श नहीं लिया गया था ।

राष्ट्रीय आय सम्बन्धी आंकड़े

†*३१. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधा रमण :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने आर्थिक विकास तथा आयोजन के सम्बन्ध में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों और गवेषणा के समस्त प्रश्न पर विचार करने के लिए कोई कार्यकारी दल नियुक्त किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भारतीय श्रम सम्मेलन

†*३२. **श्री त० ब० विट्ठल राव :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री तंगामणि :
श्री प्र० के० देव :
श्री वोडयार :
श्री आसर :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) भारतीय श्रम सम्मेलन के अठारहवें अधिवेशन द्वारा क्या क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उनके क्रियान्वयन के लिए सरकार क्या कदम उठाने का विचार कर रही है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). सम्मेलन में कुछ केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों द्वारा हाल में की गयी हड़ताल के परिणामस्वरूप उत्पन्न स्थिति पर विचार किया गया। सम्मेलन में सामान्य रूप से जो राय व्यक्त की गयी वह हड़तालों को व्यर्थ बताने सम्बन्धी भारत सरकार के मत के अनुसार थी।

पुनर्वास मंत्रालय के छंटनी किए गए कर्मचारी

†*३३. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुनर्वास मंत्रालय के छटनी किए गए कितने कर्मचारी अभी तक अन्य विभागों में फिर से रख लिए गए हैं ; और

(ख) कितने व्यक्तियों को रोजगार दिलाना बाकी है ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) १५५७।

(ख) ६०५। उनमें से कुछ व्यक्तियों को स्वयं अन्य रोजगार ढूंढना पड़ेगा परन्तु ऐसे व्यक्तियों की संख्या का पता नहीं है।

चिलका नहर

†***३४. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के नमक आयुक्त ने चिलका नहर को निकटतम समुद्री भाग से एक नई नहर काट कर मिलाने के सम्बन्ध में कोई जांच कराने के लिए कहा हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या वह जांच पूरी हो गई है और उसके क्या परिणाम निकले ; और

(ग) क्या वह कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जाएगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

कांगो के भारतीय

†***३५. श्री यादव नारायण जाधव :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से एशियाई लोगों ने जिन में भारतीय भी सम्मिलित हैं, कांगो में गड़बड़ के हालात होने के कारण उस देश को छोड़ दिया है ;

(ख) यदि हां, तो कितने भारतीयों ने कांगो छोड़ा है ; और

(ग) उन भारतीयों द्वारा कांगो में छोड़ी गई सम्पत्ति को पुन: प्राप्त करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) और (ख). जहां तक भारत सरकार को मालूम है, कुछ औरतें और बच्चे, कुल लगभग बाईस, कांगो छोड़ कर भारत आ गए हैं। यह पता लगा है कि उनका विचार यथासमय कांगो वापस जाने का है ।

(ग) जी, कोई नहीं क्योंकि भारत सरकार को कांगो में किसी भारतीय द्वारा सम्पत्ति के छोड़े जाने की रिपोर्ट नहीं मिली है।

कारों का आयात

†*३६. { **श्री अ० मु० तारिक :**
श्री प्र० के० देव :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री बि० दास गुप्त :
श्री महन्ती : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय और राज्य सरकारों के मंत्रियों के उपयोग के लिये १९५९ और १९६० में अब तक कितनी कारों का आयात किया गया है ;

(ख) विभिन्न राज्यों को कितनी कारें आवंटित की गईं ; और

(ग) इन कारों को मंगवाने में कितनी विदेशी पूंजी खर्च हुई ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

वर्ष १९५९ और १९६० में केन्द्र अथवा राज्य सरकारों के मंत्रियों के इस्तेमाल के लिए किसी कार का आयात नहीं किया गया।

पर्यटकों को सुविधा देने के लिए, सी० के० डी० दशा में, ६० प्लाईमाउथ कारों का आयात किया गया। राज भवनों/राज्य सरकारों की छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये जिनको इन कारों की जरूरत थी और भारत का दौरा करने वाले विदेशी अतिथियों के इस्तेमाल के लिये मेसर्ज़ प्रीमियर ओटोमोबाइल्स लिमिटेड, बम्बई को सी० के० डी० दशा में ३६ नग प्लाईमाउथ कारों का आयात करने के लिये दिसम्बर, १९५९ में ३·६० लाख रुपये के लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य का तदर्थ लाइसेंस दिया गया। अब तक इस प्रयोजन के लिए विभिन्न राज भवनों/राज्य सरकारों को दी गयी कारों की संख्या निम्न प्रकार है :

	कारों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	२
आसाम	२
बिहार	२
गुजरात	१
केरल	२

†मूल अंग्रेज़ी में

	कारों की संख्या
मध्य प्रदेश . . .	२
मद्रास	२
महाराष्ट्र . . .	३
मैसूर	२
उड़ीसा	२
पंजाब	२
उत्तर प्रदेश	२
पश्चिमी बंगाल . .	३

छोटे पैमाने के उद्योग

†*३७. **श्री हेम बरूआ** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ देशों से छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये विदेशी सहायता मिलने की आशा है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों से ;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ देशों ने अपनी सहायता का कुछ भाग छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए देना स्वीकार कर लिया है ; और

(घ) यदि हां, तो किन-किन देशों ने ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (घ). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

भारत सरकार को अमरीका के प्रविधिक सहकारी मिशन, जर्मनी संघ गणराज्य सरकार और जापान सरकार से क्रमशः राजकोट, दिल्ली और हावड़ा में आदर्श उत्पादन एवं प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए सहायता मिल रही है । गिन्डी, मद्रास में एक ऐसे ही केन्द्र के लिए फ्रांस सरकार से एक प्रार्थना आई है । ऐसी योजनाओं के लिये सहायता देने के लिये कुछ अन्य विदेशी सरकारों ने भी रुचि दिखाई है और बातचीत अभी प्राथमिक प्रक्रम पर है । ये मामले सीधी सहायता के बारे में हैं और कुछ सहायता देने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये मशीनों के क्रयावक्रय के लिये एन० एस० आई० सी० के लिये १ करोड़ डालर का अमरीकी ए० डी० एल० एफ० ऋण मंजूर किया जा चुका है ।

†मूल अंग्रेजी में

संयुक्त प्रबन्ध परिषदें

†*३८. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री साधन गुप्त :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय श्रम मंत्रालय ने अधिक औद्योगिक प्रतिष्ठानों को संयुक्त प्रबन्ध परिषदें स्थापित करने के लिये राजी करने का आन्दोलन प्रारम्भ किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**श्रम, रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) जी, हां।

(ख) अभी परिणामों का अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता।

तिब्बती शरणार्थी

†*३९. { **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री सुबिमन घोष :
श्री हेम बरुआ :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभी हाल में लगभग ६०० तिब्बती अप ी लगभग १५०० भेड़ों को साथ लेकर लद्दाख के चीनियों के कब्जे वाले इलाके में से भारतीय राज्य-क्षेत्र में भाग आये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले का पूरा ब्योरा क्या है ; और

(ग) इन तिब्बती शरणार्थियों के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) और (ख). मार्च-अप्रैल, १९५९ और सितम्बर, १९६० के बीच तिब्बत से लद्दाख में आये विस्थापितों की कुल संख्या ६४८ है। उनमें से अधिकांश अपने मवेशी साथ ले आये हैं।

(ग) कुछ को लद्दाख में सड़क बनाने के काम पर रोजगार मिल गया है। अन्य लोग सीमा से दूर हटा दिये गये हैं और वे लद्दाख में अपने मवेशियों के साथ बस गये हैं।

सीमेंट मशीनरी

†*४०. { **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधा रमण :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के अन्दर जो फर्में सीमेंट मशीनरी बनाती हैं वे मांग को पूरा करने में असमर्थ हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाई की गई है या करने का विचार किया गया है

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). इस समय सीमेंट की मशीनें और उसके पुर्जे बनाने के लिये उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अधीन छः सार्थों को रजिस्टर किया गया है अथवा लाइसेंस दिये गये हैं। इनमें से, तीन यूनिटों को प्रतिवर्ष लगभग ४ करोड़ रुपये की सीमेंट मशीनरी, जिसमें पूरा सीमेंट संयंत्र शामिल है, बनाने के लाइसेंस दिये गये हैं। यह आशा की जाती है कि १९६२ के अन्त तक जब इन तीनों यूनिटों में उत्पादन होने लगेगा तो जैसी आशा है, देश की अधिकतर मांग पूरी हो जायेगी। वर्ष १९६३ के बाद से प्रति वर्ष देश में प्रतिदिन ६००--७५० टन सीमेंट बनाने वाले ५-६ स्टेंडर्ड सीमेंट संयंत्र बनने लगेंगे। सरकार की यह नीति है कि मशीनरी की मांग पूरी करने के लिये वर्तमान यूनिटों का विस्तार करके अथवा नये यूनिटों को लाइसेंस देकर अतिरिक्त उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जाये।

भारत में अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह

†*४१. { श्री बी० च० शर्मा :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री भक्त दर्शन :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री इ० मधुसूदन राव :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री १ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह करने के प्रस्ताव पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) और (ख). अक्तूबर-नवम्बर, १९६१ में भारत में अन्तर्राष्ट्रीय चलचित्र समारोह करने का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है।

औषधों के भाव

†*४२. श्री यादव नारायण जाधव : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयात किये गये औषधों के भाव अचानक बढ़ गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) बढ़ते हुए भावों को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाई की है ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, नहीं। आयात किये गये औषधों के भावों में किसी अचानक वृद्धि का सरकार को पता नहीं लगा है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

---

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का कार्यभारित संस्थान

†१. **श्री तंगामणि** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्यभारित संस्थान में १ अप्रैल, १९६० को प्रत्येक श्रेणी में कितने पद खाली थे;

(ख) उनमें से कितने पद स्थायी थे;

(ग) कितने पद अस्थायी अथवा अर्द्धस्थायी थे; और

(घ) कितने अस्थायी अथवा अर्द्धस्थायी पद ऐसे हैं जो तीन वर्ष से अधिक से चले आ रहे हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) वांछित जानकारी देने वाला विवरण संलग्न है । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६]

(ख) ३८३९ ।

(ग) १ अप्रैल, १९६० को अस्थायी पदों की संख्या ९६४५ थी। अर्द्धस्थायी पद कोई भी नहीं है। फिर भी दो वर्ष की लगातार सेवाओं के बाद कर्मचारियों को अर्द्धस्थायी पद का दर्जा दे दिया जाता है । इससे उन्हें कुछ प्रतिबन्धित छुट्टियों की छट मिल जाती है।

(घ) ऐसे अस्थायी पदों की संख्या के बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है । जो पिछले तीन वर्ष से लगातार चले आ रहे हैं

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्यभारित कर्मचारी

†२. **श्री तंगामणि** : क्या **निर्माण आवास और संभरण** मंत्री १७ फरवरी, १९६० को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या २२० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्यभारित कर्मचारियों की वरिष्ठता की सूची तैयार कर ली गई है ; और

(ख) यदि नहीं तो इस सूची को तैयार करने में कितना समय लगेगा ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)**: (क) और (ख). स्थायी बनाने की दृष्टि से वरिष्ठता सूची तैयार की जा रही है । ऐसी आशा है कि यह सूची शीघ्र ही तैयार हो जायेगी । सूची के तैयार हो जाने के बाद ही स्थायी किये जाने वाले लोगों का चयन किया जायेगा ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

†३. **श्री तंगामणि**, : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में १ सितम्बर, १९६० को कितने सर्किल थे तथा उनके नाम क्या थे ?

(ख) प्रत्येक सर्किल के डिवीजनों के नाम क्या थे;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) प्रत्येक डिवीजन में कितने उप-डिवीजन थे तथा उनमें से प्रत्येक डिवीजन का क्या नाम था; और

(घ) प्रत्येक उप-डिवीजन में कितने सैक्शन थे और प्रत्येक सैक्शन का मुख्यालय कहां था ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) से (ग). सर्किल, डिवीजन, उपडिवीजन तथा उनके मुख्यालयों की जानकारी बताने वाला विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७]**

(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

तिब्बती शरणार्थी

†४. { **श्री पाणिग्रही** :
श्री हेमराज :
श्री इ० मधुसूदन राव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दलाई लामा तथा उनके दल के भारत में आने के बाद से अब तक उन पर कितना धन व्यय हुआ है ;

(ख) भारत के विभिन्न शिविरों में तिब्बती शरणार्थियों को बसाने में अब तक कितना धन व्यय हुआ है; और

(ग) इन शिविरों से कितने तिब्बती शरणार्थी अब तक छोड़कर चले गये हैं ?

†**प्रधानमंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) सितम्बर, १९६० तथा दलाई लामा तथा उनके दल पर ५,८०,३६८ रुपये व्यय हुए हैं।

(ख) तिब्बती शरणार्थियों को बसाने एवं उनको सहायता पहुंचाने की मद में ५१,८७,१९६ रुपये व्यय हुए हैं;

(ग) १७,०१२ तिब्बती शरणार्थी नौकरी पाने के विचार से अस्थायी शिविरों से चले गये हैं ।

सीमेंट का उत्पादन

†५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सीमेंट उत्पादन के लक्ष्य की पूर्ति जो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये निश्चित किया गया था, हो गई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : देश में सीमेंट के कुल औद्योगिक उत्पादन की क्षमता अनुमोदित/अनुज्ञप्तित १५० लाख टन है जब कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह लक्ष्य १६० लाख टन निर्धारित किया गया था जो बाद में घटाकर १०० लाख टन निश्चित किया गया था। १९५८ के मध्य में उत्पादन की अपेक्षा सीमेंट की मांग में कुछ कमी नजर

†मूल अंग्रेजी में

आई अतः अनुज्ञप्तित क्षमता को क्रियान्वित करने में कमी करना आवश्यक हो गया । ऐसी आशा है कि द्वितीय योजना के अन्त में यह उत्पादित क्षमता ९५·७ लाख टन होगी ।

तिब्बती शरणार्थी शिक्षण संस्था, मसूरी

†६. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **प्रधान मंत्री** ४ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १७५१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिब्बती शरणार्थियों के लिये मसूरी में स्थापित शिक्षण संस्था ने अब तक कितनी प्रगति की है; और

(ख) क्या उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए यह काफी है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) और (ख). इस स्कूल में कुछ महीने हुए तब तिब्बती विद्यार्थियों की संख्या ५० थी जो बढ़ कर अब २५२ हो गई है । इस स्कूल में हिन्दी अध्यापक को छोड़कर जोकि गढ़वाली है लेकिन वह भी एक लम्बे अर्से तक तिब्बत में रह चुके हैं, सभी अध्यापक तिब्बती शरणार्थी हैं और मुख्याध्यापक के अतिरिक्त इनकी संख्या ६ है । इस स्कूल ने अपने यहां से १० वरिष्ठ विद्यार्थियों को अध्यापकी प्रशिक्षण लेने के लिये लिटरेसी हाउस, लखनऊ को भेजा है । भारत स्थित सभी तिब्बती बच्चों के लिये मसूरी का स्कूल छोटा है । कुल मिलाकर लगभग १००० शरणार्थी बच्चे हैं । दो और स्कूल खोलने जरूरी हैं । एक विशेष शिक्षा पदाधिकारी ने इस समस्या की जांच की है और उनका प्रतिवेदन विचाराधीन है ।

कुटीर उद्योगों का सर्वेक्षण

†७. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** ४ अप्रल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १७३८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न राज्यों में कुटीर उद्योगों के संबंध में अग्रेतर क्या प्रगति हुई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** मार्च १९६० से अक्तूबर १९६० के बीच जिन क्षेत्रों में सर्वेक्षण का कार्य प्रारम्भ किया गया और जहां सर्वेक्षण का कार्य समाप्त हुआ वे इस प्रकार हैं :—

जहां क्षेत्रीय सर्वेक्षण प्रारम्भ किया गया

महाराष्ट्र . .	१. गंदी बस्तियां, बम्बई
मद्रास . .	२. उत्तरी आर्कट जिला
मध्य प्रदेश . .	३. दुर्ग और रायपुर जिले
उड़ीसा . . .	४. बारापाली जिला
	५. क्योंझर
राजस्थान . .	६. अलवर
उत्तर प्रदेश . .	७. जिला बांदा
	८. लखनऊ और बाराबंकी
बिहार . . .	९. जिला आरा
पश्चिम बंगाल . . .	१०. सिलीगुड़ी और कालिंगपोंग

†मूल अंग्रेजी में

जहां क्षेत्रीय सर्वेक्षण समाप्त हो गया

पंजाब	१. महेन्द्रगढ़ जिला
	२. कांगड़ा
महाराष्ट्र	३. नागपुर-भंडारा
आंध्र	४. श्रीकाकुलम् और विशाखापटनम्
उड़ीसा	५. मयूरभंज जिला
राजस्थान	६. सीकर जिला
	७. भरतपुर
उत्तर प्रदेश	८. इलाहाबाद जिले में मौ-एमा खंड
पश्चिम बंगाल	९. जिला पुरलिया में पुरलिया--पारा--रघुनाथ-पुर नैतूर
	१०. शक्तिगढ़ समुदायिक क्षेत्र
मद्रास	११. रघुनाथपुरम्
जम्मू और काश्मीर . . .	१२. लद्दाख क्षेत्र को छोड़ कर सम्पूर्ण राज्य ।

प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया

†८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री ४ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १७२४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रैस ट्रस्ट आफ इंडिया के कर्मचारियों और व्यवस्थापकों के बीच हुए विवाद के न्याय निर्णयन के लिये नियुक्त राष्ट्रीय न्यायाधिकरण द्वारा पंचाट प्रस्तुत करने के कार्य में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). विवाद की सुनवाई समाप्त हो चुकी है और आशा है कि राष्ट्रीय न्यायाधिकरण शीघ्र ही अपना पंचाट दे देगा ।

रेडियमधर्मिता

†९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १ अगस्त, १९६० से, जबकि देश में रेडियम धर्मिता उच्चतम स्तर पर थी, रेडियम धर्मिता में कुछ परिवर्तन आया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह स्तर लोक स्वास्थ्य के लिये घातक है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). १ अगस्त, १९६० को वायु में प्रति घन मीटर रेडियम धर्मिता ०.२ माइक्रोमाइक्रो-

---

†मूल अंग्रेजी में ।

क्यूरीज था। तब से उसका स्तर लगभग उतना ही रहा। यह स्तर उस उच्चतम स्तर से बहुत कम है जोकि अक्तूबर १९५८ को दिल्ली में अंकित किया गया। यह प्रति घन मीटर वायु में २०.२२ माइक्रोमाइक्रो-क्यूरीज था, जिस स्तर से अधिक रेडियम धर्मिता होने पर जीवन को हानि पहुंच सकती है उससे यह स्तर बहुत कम है।

पंजाब में प्रचार अधिकारी संयोजक

†१०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकीकृत प्रचार योजना के अधीन पंजाब में अभी तक कितने प्रचार अधिकारी संयोजक नियुक्त किये गये ; और

(ख) जून १९६० को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान उन्होंने किस प्रकार का कार्य किया ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) चार (तीन क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी और एक प्रचार संयोजक)।

(ख) प्रचार अधिकारियों/संयोजकों के क्षेत्रीय प्रचार एकक पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों और आवश्यकताओं की व्याख्या तथा प्रचार करने के उद्देश्य से फिल्म प्रदर्शनों, संगीत और नाटक कार्यक्रमों, वाद-विवाद गोष्ठियों का आयोजन करते हैं और प्रचार सामग्री यथा पर्चियों फोल्डरों या इश्तहारों का वितरण करते हैं।

युद्ध विराम रेखा का उल्लंघन

†११. { **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, १९६० के पश्चात् से पाकिस्तानियों ने जम्मू और काश्मीर युद्ध विराम रेखा का कितनी बार उल्लंघन किया ;

(ख) कितने मामलों में संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षकों का ध्यान इस ओर दिलाया गया; और

(ग) इसके क्या परिणाम निकले ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जुलाई, १९६० से पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र के निवासियों ने १४ बार युद्ध विराम रेखा का उल्लंघन किया।

(ख) इन सभी मामलों में संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षकों का ध्यान इस ओर दिलाया गया।

(ग) संयुक्त राष्ट्र के मुख्य सैनिक पर्यवेक्षक ने यह निर्णय दिया कि २ मामलों में

---

†मूल अंग्रेजी में

उल्लंघन हुआ है, ८ मामलों में उल्लंघन नहीं हुआ है । ४ मामलों में उनके निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है ।

चाय

†१२. **श्री मुरारका :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री सभा पटल पर एक ऐसा विवरण रखेंगे जिसमें यह दिखाया गया हो कि :

(क) १९५०–५१ में चाय का उत्पादन कितना था ;

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान चाय के उत्पादन का लक्ष्य कितना था, उस अवधि में कितना उत्पादन हुआ तथा इसके निमित्त कितनी वित्तीय राशि रखी गयी थी और उसमें से वास्तविक व्यय कितना हुआ ;

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उत्पादन लक्ष्य क्या है, अब तक कितने की प्राप्ति हो चुकी है, इस कार्य के निमित कितनी वित्तीय राशि रखी गयी है तथा उसमें से कितनी राशि अब तक व्यय की जा चुकी है ; और

(घ) उत्पादन लक्ष्यों की पूर्ति में कमी होने के क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) वर्ष १९५०–५१ में चाय का उत्पादन क्रमशः ६१३३·५ लाख पौंड और ६२९२ लाख पौंड था ।

(ख) से (घ). प्रथम और द्वितीय योजना अवधि के दौरान उत्पादन और वित्तीय व्यय का कोई लक्ष्य नहीं रखा गया था । तथापि यह आशा की गई थी कि विकास की सामान्य प्रक्रिया के द्वारा ही द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंत तक उत्पादन ७० करोड़ पौंड तक हो जायेगा । यह लक्ष्य १९५८ में ही प्राप्त हो चुका है ।

उत्तर प्रदेश में गंदी बस्तियों की सफाई

†१३. **श्री सरजू पांडेय :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में गंदी बस्तियों की सफाई के लिये कितनी राशि आवंटित की गई है ;

(ख) कितनी योजनायें क्रियान्वित हुईं तथा वे कहां कहां हुईं ; और

(ग) प्रत्येक योजना में कितनी राशि व्यय की गई ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** (क) से (ग). अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८।]

उत्तर प्रदेश में व्यय के लिय आवंटित राशि

†१४. **श्री सरजू पाण्डेय :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश को १९६०–६१ में व्यय के लिये राशि निर्धारित की जा चुकी है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो कुल राशि कितनी है और विभिन्न मदों के लिये अलग-अलग कितनी राशि आवंटित की गई है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९]**

उत्तर प्रदेश में हथकरघा उद्योग

†१५. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से वर्ष १९६०-६१ में राज्य के हथकरघा उद्योग को सहायता देने के लिये सरकार के पास कोई प्रस्ताव आया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ; और

(ग) उसके संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानून गो)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). वर्ष १९६०–६१ के लिये उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आई हुई हथकरघा योजनाओं और उनके संबंध में की गई कार्यवाही का एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १०]** । राज्य सरकार को १९६०-६१ के लिये आवंटित राशि की अधिकतम सीमा ४२ लाख रुपये है ।

उत्तर प्रदेश में खादी का उत्पादन

†१६. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में १९५९ में खादी का कितना उत्पादन (माहवार) हुआ ; और

(ख) १९६०–६१ में खादी उत्पादन के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) अपेक्षित सूचना का एक विवरण संलग्न है **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ११]** ।

(ख) अलग-अलग राज्यों के लिये खादी उत्पादन का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है ।

ज्योफोन

†१७. **श्री कुन्हन** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री ७ सितम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ११५४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत अधिकारियों ने सरकार के पास "ज्योफोन" नामक उस आले का पूरा-पूरा ब्यौरा भेज दिया है, जो कम से कम छै महीने पहले कोयले और गैस के विस्फोटों की पूर्व सूचना दे सकता है जिनसे खनिकों को बड़ा खतरा बना रहता है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

महाराष्ट्र में अम्बर चर्खा

†१८. **श्री पांगारकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को १९६०-६१ में अम्बर चर्खे के विकास के लिये कितनी राशि दी है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : उल्लिखित वर्ष में अम्बर चर्खा कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को अस्थायी तौर पर १७,०७,९०० रुपये की एक राशि दी गई है ।

सिक्किम में रेडियो स्टेशन

१९. { **श्री भक्त दर्शन** :
श्री दी० चं० शर्मा : }

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री २५ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ७८१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सिक्किम में रेडियो स्टेशन की स्थापना के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): इस बात की अभी खोज की जा रही है कि सिक्किम और उसके पास के पहाड़ी इलाकों के लिये रेडियो स्टेशन कहां स्थापित किया जाये ऐसी आशा की जाती है कि जगह का निर्णय अन्तिम रूप से इस महीने के अन्त तक हो जायेगा ।

औषधि का कारखाना

२०. { **श्री भक्त दर्शन** :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री कोडियान :
श्री विश्वनाथ रेड्डी : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ४ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १५५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि औषधि का कारखाना खोलने तथा औषधियों के पौधे उगाने के औषधीय फार्म स्थापित करने की प्रत्येक योजना के बारे में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : **औषधि के कारखाने**—मास्को के मेसर्स टेक्नो-एक्सपोर्ट के साथ जून, १९६० में की गई संविदाओं के अनुसार कीटाणुनाशक एवं संश्लेषित औषधियों, शल्य चिकित्सा के औजारों तथा वनस्पति रसायन जैसी औषधियां बनाने की चार प्रायोजनाओं के बारे में विस्तृत प्रायोजना रिपोर्टें अप्रैल-जून, १९६१ तक मिल जाने की आशा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

औषधीय फार्म—जिन राज्य सरकारों से औषधियों में काम आने वाले पौधों की खेती करने की संभावनाओं का पता लगाने तथा उनकी खेती जल्दी से जल्दी कब तक शुरू करने और आवश्यक मात्रा में उनको उपलब्ध कराने की तारीख बताने के बारे में निवेदन किया गया था, उनमें से कुछ के पास से जो सामग्री प्राप्त हुई वह वनस्पति रसायन की उप-समिति के सामने विचार करने के लिये रख दी गई है। अन्य राज्य सरकारों से सामग्री प्राप्त होने की अभी प्रतीक्षा है।

तिब्बती शरणार्थी

२१. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री प्र० गं० देव :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री प्र० के० देव :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री हेम राज :
श्री बोडियार :
श्री खीमजी :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री डामर :
श्री मधुसूदन राव :
श्री कोरटकर :
डा० राम सुभग सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्नलिखित बातें बताई गई हों :

(क) १ जून, १९६० से अब तक कितने तिब्बतियों ने भारत में शरण ली है ;

(ख) कितने तिब्बती प्रति मास उत्तरी सीमा पर स्थित किन-किन दर्रों से होकर भारत आये ;

(ग) कितने तिब्बती किन-किन दर्रों से होकर अब तक तिब्बत वापस जा चुके हैं ;

(घ) तिब्बती शरणार्थी कहां-कहां रखे गये हैं और प्रत्येक स्थान पर उनकी संख्या कितनी है ;

(ङ) तिब्बत में विधि तथा व्यवस्था बिगड़ने के पश्चात् अब तक कुल कितने तिब्बतियों ने भारत में शरण ली है ; और

(च) इनमें से कितने तिब्बती अब तक फिर से बसाये जा चुके हैं ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) १ जून से १५ अक्तूबर, १९६० तक ७६५४ तिब्बती लोगों ने भारत में शरण ली है।

(ख)	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर (१५ तारीख तक)
नेफा .	३८०	१२०	२०५	२४७	५२
उत्तर प्रदेश	१६१	३४७	२१२	१३०	—
लद्दाख .	२२	१७३	७३	७९	१०
हिमाचल प्रदेश	६०४	३८६	—	४	३१
पंजाब .	४२७	—	—	—	—
सिक्किम .	४३५	५३	१०२	३३२५	७६

जिन जिन दर्रों से उन्होंने प्रवेश किया है, उनके नाम इस प्रकार हैं :

नेफा .	कारपोतसांग, ल्हासा, तुलुंग, निलाकाला ।
उत्तर प्रदेश	लिपुलेख, लिम्पिया, नेलंग ।
लद्दाख .	जराला, चारदिंगला, छांगला ।
सिक्किम	नथूला, जेलेपला, कोंगराला, डोंगक्याला, थांकारला ।
हिमाचल प्रदेश	शिपकिला, नेसांग ।

यह कहना संभव नहीं है कि प्रत्येक दर्रे से होकर आने वाले शरणार्थियों की संख्या कितनी कितनी है ।

(ग) जो तिब्बती शरणार्थी तिब्बत को वापस चले गये हैं, उनकी संख्या के बारे में कोई सूचना सुलभ नहीं है ।

(घ) फिलहाल तिब्बती शरणार्थी इस प्रकार बटे हुये हैं :

पंजाब	२५४८	जम्मू और काश्मीर	८००
हिमाचल प्रदेश	१११३	उत्तर प्रदेश	७००
सिक्किम	४२२१	बिहार .	६३१
पश्चिम बंगाल	३३८३	लद्दाख . .	१३२५
नेफा	१५५८		

(ङ) मार्च, १९५९ से अक्तूबर, १९६० तक २४,४८० तिब्बती भारत में आये हैं ।

(च) भालुकपुंग, नेफा में लगभग १००० शरणार्थी बसाये जा रहे हैं । ३००० और शरणार्थी मैसूर राज्य की भूमि पर बसाये जायेंगे । शेष सड़क निर्माण, जंगलात और दस्तकारी का काम कर रहे हैं ।

मजूरी बोर्ड

†२२. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मे० क० कुमारन :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री, १८ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ५२० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि चाय, काफी और रबर बागानों के लिये अलग-अलग तीन मजूरी बोर्ड नियुक्त करवे के लिये अभी तक किस प्रकार की कार्यवाही की गई है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : बागानों संबंधी औद्योगिक समिति ने ९ नवम्बर, १९६० की अपनी बैठक में चाय मजूरी बोर्ड के गठन में परिवर्तन करने की सिफारिश की है। उसी के अनुसार आगे कार्यवाही की जा रही है।

बोनस आयोग

†२३. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री त० ब० विठ्ठल राव :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री १२ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ३५३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि एक बोनस आयोग की नियुक्ति के मामले में अभी तक क्या प्रगति हुई है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : विषय अभी विचाराधीन है।

पंजाब में निष्क्रांत व्यक्तियों की खेती की भूमि

†२४. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **पुनर्वास और अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री २ सितम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १९७५ के उत्तर में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निष्क्रान्त व्यक्तियों द्वारा छोड़ी गयी कृषि योग्य भूमि को पंजाब की शेष सांस्कृतिक तथा धार्मिक संस्थाओं को, जिन्होंने अभी कार्य करना शुरू नहीं किया है, देने के प्रश्न की इस बीच जांच की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गयी है ;

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) :** (क) और (ख). जांच जारी है। पंजाब सरकार के पास ११७ संस्थाओं के मामले विचारार्थ पड़े हुए हैं।

सरकारी क्वार्टरों का पुनर्वर्गीकरण

†२५. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभी हाल ही में दिल्ली के सरकारी क्वार्टरों की क्रमोन्नति और पुनर्वर्गीकरण किया गया है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस क्रमोन्नति और पुनर्वर्गीकरण के परिणामस्वरूप विभिन्न सरकारी क्वार्टरों में वर्षों से रहने वाले सैंकड़ों सरकारी कर्मचारियों को उनके वर्तमान निवास-स्थान से बहुत दूर पर स्थित निचले दर्जे के क्वार्टरों में जाना पड़ेगा और इससे उन्हें कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले के इस पहलू पर विचार किया है ; और

(ङ) स्थिति को आसान बनाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

†निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) से (ङ). एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १२]** ।

सावंतराम रामप्रशाद मिल्स कम्पनी लिमिटेड, अकोला

†२६. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सावंतराम रामप्रशाद मिल्स कम्पनी लिमिटेड अकोला को बन्द कर दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इसे बन्द करने के क्या कारण थे ; और

(ग) सरकार ने मिल्स को पुनः खुलवाने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). मैसर्ज सावन्तराम रामप्रशाद मिल्स आर्थिक कठिनाइयों के कारण ५–३–१९६० को बन्द हो गयी थी ।

(ग) सरकार ने इस मामले की जांच करने का आदेश दिया था किन्तु बाद में प्रबन्धकों ने २३–१०–१९६० को अपने आप मिल्स को पुनः चालू कर दिया है ।

केरल में कारखाने का पुनः खोला जाना

†२७. **श्री कुन्हन :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को केरल सरकार से कन्नानूर में कामनवेल्थ ट्रस्ट लिमिटेड के बन्द कारखाने को पुनः खुलवाने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो बिजली से चलने वाले करघों के कारखाने को चलाने के बारे में केरल सरकार ने क्या सुझाव दिये हैं ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

†२८. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर के कुछ कारखानों के मालिकों ने कर्मचारी राज्य बीमा योजना में अपना हिस्सा अभी तक अदा नहीं किया है ;

(ख) यदि हां, तो १ अक्तूबर, १९६० को उन के नाम कितनी रकम देय थी ; और

(ग) इस रकम की वसूली के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :** (क) जी हां ।

(ख) २,७९,५७१ रु० ।

(ग) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, १९४८ के अधीन, जहां आवश्यक समझा गया, कानूनी कार्यवाही की गयी है ।

तिब्बत में भारतीय

†२९. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री भक्त दर्शन :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **प्रधान मंत्री** १ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ११ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि तिब्बत में जिन २४ भारतीय नागरिकों अथवा भारतीय संरक्षित लोगों को चीनियों ने नजरबन्द कर रखा है, उन को मुक्त कराने की दिशा में किस सीमा तक सफलता प्राप्त हुई है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** भारत सरकार को प्राप्त जानकारी के अनुसार एक काश्मीरी मुसलमान को गम्भीर बीमारी के आधार पर मुक्त किया गया है । यह नहीं पता चला कि यह मुक्ति पैरोल पर थी अथवा नहीं । एक भारतीय संरक्षित व्यक्ति को भी रिहा किया गया है, परन्तु वह अभी तक चीनियों के कब्जे में ही है । उसकी रिहाई सम्बन्धी कुछ औपचारिक बातें अभी पूरी की जा रही हैं । बाकी के लोग अभी कैद में ही हैं ।

भारत में साबुन के विदेशी समवाय

†३०. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में साबुन उद्योग के विदेशी समवायों की भारत भर में संख्या क्या है ; और

(ख) उन्हों ने १९५९–६० में कितनी राशि लाभ के रूप में बाहर भेजी ?

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) २।

(ख) कोई नहीं ।

सिलाई की मशीनें

†३१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने १९६०–६१ में सिलाई की मशीनों के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है ; और

(ख) यदि हां, तो कीमतों को बढ़ने न देने के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). जी हां, ३००,००० । कीमतें काफी प्रतिस्पर्द्धात्मिक हैं और उद्योग की प्रगति बड़े पैमाने, मध्यम पैमाने और छोटे पैमाने के क्षेत्रों में सन्तोषजनक है ।

हिन्दुस्तान एन्टीबायटिक्स लिमिटेड, पिंपरी

†३२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिन्दुस्तान एन्टीबायटिक्स लि०, पिंपरी, के अग्रेतर विस्तार सम्बन्धी कार्यक्रम इस समय किस प्रक्रम पर है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

हिन्दुस्तान एन्टीबायटिक्स लिमिटेड, पिंपरी का विस्तार करने के कार्यक्रम सम्बन्धी वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार है :—

पेनिसिलीन

पिंपरी में पेनिसिलीन के वर्तमान दो करोड़ ५० लाख मैगा यूनिट्स के उत्पादन में ६० प्रतिशत की वृद्धि कर के उसे प्रति वर्ष ४ करोड़ मेगा यूनिट्स बनाने का कार्यक्रम ।

स्ट्रेपटोमाइसीन और डाइहाइड्रो स्ट्रेपटोमाइसीन

कारखाने की इमारत के निर्माण का कार्य, जो कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को सौंपा गया है, चल रहा है । कारखाने के लिए अपेक्षित लगभग सारे उपकरणों का आर्डर कम्पनी द्वारा दिया जा चुका है । इन की स्थापना का कार्य संयुक्त राज्य अमरीका के मैसर्ज मर्क स के एक इंजीनियर की देख-रेख में किया जा रहा है । वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार संयन्त्र में १९६१ के अन्त तक उत्पादन आरम्भ हो जाने की सम्भावना है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

टेट्रासाइक्लीन्स

१·५ टन टेट्रासाइक्लीन्स की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला अग्रिम संयन्त्र लगाया जा रहा है ।

विटामन 'सी'

पिंपरी में प्रति वर्ष ५० टन विटामन 'सी' का उत्पादन करने की परियोजना के संबंध में कम्पनी द्वारा राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला के सहयोग से एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है ।

राज्य व्यापार निगम

†३३. **श्री अ० मु० तारिक :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री रामकृष्ण गुप्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १२ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ६६९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य व्यापार निगम के संथा के अन्तर्नियमों में संशोधन करने की प्रस्थापना किस स्थिति में है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** मामला विचाराधीन है ।

मैसूर में शराब निर्माण

†३४. **श्री सूपकार :**
श्री प्र० के० देव :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी सहायता से तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत मैसूर में बड़े पैमाने पर शराब निर्माण करने की कोई प्रस्थापना है ; और

(ख) यदि हां, तो इस से जो विदेशी शराब के आयात में कमी होगी उस से विदेशी मुद्रा में कुल कितनी बचत होने की संभावना है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बिजली के 'टिलर्स' का निर्माण

†३५. **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २ सितम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १९८५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेसर्स ईस्ट एशियाटिक कम्पनी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई तथा मेसर्स टेस्टील्स लिमिटेड, बम्बई द्वारा निर्माण किये जाने वाले बिजली के 'टिलर्स' (खेती के उपकरण) के डिजाइन खाद्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किये गये थे ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इन बिजली के 'टिलर्स' का लागत तथा बाजार मूल्य क्या होगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख). उपरोक्त फर्मों द्वारा दो प्रकार के बिजली के 'टिलर्स' का निर्माण किया जायेगा। मेसर्स ईस्ट एशियाटिक कम्पनी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई भारत की परिस्थितियों के अनुरूप अपने निजी आद्यरूप (प्रोटोटाइप) का निर्माण करने जा रही है इसलिये खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता नहीं थी। जहां तक मेसर्स टेस्टील्स लिमिटेड द्वारा निर्मित किये जाने वाले बिजली के 'टिलर' का संबंध है वह काफी प्रचलित ब्रांड है जो पहले से ही प्रयोग में आ रहा है।

नमक आयोग

†३६. **श्री स० चं० सामन्त** :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १८ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ९४८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच में नमक आयोग द्वारा की गई समस्त सिफारिशों पर विचार कर लिया है ;

(ख) कितनी सिफारिशें स्वीकार की जा चुकी हैं ; और

(ग) क्या एक पृथक नमक अधिनियम बनाने का विचार किया जा रहा है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). नमक आयोग की सिफारिशें विचाराधीन हैं।

(ग) नहीं, श्रीमान्।

महाराष्ट्र में गन्दी बस्तियों की सफ़ाई

†३७. **श्री यादव नारायण जाधव** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में गन्दी बस्तियों की सफाई की कौन कौन सी योजनायें चल रही हैं ;

(ख) उपर्युक्त प्रत्येक योजना को कितनी केन्द्रीय सहायता प्राप्त है ;

(ग) उनमें क्या प्रगति हुई है ;

(घ) क्या मालेगांव म्युनिसिपल बौरो ने अपनी गन्दी बस्तियों की सफाई की योजना महाराष्ट्र राज्य के द्वारा केन्द्रीय सरकार को पेश की है और केन्द्र द्वारा कितनी सहायता दी गई है ; और

(ङ) योजना की, यदि कोई हो, विशेष तथा मुख्य बातें क्या हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)**: (क) से (ग). आवश्यक जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है। [**देखिए परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १३**]।

(घ) और (ङ). मालेगांव की गन्दी बस्तियों की सफाई योजना जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा मंजूर की जा चुकी है तथा जिस पर ५,९०,५९२ रुपये व्यय होंगे, के अन्तर्गत गन्दी बस्तियों में

†मूल अंग्रेजी में

रहने वाले १९२ परिवारों को एक मंजिल के दो कमरों के छोटे मकानों में बसाया जायेगा। इस योजना को, जिसका भारत सरकार द्वारा अनुमोदन किया जाना है, अनुमोदित लागत के आधार पर ५० प्रतिशत ऋण और २५ प्रतिशत राजसहायता की दर से केन्द्रीय सहायता मिलेगी।

आकाशवाणी के कर्मचारी

†३८. **श्री भ० क० गोपालन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को आकाशवाणी के कर्मचारियों से ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि यदि कोई पति-पत्नी आकाशवाणी में ही काम करते हों तो उन्हें एक ही केन्द्र में नियुक्त किया जाये ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : सूचना आकाशवाणी के केन्द्रों से एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

जम्मू के निकट बम विस्फोट

†३९. **श्री साधन गुप्त** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २३ सितम्बर, १९६० को प्रातःकाल जम्मू के निकट अखनूर में दो बम विस्फोट हुये थे ;

(ख) यदि हां, तो उनके परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति हताहत हुये तथा कितना नुकसान हुआ ;

(ग) क्या उनके संबंध में कोई जांच की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). हां, श्रीमान्। २३ सितम्बर, १९६० को अखनूर से लगभग दो फर्लांग उत्तर की ओर एक विस्फोट हुआ था जिससे एक असैनिक गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई थी। इसके कुछ समय पश्चात् ही उस क्षेत्र में दूसरा विस्फोट हुआ जिसके परिणामस्वरूप एक असैनिक व्यक्ति मारा गया।

(ग) और (घ). इन मामलों को दर्ज कर लिया गया है और पुलिस छानबीन कर रही है।

बौरिया काटन मिल्स (हावड़ा) का बन्द होना

†४०. **श्री प्र० के० देव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़ा स्थित बौरिया काटन मिल्स सितम्बर के महीने में बन्द कर दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो वह कितने समय बन्द रही ;

(ग) बन्द किये जाने का कारण क्या था ; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) मिल पूर्णतः केवल एक दिन के लिये बन्द की गई थी। लगभग १५ दिन तक अंशतः बन्द रहने के पश्चात् २५–९–१९६० से मिल में पूर्ण कार्य प्रारम्भ हो गया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) मजदूरों का संकट ।

(घ) मिल का काम राज्य सरकार के हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप ही प्रारम्भ हुआ ।

शोलापुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग कम्पनी लिमिटेड

†४१. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २२ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १२५३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शोलापुर स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स के कार्यों की जांच पूरी कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम निकले ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). जांच समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है, जो सरकार के विचाराधीन है ।

अफगानिस्तान को फिल्मों का निर्यात

†४२. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में निर्मित चलचित्रों का अफगानिस्तान को निर्यात हाल में ही कम हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) जी, नहीं । जनवरी से अगस्त १९६० में १९५९ की इसी अवधि की तुलना में निर्यात में वृद्धि हुई है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता

बांस आद्यरूप प्रशिक्षण व उत्पादन केन्द्र, पनिहाटी

†४३. { **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री २२ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६२६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बांस आद्यरूप प्रशिक्षण व उत्पादन केन्द्र, पनिहाटी (पश्चिम बंगाल) को राज्य सरकार को सौंपने का निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) और (ख). कमरहट्टी के उत्पादन केन्द्र को पश्चिम बंगाल सरकार को हस्तांतरित करने के प्रश्न पर राज्य सरकार से बातचीत की जा रही है । शीघ्र ही अन्तिम निर्णय हो जाने की आशा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

'कौयरोलाइट'

†४४. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री १८ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ९३९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि "कौयरोलाइट" नामक पदार्थ के औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोग के लिये छानबीन पूरी करने के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** केन्द्रीय नारियल जटा अनुसंधान संस्था के एक पदाधिकारी, जिनसे बम्बई के एक प्लास्टिक निर्माता के सहयोग से प्रयोग करने के लिये कहा गया था, ने हाल में ही काम पूरा किया है। प्रयोगशाला के प्रयोगों के निष्कर्षों के संबंध में एक प्रविधिक बुलेटिन प्रकाशित किया जा रहा है।

निर्यात गृह

†४५. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री पांगरकर :
श्री दी० चं० शर्मा : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ३१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में निर्मित वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिए निर्यात गृहों की स्थापना करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** निर्यात गृहों को सीमित संख्या में मान्यता देने का निर्णय किया गया है। सरकार ने इनको मान्यता देने के लिए तथा मान्यताप्राप्त गृहों को सुविधायें देने के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की हैं। मान्यता प्राप्त करने के लिए प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

गोआ से तस्कर व्यापार

†४६. **श्री जगन्नाथ राव :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने गोआ से तस्कर व्यापार की रोक थाम के लिए कोई कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यवाहियां की गई हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) और (ख). सरकार गोआ तथा अन्य स्थानों से भारत में चोरी छिपे माल लाये जाने को रोकने के लिये पर्याप्त कार्यवाही करने की आवश्यकताओं पर निरन्तर विचार करती रही है। आवश्यक प्रशासनिक तथा अन्य परिवर्तन किए गए हैं। इस समय कार्यवाहियों के [illegible] र बताना उचित नहीं होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्लाई वुड की वस्तुयें

†४७. **श्री आचार : क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लंका को प्लाईवुड की वस्तुओं—विशेषतया भारतीय चाय की पेटियों का निर्यात करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल लंका भेजा गया था ;

(ख) क्या प्रतिनिधिमंडल ने सरकार को प्रतिवेदन दे दिया है ; और यदि हां, तो प्रतिनिधिमंडल के मुख्य सुझाव क्या हैं; और

(ग) इन सुझावों पर सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) से (ग). सरकार ने ऐसा कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजा। दक्षिण भारत प्लाईवुड निर्माता संघ, कालीकट के एक गैर-सरकारी प्रतिनिधिमंडल ने, सितम्बर, १९६० में, इस देश की प्लाईवुड की वस्तुओं के निर्यात की संभावनाओं का पता लगाने के लिए लंका का १० दिन का दौरा किया था। संघ ने प्रतिनिधिमंडल के दौरे के दृष्टिकोण के बारे में एक प्रतिवेदन भेजने का वायदा किया है जिसकी प्रतीक्षा की जा रही है ।

'सालिसिल एनिलाइड'[1]

†४८. **श्री प्र० के० देव : क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में 'श्रीराम इंस्टीट्यूट फॉर इण्डस्ट्रियल रिसर्च' ने कपड़ा, चमड़ा, कागज़ तथा अन्य उद्योगों में काम में आने वाले "सालिसिल एनिलाइड" के निर्माण के लिए कोई नया तरीका निकाला है ;

(ख) यदि हां, तो इस नये तरीके के ब्यौरे क्या हैं ; और

(ग) क्या इसकी जानकारी अन्य उद्योगों को भी दे दी गई है और क्या उन्होंने नये तरीके से उत्पादन आरम्भ कर दिया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) जी हां ।

(ख) श्रीराम इंस्टीट्यूट फार इंडिस्ट्रियल रिसर्च ने ('सालिसिल एनिलाइड' बनाने का) नया तरीका यह निकाला है कि 'सालिसलिक एसिड' का 'एनिलाइन' के साथ संघनन किया जाता है । यह संघनन किसी क्षयकारक उत्पाद बनने के बिना, और किसी आर्गनिक साल्वेंट (कार्बनिक घोलक) का प्रयोग किये बिना कोई दो घंटों में पूरा हो जाता है । 'ग्लास लाइन्ड' उपकरणों और आसवन एकक (डिस्टिलेशन यूनिट) का प्रयोग अब बंद कर दिया गया है ।

(ग) किसी पार्टी को वाणिज्यिक आधार पर इसके निर्माण की इजाजत देने का प्रश्न विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] icy Ailide.

रबड़ का उत्पादन

†४९. **श्री आसर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगस्त १९६० के अन्तिम सप्ताह में बंगलौर में रबड़ बोर्ड की बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या बोर्ड ने देश में रबड़ का उत्पादन बढ़ाने के संबंध में कोई निर्णय किया था ;

(ग) यदि हां, तो क्या योजनायें बनाई गई और क्या सिफारिशें की गई ;

(घ) क्या रबड़ गवेषणा संस्था में कुछ प्रगति हुई है ; और

(ङ) यदि हां, तो उस के ब्यौरे क्या हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). रबड़ का उत्पादन बढ़ाने की कोई योजना रबड़ बोर्ड की इस बैठक में नहीं बनाई गई तथा न ही उस के बारे में कोई सिफारिश की गई ।

(घ) और (ङ). रबड़ गवेषणा संस्था का भवन बनकर पूरा होने वाला है ?

शिक्षित व्यक्तियों को नौकरी

†५०. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : जून—सितम्बर, १९६० में पंजाब में कितने पंजीबद्ध बेकार स्नातकों तथा इंटरमिजियेटों को नौकरियां दिलाई गईं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : जुलाई—सितम्बर, १९६० की अवधि की जानकारी नीचे दी जाती है । जून से सितम्बर, १९६० तक के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि जानकारी त्रैमासिक इकट्ठी की जाती है ।

श्रेणी	जुलाई–सितम्बर १९६० में नौकरी पाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या
स्नातक .	४६१
इंटरमिजिएट . .	१९२

तिब्बती शरणार्थी

†५१. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल—अक्तूबर १९६० में कितने तिब्बती शरणार्थी पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश में आये ?

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : अप्रैल से अक्तूबर १९६० में पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश में आने वाले तिब्बती शरणार्थियों की संख्या नीचे दी जाती है :—

महीना	पंजाब	हिमाचल प्रदेश
अप्रैल, १९६०	कोई नहीं	कोई नहीं
मई, १९६०	कोई नहीं	१४५
जून, १९६०	४२७	६०४
जुलाई, १९६०	कोई नहीं	३८६
अगस्त, १९६०	कोई नहीं	कोई नहीं
सितम्बर, १९६०	कोई नहीं	४
अक्तूबर, १९६० . .	कोई नहीं	३१

आस्ट्रेलिया में भारतीय चाय

†५२. **श्री सै० अ० मेहदी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आस्ट्रेलिया में भारतीय चाय का प्रचलन नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). आस्ट्रेलिया में अधिकांशतः आयात की हुई चाय को मिश्रित कर दिया जाता है जिससे उसको उपभोक्ता द्वारा दिए जाने वाले मूल्यों के योग्य बनाया जा सके । आस्ट्रेलिया में भारत की चाय का खूब संभरण होता है । परन्तु हाल में ही चाय बोर्ड ने सिडनी में अपना एक पदाधिकारी नियुक्त किया है जिससे आस्ट्रेलिया के चाय मिश्रण करने वाले व्यक्ति अधिक भारतीय चाय का प्रयोग मिश्रण बनाने में करें ।

कार्मिक संघो की सदस्यता की जांच

†५३. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुशासन संहिता के अधीन मान्यता देने के लिए कार्मिक संघों की सदस्यता की जांच के लिए संघ श्रम मंत्रालय ने कोई विस्तृत प्रक्रिया बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके ब्यौरे क्या हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). उस प्रक्रिया की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १४]**

†मूल अंग्रेजी में

निधन सम्बन्धी उल्लेख

सर्वश्री क० वी० पादलू, डा० प्रमथ नाथ बनर्जी तथा हेम चन्द्र नास्कर का निधन

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे सभा को सूचना देनी है कि हमारे तीन मित्र श्री कनकीपति वीरन्ना पादलू, डा० प्रमथ नाथ बनर्जी तथा श्री हेम चन्द्र नास्कर का देहान्त हो गया है ।

श्री कनकीपति वीरन्ना पादलू आन्ध्र प्रदेश के गोलुगोंडा—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के वर्तमान सदस्य थे । उनका देहान्त २९ सितम्बर, १९६० को ५५ वर्ष की आयु में विशाखापटनम में हुआ ।

डा० प्रमथ नाथ बनर्जी १९३४-३५ में भूतपूर्व केन्द्रीय विधान सभा के सदस्य थे । उनका देहान्त ५ नवम्बर, १९६० को कलकत्ते में हुआ ।

श्री हेम चन्द्र नास्कर १९४६-४७ में भारत की संविधान सभा के सदस्य थे । उनका देहान्त १३ नवम्बर, १९६० को कलकत्ता में हुआ ।

हमें इन तीनों मित्रों के निधन का महान शोक है और मैं समझता हूं कि सभा शोकग्रस्त परिवारों के प्रति समवेदना प्रकट करने में मेरा साथ देगी ।

शोक प्रकट करने के लिए सभा कुछ देर के लिए मौन खड़ी रहे ।

इसके पश्चात् सभासद एक मिनट के लिए मौन खड़े रहे ।

स्थगन प्रस्तावों के बारे में

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फिरोजाबाद) : श्रीमान करनाल हत्याकाण्ड के बारे में उच्चतम न्यायालय के फैसले पर मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया था उसके बारे में मैं आपके निर्णय को मानता हूं परन्तु यह चाहता हूं कि आप मुझे यह बतायें कि हम इस गम्भीर और महत्वपूर्ण मामले पर सभा में किस रूप में चर्चा कर सकते हैं । क्योंकि इस का प्रभाव सारे प्रशासन पर पड़ता है ।

†**श्री वाजपेयी** (बलरामपुर) : यह मामला पिछले सत्र में प्रश्न काल में भी उठाया गया था और आपने उस समय कई अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी थी । अब उच्चतम न्यायालय ने अपना फैसला दे दिया है और हम चाहते हैं कि उस पर चर्चा हो ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं समझता हूं कि इसको स्थगन प्रस्ताव के रूप में नहीं उठाया जा सकता है । क्यों कि यह समस्या का उचित हल नहीं है । इसके साथ साथ मैं यह भी बताना चाहूंगा कि मेरा यह विचार भी था कि यह मामला एक राज्य से संबंधित है और इसको उस राज्य की विधान सभा में ही उठाया जाना चाहिए । इसमें यदि कोई भूल हो गई है तो वे ही ठीक कर सकते हैं । ऐसे मामले में इस संसद् को स्थानीय विधान सभाओं के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जैसा कि श्री वाजपेयी ने बताया है यदि इसके बारे में और कोई प्रस्ताव प्रस्तुत होता है तो मैं अवश्य विचार करूंगा। इसके बारे में मैं पहले से ही कोई सलाह नहीं दे सकता कि इस संबंध में क्या किया जाना चाहिए ।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : स्थगन प्रस्ताव की एक विशेषता यह भी है कि विषय अविलम्बनीय महत्व का हो ।

†**अध्यक्ष महोदय** : स्थगन प्रस्ताव मैं अस्वीकृत कर चुका हूं लेकिन फिर भी माननीय सदस्य पूछ रहे हैं कि किस प्रकार यह विषय यहां उठाया जा सकता है। मेरा काम सलाह देने का नहीं है ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** (महेन्द्रगढ़) : मेरे पहले प्रश्न के उत्तर में माननीय गृह मंत्री ने वायदा किया था कि अपील पर फैसला होने के बाद वह इस पर विचार करेंगे । अब उच्चतम न्यायालय ने अपना फैसला दे दिया है । इसलिए इस मामले को यहां पर उठाया जाना चाहिए और उस पर चर्चा होनी चाहिए ।

†**अध्यक्ष महोदय** : बहुत अच्छा । किन्तु स्थगन प्रस्ताव के रूप में नहीं । क्या माननीय सदस्य का अभिप्राय यह है कि माननीय मंत्री ने यह कहा था कि फैसला होने के बाद इस पर इस रूप में चर्चा हो सकेगी ।

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : माननीय सदस्य कहते हैं कि मैंने एक प्रश्न के उत्तर में यह कहा था कि मैं इस पर विचार करूंगा। परन्तु मैं संसद के क्षेत्राधिकार को घटा, बढ़ा नहीं सकता हूं । मैंने तो यही कहा है कि मैं इस पर विचार करूंगा और मैं ने इस मामले पर विचार किया है और मैं समझता हूं कि स्थगन प्रस्ताव अथवा और अन्य किसी रूप में इस मामले को यहां पर नहीं उठाया जा सकता ।

विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में

†**श्री अ० मु० तारिक** (जम्मू तथा काश्मीर) : श्रीमान, इस महीने की ७ तारीख को मैंने प्रक्रिया नियमों के नियम २२३ के अधीन एक सूचना भेजी थी जिसमें आपसे प्रार्थना की थी कि आप विश्व-विख्यात अमरीकी पत्रिका 'टाइम' के मुद्रक, प्रकाशक, सम्पादक तथा संवाददाता के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रस्ताव को सभा में प्रस्तुत करने की मुझे अनुमति दें । इस पत्रिका के २६ सितम्बर, १९६० के अंक में यह दिया गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस मामले को अब यहां प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता । और न मैंने अभी तक अपनी अनुमति ही दी है । मैंने तो कहा था कि मैं इस पर विचार करूंगा । जो पत्र-व्यवहार माननीय सदस्य तथा सम्बन्धित व्यक्ति के बीच हुआ है उस पर विचार करने के लिये मुझे समय नहीं मिला है । कल अथवा परसों इस पर विचार करने के बाद मैं उन्हें बताऊंगा कि इसके बारे में उनको क्या करना चाहिए । अब हम आगे की कार्यवाही शुरू करें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

श्री जगदीश अवस्थी (बिल्होर) : आन ए प्वायंट आफ़ आर्डर, सर । श्रीमन्, मुझे यह निवेदन करना है कि आपने यह लिखा है कि यह विषय राज्य का है, लेकिन उत्तर प्रदेश का विधान मंडल शासनारूढ़ दल की आपसी गुटबन्दी के कारण स्थगित कर दिया गया है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के विधायक इस प्रश्न पर विचार करने में असमर्थ हैं। इसलिये मैं आप से व्यवस्था चाहूंगा कि वहां की जनता की दुरवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्न पर इस सदन में विचार किया जाये या नहीं। वहां लाखों करोड़ों रुपये की सम्पत्ति की हानि हुई है। सारा प्रदेश वहां के अधिकारियों के हाथ में छोड़ दिया गया है और मुख्य मंत्री ने घोषणा कर दी है कि वह कोई काम नहीं करेंगे। इस स्थिति में इस सदन को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि किसी प्रदेश में ऐसी स्थिति पैदा हो जाये, तो उस के बारे में यहां पर बहस की जाये और विचार किया जाये। मैं आप से व्यवस्था चाहूंगा कि सदन को इस स्थिति में क्या करना चाहिये।

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी) : श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसी सदन में उड़ीसा और पंजाब में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति पर बहस हुई थी। उत्तर प्रदेश में भी बाढ़ आई है। वहां पर लखनऊ और दूसरे ज़िलों की स्थिति बहुत खराब है। लाखों रुपये की फ़सल नष्ट हुई है और लाखों लोगों पर बाढ़ का दुष्प्रभाव पड़ा है।

†**अध्यक्ष महोदय** : जब देश के कई भागों में पहले भयंकर बाढ़ें आई थीं उस समय सदस्यों के अनुरोध पर माननीय मंत्री ने उनके बारे में एक वक्तव्य दिया था और माननीय सदस्यों को जो बातें मालूम थीं वह सब उन्होंने मंत्री महोदय को बताई थीं। अब मुझे मद्रास की बाढ़ों के बारे में ध्यान दिलाने की सूचनाएं मिली हैं। दुर्भाग्य है कि देश के कुछ भागों में बाढ़ें आई हैं तो कुछ भागों में अकाल पड़े हैं। माननीय मंत्री इन सभी के सम्बन्ध में विचार करेंगे और जो तथ्य उन्हें उपलब्ध होंगे उनको सभा में बता देंगे। साथ ही यह भी बतायेंगे कि राज्यों ने इस बारे में जो कार्यवाही की है, उसमें केन्द्र ने और क्या सहायता की है। विभिन्न भागों के माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में जानकारी पाने के इच्छुक हैं . . . । माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करता हूं कि वह देश के विभिन्न भागों में आई बाढ़ के बारे में और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की बाढ़ के बारे में दो तीन दिन के भीतर एक वक्तव्य दें।

श्री रामसेवक यादव (बाराबांकी) : उत्तर प्रदेश में जो इस वक्त कोई सरकार नहीं है, उसके बारे में मैंने काम रोको प्रस्ताव पेश किया है . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की ओर संकेत कर रहे हैं जिनकी सूचना उन्होंने दी है। कुछ माननीय सदस्यों ने एक और स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें बताया है कि उत्तर प्रदेश में संविधान का उल्लंघन किया गया है। इसलिये हमें इस पर चर्चा करने का अवसर मिलना चाहिये। मैंने उस प्रस्ताव को अनुमति नहीं दी है उसकी चर्चा हम यहां कैसे कर सकते हैं यह उनका अपना मामला है और उन्हें ही इसे हल् करना है और वह उसको सुलझाने का प्रयत्न भी कर रहे हैं। मेरा विचार है कि यह एक ऐसा मामला है जिसके बारे में यहां इस स्थिति में कोई विचार नहीं किया जा सकता। यदि वहां पर एक मंत्री के पदत्याग के बाद दूसरा नहीं आता तब हम विचार करेंगे कि क्या इस मामले पर विचार करना आवश्यक है।

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : इस प्रकार का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वहां संविधान के अनुसार मंत्रालय है जो प्रशासन का कार्य कर रहा है। अतः मैंने उस प्रस्ताव को यहां उठाने की अनुमति नहीं दी है।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

भारत–चीन संबंधों के बारे में श्वेत-पत्र

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं श्वेत-पत्र संख्या ४ की एक प्रति, जिसमें वे टिप्पण, ज्ञापन और पत्र दिये हुये हैं जिनका भारत और चीन की सरकारों के बीच मार्च, १९६० और नवम्बर, १९६० के मध्य आदान-प्रदान हुआ है, सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल टी—२३९५/६०]**

अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण तथा अर्जन अधिनियम के अधीन जारी की गई अधिसूचना

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : मैं अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण तथा अर्जन अधिनियम, १९५२ की धारा १७ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत दिनांक १५ अक्तूबर, १९६० की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २५०५ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल टी—२३९६/६०]**

निर्वाचकों का पंजीयन नियम

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : मैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० की धारा २८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ११ नवम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २७५० में प्रकाशित निर्वाचकों का पंजीयन नियम, १९६० की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल टी—२३९७/६०]**

समाचार पत्रों का पंजीयन (केन्द्रीय) नियमों में संशोधन

†**सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा सचिव (श्री आ० चं० जोशी)** : श्रीमान्, मैं डा० केसकर की ओर से प्रेस तथा पुस्तकों का पंजीयन अधिनियम, १८६७ की धारा २०-क की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(एक) दिनांक १० सितम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०५९ में प्रकाशित समाचारपत्रों का पंजीयन (केन्द्रीय) संशोधन नियम, १९६०।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ग्रा० चां० जोशी]

(दो) दिनांक १५ अक्तूबर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२२२ में प्रकाशित समाचार पत्रों का पंजीयन (केन्द्रीय) संशोधन नियम, १९६०। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल टी—२३९८/६०]**

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम तथा उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन जारी की गई अधिसूचनायें

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : मैं निम्नलिखित अधिसूचनायें सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत दिनांक २१ सितम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २३४७ में प्रकाशित ऊनी धागा (उत्पादन तथा वितरण नियंत्रण) आदेश, १९६० की एक प्रति।

(२) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ की धारा १५ के अन्तर्गत निकाली गई दिनांक २ सितम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २१८१ की एक प्रति। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या क्रमशः एल टी—२३९९ और २४००/६०]**

राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड नियमों में संशोधन

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : मैं वाणिज्यक नौवहन अधिनियम, १९५८ की धारा ४५८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(एक) दिनांक २४ सितम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११११ में प्रकाशित राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड (संशोधन) नियम, १९६०।

(दो) दिनांक २२ अक्तूबर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२४२ में प्रकाशित राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड (दूसरा संशोधन) नियम, १९६०। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल टी—२४०१/६०]**

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन, खादी मूल्यांकन समिति के प्रतिवेदन पर टिप्पणी, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् का वार्षिक प्रतिवेदन, तथा प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : मैं निम्नलिखित पत्रों को सभा पटल पर रखता हूं।

†मूल अंग्रेजी में

(१) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत हवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष १९५९–६० के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उस पर नियंत्रक महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(२) उपरोक्त समवाय के वर्ष १९५९–६० के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति ।

(३) खादी मूल्यांकन समिति के प्रतिवेदन पर खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की टिप्पणियों की एक प्रति ।

(४) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् के वर्ष १९५९–६० के कार्य के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(५) प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति ।

(क) आटोमोबाइल स्पार्किंग प्लग उद्योग का संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९६०) ।

(ख) दिनांक १९ सितम्बर, १९६० का सरकारी संकल्प संख्या २१ (३)–टी० आर०/६० ।

(ग) पिस्टन जोड़ना (पिस्टन, पिस्टन रिंग्स और गजन पिन्स) उद्योग का संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९६०) ।

(घ) दिनांक ७ अक्तूबर, १९६० का सरकारी संकल्प संख्या ५३ (१)–टी० आर० ६० ।

(ङ) दिनांक ७ अक्तूबर, १९६० की अधिसूचना संख्या ५३ (१)–टी० आर०/६० ।

(च) ऊपर (ग), (घ) और (ङ) में उल्लिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति उक्त उप-धारा में नियत अवधि के अन्दर सभा पटल पर क्यों नहीं रखी जा सकी इसके कारण बताने वाला विवरण । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या क्रमशः एल टी—२४०२, २४०३, २४०४, २४०५ और २४०६/६०]**

कर्मचारी भविष्य निधि योजना तथा औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) नियमों में संशोधन

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : मैं निम्नलिखित पत्रों को सभा पटल पर रखता हूं ।

(१) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ की धारा ७ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत दिनांक २४ सितम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११२२ में प्रकाशित कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) योजना, १९६० की एक प्रति ।

(२) औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ की धारा ३८ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दिनांक १५ अक्तूबर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर०

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री आबिद अली]

१२२० में प्रकाशित औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) संशोधन नियम, १९६० की एक प्रति । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या क्रमशः एल टी—२४०७ और २४१०/६०]**

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियमों में संशोधन

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) :** (१) मैं विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, १९५४ की धारा ४० की उप-धारा (३) के अन्तर्गत विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियम, १९५५ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ३० जुलाई, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८८१ की एक प्रति पुनः सभा पटल पर रखता हूं ।

(२) मैं विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, १९५४ की धारा ४० की उप-धारा (३) के अन्तर्गत विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास') नियम, १९५५ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १० सितम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १९५७ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या क्रमशः एल टी—२३११ और २४०८/६०]**

बचाव केन्द्र समिति का वार्षिक प्रतिवेदन

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :** मैं बचाव केन्द्र समिति, धनबाद के वर्ष १९५९-६० के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल टी—२४०९/६०]**

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

†**सचिव** : मैं गत सत्र में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा ५ सितम्बर, १९६० को लोक सभा में दी गई अन्तिम सूचना के बाद राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित विधेयकों को सभा पटल पर रखता हूं ।

(१) कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक, १९६०

(२) विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक, १९६०

(३) विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १९६०

(४) औषधि (संशोधन) विधेयक, १९६०

(५) विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १९६०

(६) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (मीट्रिक इकाइयों में परिवर्तन) विधेयक, १९६०

(७) दिल्ली प्राथमिक शिक्षा विधेयक, १९६०

(८) सीमा शुल्क तथा उपकर (मीट्रिक इकाइयों में परिवर्तन) विधेयक, १९६०

---

†मूल अंग्रेजी में

२. मैं, गत सत्र में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा ५ सितम्बर, १९६० को लोक-सभा में दी गई अन्तिम सूचना के बाद राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित विधेयकों की प्रतियां, राज्य-सभा के सचिव द्वारा विधिवत प्रमाणित रूप में सभा पटल पर रखता हूं।

१. बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक, १९६०

२. दिल्ली जोत (अधिकतम सीमा) विधेयक, १९६०

३. त्रिपुरा नगरपालिका विधि (निरसन) विधेयक, १९६०

४. अन्तर्राष्ट्रीय-विकास संस्था (स्थिति, उन्मुक्तियां तथा विशेषाधिकार) विधेयक, १९६०

५. मनीपुर भू-राजस्व तथा भूमि सुधार विधेयक, १९६०

६. बागान श्रमिक (संशोधन) विधेयक, १९६०

७. बैंकिंग समवाय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६०

८. बाट तथा माप के प्रमाप (संशोधन) विधेयक, १९६०

९. भारतीय कार्मिक संघ (संशोधन) विधेयक, १९६०

१०. त्रिपुरा भू-राजस्व तथा भूमि सुधार विधेयक, १९६०

सिन्धु पानी सन्धि

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम):** श्रीमन्, २ अगस्त, १९६० को मैंने सभा को आश्वासन दिया था कि उन दिनों वाशिंगटन में सिन्धु पानी सम्बन्धी जो चर्चा चल रही थी उसके पूरे होते ही मैं एक और वक्तव्य दूंगा। यह बातचीत सितम्बर में समाप्त हो गई थी और बाद में तैयार किये गये करार के प्रारूप की दोनों देशों की सरकारों ने समर्थन कर दिया था।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगर वक्तव्य बहुत बड़ा है तो माननीय सदस्य इसे सभा पटल पर रख दें।

†**हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम** : मैं इसे सभा पटल पर रखता हूं। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १५]**।

†**श्री अशोक मेहता** (मुजफ्फरपुर) : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सन्धि की वर्तमान स्थिति क्या है? क्या उसका अनुसमर्थन हो गया है और वह लागू हो गई है?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : श्रीमान्, उसका अनुसमर्थन सरकार द्वारा किया जा चुका है।

†**श्री अशोक मेहता** : तब मैं एक औचित्य प्रश्न उठाना चाहता हूं। इस सन्धि में कतिपय वित्तीय अन्तर्ग्रस्ततायें हैं अतः मैं समझता हूं कि सरकार को उसके संबंध में अंतिम निर्णय करने का अधिकार नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि राज्यक्षेत्र के हस्तान्तरण के समय संसद् से परामर्श किया जाना आवश्यक है। मेरा विचार है कि नदियों के पानी के सम्बन्ध

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अशोक मेहता]

में भी वैसा किया जाना आवश्यक है क्योंकि पानी देश के प्रमुख संसाधनों में आता है। यदि इस सन्धि का अनुसमर्थन सरकार द्वारा किया जा चुका है तो फिर सभा में उसके पेश किए जाने का क्या अर्थ रह जाता है ? यह सभा की वित्तीय शक्तियों का अपहरण है। ब्रिटेन में सन्धि करने की शक्ति तो 'क्राउन' को प्राप्त है परन्तु जहां कहीं वित्तीय प्रश्न होता है उसके सम्बन्ध में अनुसमर्थन संसद् ही करती है। मेरा विचार है कि सरकार इस प्रकार की सन्धि का अनुसमर्थन नहीं कर सकती है।

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)**: मेरा निवेदन है कि वित्तीय विनियोग का प्रश्न सर्वथा भिन्न मामला है। यह सभी जानते हैं कि समस्त विनियोगों के लिए संसद् की मंजूरी लेनी पड़ती है और मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि संबंधित मंत्रालय इस धन की आवश्यकता के समय संसद् के समक्ष विनियोग का प्रस्ताव पेश करेगा। परन्तु उसका करार के अनुसमर्थन के प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

†**श्री अशोक मेहता** : ऐसा नहीं है। सन्धि के अनुच्छेद ५ में यह कहा गया है कि ६२,०६०,००० पौंड स्टर्लिंग का भुगतान दस बराबर किश्तों में प्रति वर्ष पहली नवम्बर को किया जाएगा। इनमें से पहली किश्त १ नवम्बर, १९६० को अथवा यदि उस तारीख तक सन्धि लागू न हुई हो तो उसके लागू होने के एक महीने के अन्दर किया जाना था। अब वह सन्धि लागू हो गई है और हमारा देश इस धन के भुगतान के लिये वचनबद्ध हो गया है। मैं समझता हूं कि संसद् की अनुमति प्राप्त किए बिना सरकार इस प्रकार का वचन नहीं दे सकती है। अतः सभा को इस विषय पर विचार करना चाहिये।

†**श्री नाथपाई** (राजापुर) : मैं इस सम्बन्ध में आपका ध्यान संविधान के अनुच्छेद २५३ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें यह कहा गया है कि "इस अध्याय के पूर्वगामी उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी संसद् को किसी अन्य देश या देशों के साथ की हुई किसी संधि, करार या अभिसमय अथवा किसी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन, सन्था या अन्य निकाय में किए गए किसी विनिश्चय के परिपालन के लिये भारत के सम्पूर्ण राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कोई विधि बनाने की शक्ति है।" इसलिये मैं समझता हूं कि सभा को इस मामले में विचार करने का अधिकार है।

†**अध्यक्ष महोदय**: जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है सन्धि करने का उपबन्ध सूची १ के चौदहवें पद में है। उसमें कहा गया है :

> "विदेशों से सन्धि और करार करना तथा विदेशों से की गई सन्धियों, करारों और अभिसमयों की अभिपूर्ति।"

अनुच्छेद २५३ तो सक्षम उपबन्ध है सन्धि करने का मूल अधिकार सरकार को ही प्राप्त है। वह चाहे तो संसद् का अनुसमर्थन प्राप्त करने के लिए किसी सन्धि को पेश कर सकती है परन्तु वह वैसा करने के लिये बाध्य नहीं है। जब इससे संबंधित मांग पेश की जायगी तब माननीय सदस्य उसे अवश्य अस्वीकृत कर सकते हैं तथा ऐसी स्थिति में सरकार को पद छोड़ना होगा। परन्तु हम उन शक्तियों को नहीं छीन सकते जो सरकार को संविधान के अन्तर्गत प्राप्त हैं। ब्रिटेन में भी ऐसा ही है कि सामान्यतः सन्धियां अनुसमर्थन हेतु संसद् में नहीं पेश की जाती है जब तक कि सरकार स्वयं वैसा न चाहे। अतः इसमें कोई औचित्य प्रश्न नहीं है। जब सभा में मांग पेश की जाएगी तब माननीय सदस्य अपने मत व्यक्त कर सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अशोक मेहता :** सन्धि के अनुसमर्थन के पश्चात् हमारे लिए उसको स्वीकृति प्रदान करने के अतिरिक्त रह ही क्या जाता है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि माननीय सदस्य सरकार का समर्थन नहीं करते हैं तो वे जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। सरकार के लिए सन्धियों को सभा में पेश करना आवश्यक नहीं है जब तक कि संधि में ही वैसा करने के लिए न कहा गया हो। इसलिए मैं इस औचित्य प्रश्न को ठीक नहीं समझता हूं।

†**श्री नाथपाई:** मैं एक अन्य प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं। अनुच्छेद २४६(१) में यह कहा गया है कि "खंड (२) और (३) में किसी बात के होते हुए भी संसद् को सप्तम अनुसूची की सूची (१) में प्रगणित विषयों में से किसी के बारे में विधि बनाने की अनन्य शक्ति है।" मैं समझता हूं कि संसद् की इन शक्तियों का अपहरण किया जा रहा है। हम संघ सरकार की सन्धि करने की शक्ति को तो स्वीकार करते हैं परन्तु हमारा विचार है कि उसे क्रियान्वित करने के पूर्व संसद् से परामर्श किया जाना चाहिए।

†**श्री नौशीर भरूचा :** मेरा निवेदन है कि श्री अशोक मेहता द्वारा उठाए गए औचित्य प्रश्न में दो बातों का संकेत किया गया है। जहां तक सन्धि करने का प्रश्न है हम यह स्वीकार करते हैं कि उसका अधिकार सरकार को प्राप्त है। परन्तु जिस बात पर हमें आपत्ति है वह है भारत की संचित निधि में से भुगतान। अनुच्छेद २६६(३) में यह कहा गया है कि "भारत की या राज्य की संचित निधि में से कोई धन विधि की अनुकूलता से तथा इस संविधान में उपबन्धित प्रयोजनों और रीति से अन्यथा विनियुक्त नहीं किए जायेंगे।" अतः यदि सरकार संसद् के समक्ष अनुपूरक मांग पेश करके उसकी मंजूरी प्राप्त करने के पूर्व भुगतान करती है तो वह अनुच्छेद २६६(३) का उल्लंघन करना होगा।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं कह चुका हूं कि जहां तक संधि करने का मामला है इसमें कोई औचित्य प्रश्न नहीं है क्योंकि सूची १ के पद १४ के अन्तर्गत सरकार को संधि करने और उसे क्रियान्वित करने का अधिकार प्राप्त है। श्री नौशीर भरूचा ने भी इसे स्वीकार किया है। जहां तक धन के भुगतान का प्रश्न है चूंकि अभी कोई अनुपूरक मांग नहीं पेश की गई है इसलिए उसके संबंध में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

†**श्री ब्रज राज सिंह** (फिरोजाबाद): उच्चतम न्यायालय के निर्णय में बेरुबाड़ी के संबंध में........

†**अध्यक्ष महोदय :** बेरुबाड़ी का उल्लेख यहां असंगत है। वह राज्य क्षेत्र के हस्तान्तरण का मामला था जो सर्वथा भिन्न प्रश्न है।

†**श्री नाथपाई :** क्या इस सन्धि के संबंध में सभा में चर्चा करने का अवसर मिलेगा ? यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है इसलिए उसके संबंध में चर्चा होनी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि सभा के नेता विरोधी पक्ष की इस मांग को स्वीकार करेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है इस बात पर। माननीय सदस्य प्रक्रिया नियम जानते हैं। यदि वह इस विषय पर चर्चा चाहते हैं तो उसके लिए नियमों में उपबन्ध है। पहले माननीय सदस्य इस वक्तव्य को पढ़ें और फिर नियमानुसार प्रस्ताव पेश करें।

---

†**मूल अंग्रेजी में**

विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन

†**सरदार हुक्म सिंह** (भटिण्डा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि धीरेन्द्र भौमिक द्वारा एक पुस्तिका में अध्यक्ष और सभा पर किए गए कथित आक्षेपों के बारे में विशेषाधिकार के प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन पेश करने का समय २३ दिसम्बर, १९६० तक बढ़ा दिया जाये।"

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ।

मोटर परिवहन कर्मचारी विधेयक संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

†**श्री मूलचन्द दुबे** (फर्रुखाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि मोटर परिवहन कर्मचारी विधेयक, १९६० सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन पेश करने के लिए नियत समय ५ दिसम्बर, १९६० तक बढ़ा दिया जाये।"

†**श्री तंगामणि** (मदुरै): यह विधेयक तो बहुत छोटा है फिर इसके लिए समय क्यों बढ़ाना चाहिये।

†**श्री मूलचन्द दुबे** : विधेयक की खंडवार चर्चा समाप्त हो गई है। एक छोटी सी बात शेष रह गई है जो राज्य सभा का सत्र न होने के कारण रह गई है। राज्य सभा का सत्र बुलाने में काफी खर्चा होगा अतः खर्चा बचाने के लिये समय बढ़ाया जा रहा है।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि मोटर परिवहन कर्मचारी विधेयक, १९६०, सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन पेश करने के लिये नियत समय ५ दिसम्बर, १९६० तक बढ़ा दिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

महेन्द्र प्रताप सिंह जायदाद (निरसन) विधेयक

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)**: मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि महेन्द्र प्रताप सिंह जायदाद अधिनियम, १९२३ के निरसन तथा प्रासंगिक मामलों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि महेन्द्र प्रताप सिंह जायदाद अधिनियम, १९२३ के निरसन तथा प्रासंगिक मामलों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**श्री गो० ब० पन्त** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

मोटरगाड़ी (द्वितीय संशोधन) विधेयक

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि मोटरगाड़ी अधिनियम, १९३९ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

मीट्रिक प्रणाली चालू करने के निर्णय के अनुसार मोटर परिवहन उद्योग में भी मीट्रिक इकाइयां चालू करने का विचार किया गया है। इस प्रयोजन के लिए प्रभावी तिथि १ जनवरी, १९६१ रखने का प्रस्ताव किया गया है।

रेलवे, नौपरिवहन तथा कुछ वाणिज्यिक संगठन, सीमाशुल्क, उत्पादन शुल्क तथा डाक और तार विभाग या तो मीट्रिक प्रणाली अंगीकार कर चुके हैं या करने जा रहे हैं। स्पष्ट है कि भार तथा माप की दो प्रणालियां व्यापार तथा उद्योग और राज्य सरकारों दोनों के लिए ही असुविधा तथा कठिनाइयां उत्पन्न करेंगी। राज्य सरकारों के लिए दो विभिन्न उद्योगों अथवा वाणिज्यिक संगठनों में दोनों प्रणालियों को लागू करना कठिन होगा। इसलिए मोटर परिवहन उद्योग में मीट्रिक प्रणाली को अपनाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

इस संबंध में मोटर गाड़ी अधिनियम में किए गए भार तथा माप के समस्त निर्देशों को मीट्रिक प्रणाली में परिवर्तित करना है। भार तथा माप की वर्तमान इकाइयों के बिल्कुल सही पर्याय अंगीकार करना संभव नहीं है क्योंकि वे पूर्णांक नहीं होंगे। उदाहरण के लिए मोटरगाड़ी अधिनियम की धारा २(९) के अन्तर्गत मोटरगाड़ी की व्याख्या में कहा गया है "वह गाड़ी जिसका भार १८००० पौंड से अधिक न हो।" नए बाटों में यह भार ८१६४.६६३२ किलोग्राम होगा। इसलिए उसे पूर्णांक में रखना होगा। परन्तु भार तथा माप प्रतिमान अधिनियम, १९५६ के अन्तर्गत पूर्णांक बनाना संभव नहीं है और वैसा मोटरगाड़ी अधिनियम में संशोधन द्वारा ही किया जा सकता है। इसीलिए यह विधेयक लाया गया है।

मोटरगाड़ी विधान सहवर्ती सूची में है और उसके अन्तर्गत संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नियम बनाए गए हैं। इसलिए राज्य सरकारों को भी इस परिवर्तन के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे। उन्हें वैसा करने के लिए कहा जा चुका है और मुझे विश्वास है कि वे कालान्तर में आवश्यक कदम उठायेंगी।

जहां तक इकाइयों के वास्तविक परिवर्तन का संबंध है, एक सड़क परिवहन सम्बन्धी प्रविधिक समिति नियुक्त की गई थी जिसमें राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी तथा केन्द्रीय परिवहन तथा संचार, वाणिज्य तथा उद्योग एवं प्रतिरक्षा मंत्रालयों के प्रतिनिधि थे। उसने विभिन्न धाराओं के संबंध में विस्तृत छानबीन की है और उसके द्वारा की गई सिफारिशों के परिणाम-स्वरूप अनेक संशोधन उपस्थित किए गए हैं।

स्पष्ट है कि इस परिवर्तन के लिए कुछ संक्रमण अवधि रखनी होगी जिसमें दोनों प्रणालियां चालू रहेंगी। इस प्रयोजन के लिए एक वर्ष का समय निर्धारित किया गया है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री राज बहादुर]

भार तथा मापों के संबंध में समस्त देश के उद्योगों तथा वाणिज्यिक संगठनों के लिए जो नीति अंगीकार की जा चुकी है उसके अनुसरण में यह विधेयक अत्यन्त आवश्यक है और मैं आशा करता हूं कि सभा उसे स्वीकृति प्रदान करेगी।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री प्रभात कार** (हुगली) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इस संबंध में मैं केवल एक बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में यह कहा गया है कि राज्य सरकारों के लिए व्यापार तथा परिवहन के लिए भिन्न भिन्न भार तथा माप प्रणालियां रखना कठिन होगा। मेरा निवेदन है कि जब हम मीट्रिक प्रणाली अपना लें तो स्कूलों में केवल मीट्रिक प्रणाली ही पढ़ाई जाये ताकि जब वे बच्चे बड़े हों तो उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में मीट्रिक प्रणाली अपनाने में सरलता हो। इस प्रणाली की उपयोगिता सभी लोग स्वीकार करते हैं। परन्तु नई होने के कारण अभी शिक्षित वर्ग भी उससे परिचित नहीं है इसलिए नए पैसों को तरह उसको अंगीकार करने में भी प्रारम्भ में कठिनाई होगी। हमें मीट्रिक प्रणाली के संबंध में अनेक पर्चे दिए गए हैं फिर भी हम उसे ठीक तरह नहीं समझ सके हैं फिर जनसाधारण का क्या बात है। इसलिए शिक्षा पद्धति में नए भार तथा मापों का शीघ्र अपनाया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि उसके पीछे जो सिद्धान्त है वह तो बहुत पहले स्वीकार किया जा चुका है।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : विधेयक की आठवीं अनुसूची मोटरगाड़ियों की रफ्तार से संबंध रखती है। इस में हल्की मोटरगाड़ियों और मोटर साइकिलों की रफ्तार नहीं दी गई है। इस संबंध में मेरा सुझाव यह है कि उन के लिये अधिकतम ३५ या ४० मील की चाल रखी जाय। किलोमीटर में यह दूरी लगभग ६५ किलोमीटर के बराबर होगी। यह संशोधन इसी समय किया जा सकता है।

†**श्री राज बहादुर :** विरोधी पक्ष के सदस्य ने यह सुझाव दिया है कि इस नई पद्धति के संबंध में उचित शिक्षा दी जानी चाहिये जिस से कि हमारे छोटे और अपरिपक्व बच्चों को इस की कठिनाइयां अनुभव न हों। मैं उन से सहमत हूं। तथापि यह सलाह शिक्षा मंत्रालय को दी जानी चाहिये। मेरे विचार से वे इस सम्बन्ध में जागरूक हैं, बालकों को इस परिवर्तन के सम्बन्ध में कोई कठिनाई अनुभव नहीं होगी क्योंकि वे इस नई व्यवस्था में ही बढ़ रहे हैं। हमारे लिये कुछ कठिनाई हो सकती है, क्योंकि हमारी शिक्षा समाप्त हो चुकी है। हमारा दिमाग एक पिटी हुई लीक पर काम कर रहा है और इस लीक से बाहर निकलना बहुत कठिन है। अतः हमारे लिये उस लीक से बाहर निकलना आवश्यक है जिस से कि हम इस परिवर्तन के लिये अपने को तैयार और शिक्षित कर सकें।

श्री भरूचा द्वारा उठाये गये प्रश्न के सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि इस विधेयक का उद्देश्य बहुत सीमित है। इस के द्वारा मोटरगाड़ी अधिनियम में मीलों के स्थान पर मीटरिक प्रणाली रखने की व्यवस्था की गई है। तथापि उन के सुझाव की उपयोगिता से इन्कार नहीं किया जा सकता है। निःसन्देह इस की जांच की जा सकती है तथापि अभी इसी स्थान पर ऐसा करना संभव नहीं होगा। मैं नहीं जानता की हल्की मोटरगाड़ियों और मोटर साइकिलों के लिये रफ्तार की अधिकतम सीमा

---

†मूल अंग्रेजी में

क्यों निश्चित नहीं की गई है। शायद वे इस से अधिक रफ्तार से नहीं भाग सकती होंगी। इसलिये इस सम्बन्ध में कोई अधिकतम सीमा विहित नहीं की गई। इसे उस समय शामिल किया जा सकता है जब इस अधिनियम में व्यापक संशोधन किया जाय।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि मोटरगाड़ी अधिनियम १९३९ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : खंडों के संबंध में कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, अतः मैं सभी खंडों को एक साथ मतदान के लिये रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि खंड २ से १०, खंड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २ से १०, खंड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**श्री राज बहादुर** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कर्मचारी भविष्य निधि, अधिनियम १९५२ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

मुख्य अधिनियम के अधीन ७७२६ संस्थापनों में काम करने वाले २८ लाख श्रमिक आते हैं। यह अधिनियम उन उपक्रमों में लागू है जिन में कम से कम ५० श्रमिक काम करते हैं, केवल समाचार पत्र संस्थाओं के लिये यह संख्या घटा कर २० कर दी गई है। अब इस उद्देश्य से कि छोटे उपक्रमों में काम करने वाले कर्मचारी भी, बड़े उपक्रमों में काम करने वाले कर्मचारियों की तरह लाभ उठा सकें, यह सामान्य नियम बना दिया गया है कि यह अधिनियम उन संस्थापनों में भी लागू हो जायेगा जहां कम से कम २० कर्मचारी काम करते हैं।

अधिनियम की क्रियान्विति से यह ज्ञात हुआ है कि दायित्व से बचने के लिये कर्मचारियों की संख्या को विहित न्यूनतम संख्या से कम करने के प्रयत्न किये जाते हैं। हमने यह व्यवस्था की है कि संस्थापन की स्थिति में तब तक कोई अन्तर नहीं आ जायेगा जब तक कि वहां काम करने वाले कर्म-

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री आबिद अली]

चारियों की संख्या घट कर १५ से कम नहीं हो जाती और यही संख्या एक वर्ष से अधिक समय तक स्थिर रहती है ।

विधेयक में एक अन्य व्यवस्था यह की गई है कि विधेयक के प्रयोजनों के लिये संस्थापन की उसी स्थान या विभिन्न स्थानों पर स्थित शाखाओं को एक संस्थापन माना जायगा ।

इस का यह फल होगा कि यदि किसी विशेष विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या विहित संख्या से कम भी हो, तो भी यदि सभी विभागों और शाखाओं में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या २० से अधिक होगी तो उन्हें इस अधिनियम के अधीन लाभ प्राप्त करने का अधिकार होगा ।

सामयिक उपक्रमों में काम करने वाले श्रमिकों को भी इस विधेयक के उपबन्धों से लाभ होगा । चीनी उद्योगों में श्रमिकों को काम न होने पर भी काम में लगे रहने का भत्ता मिलता है । भविष्य निधि के अंशदान का हिसाब लगाते समय चीनी उद्योग या ऐसे ही अन्य उपक्रमों में मिलने वाले इन भत्तों को भी शामिल किया जायेगा ।

अधिनियम की सीमा को व्यापक बनाते समय हम ने यह अनुभव किया है कि सहकारी समितियों, गृह उद्योगों और छोटे उद्योगों को विशेष रियायत मिलनी चाहिये । अतः ऐसी सहकारी समितियों को छूट दे दी गई है जोकि बिना किसी शक्ति की सहायता से काम करती हैं और जिन में ५० व्यक्तियों से कम कर्मचारी काम करते हैं । ऐसे छोटे या गृह उद्योगों को जिन में २० से ५० व्यक्ति तक काम करते हैं उन्हें तीन वर्ष के स्थान पर ५ वर्ष की अवधि के लिये छूट दे दी गई है ।

इस छोटे विधेयक का उद्देश्य केवल इतना है कि छोटे उपक्रमों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी पदनिवृत्ति के लाभ मिल सकें तथा साथ साथ सहकारी तथा छोटे पैमाने के उद्योगों को कुछ छूट भी मिल सके । मैं सभा से सिफारिश करता हूं कि इस विधेयक पर विचार किया जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

क्या श्री नलदुर्गकर अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं ?

श्री नलदुर्गकर : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक पर ३१ जनवरी १९६१ तक राय जानने के लिये उसे परिचालित किया जाये "

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए ।

†**श्री स० म० बनर्जी** (कानपुर) : म इस विधेयक का समर्थन करता हूं । तथापि मेरे विचार से यदि इस के स्थान पर दूसरा विधेयक प्रस्तुत किया जाता जिस में भविष्य निधि का अनुपात $6\frac{1}{4}$ प्रतिशत से बढ़ा कर $8\frac{1}{3}$ प्रतिशत कर दिया जाता तो अधिक अच्छा था । सरकार वस्तुतः इस सिद्धान्त से सहमत हो चुकी है तथापि वह अभी तक नियोजकों को इस बात से सहमत नहीं कर सकी ।

सहकारी समितियों और छोटे पैमाने के उद्योगों को इस दायित्व से छूट दी गई है । मेरे विचार से यह उचित नहीं है, क्योंकि भविष्य निधि ही एक ऐसी राशि है जो कर्मचारी को पदनिवृत्ति के

†मूल अंग्रेजी में

पश्चात् प्राप्त होती है अतः किसी भी उपक्रम के कर्मचारी को इस के लाभ से वंचित करना ठीक नहीं है। मैं जानता हूं कि कई सहकारी समितियां लाभ कमा रही हैं और वे इस योग्य हैं कि वे अपने कर्मचारियों को भविष्य निधि में अंशदान दे सकें अतः मैं सरकार से यह जानना चाहता कि सहकारी समितियों को यह छूट उन के अनुरोध पर दी गई है या स्वयं सरकार ने ही प्रदान की है। मेरे विचार से इस सुझाव पर विचार किया जाय।

मैं इस बात से सहमत हूं कि यह विधेयक उन उपक्रमों में भी लागू कर दिया गया है जहां ५० से कम व्यक्ति काम करते हैं, तथापि मैं यह जानना चाहता हूं कि उन उपक्रमों से बकाया राशि जमा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है जिन्होंने पहिले ही इस राशि में बहुत सा रुपया चुकाना है। मुझे दुख है कि अधिकांश मिल मालिक न केवल भविष्य निधि के अंश दान का, अपितु आय कर, बिक्री कर, धन कर बिजली कर इत्यादि का भी रुपया नहीं चुकाते हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है।

मैं उपमंत्री जी से यह भी निवेदन करूंगा कि वह भविष्य निधि नियमों में भी संशोधन करने पर विचार करें। मैं आशा करता हूं कि इस से कर्मचारियों को राहत मिलेगी और वे इस का स्वागत करेंगे।

†**श्री नलदुर्गकर** (उस्मानाबाद) : मेरे संशोधन का उद्देश्य यह है कि विधेयक को राय जानने के लिये परिचालित किया जाय ताकि कर्मचारियों और नियोजकों को इस विधेयक के उपबन्धों का सही सही पता चल सके और वे इस बात का निश्चय कर सकें कि इस के अंशदान में कितनी कमी या वृद्धि की जानी चाहिये।

मूल विधेयक १९५२ में प्रस्तुत किया गया था। उस की धारा १ में यह विहित किया गया है कि सरकार एक अधिसूचना निकाल कर इस अधिनियम को ऐसे किसी भी संस्थापन में लागू कर सकती है जहां ५० से कम व्यक्ति काम करते हैं। इस प्रकार मूल अधिनियम के अधीन ही सरकार को यह अधिकार प्राप्त था तथापि इस का उपयोग नहीं किया गया। अब यह उपबन्ध किया जा रहा है यह विधेयक ऐसे संस्थापनों में लागू किया जायेगा जहां २० व्यक्ति तक काम करते हों। अतः मेरे संशोधन का तात्पर्य यह है कि कर्मचारियों को सही स्थिति का पता होना चाहिये और सरकार को चाहिये कि वे ऐसे सभी संस्थापनों में जहां २० व्यक्ति से अधिक काम करते हों इसे भूतलक्षी अवधि से लागू करें।

खंड दो में नियोजक को यह अधिकार दिया गया है कि वह एक वर्ष पश्चात् कर्मचारियों की संख्या घटा कर सरकार को इस की सूचना दे सकता है मेरे विचार से यह खंड हानिकारक है। इसे हटा देना चाहिये।

खंड ५ में २० से अधिक किन्तु ५० से कम और ५० से अधिक कर्मचारियों वाले संस्थापनों में विभेद किया गया है। यह अनुचित है। उक्त दो प्रकार के उपक्रमों में किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाना चाहिये।

यह विधेयक उन उपक्रमों पर भी भूतलक्षी अवधि से लागू किया जाना चाहिये जो तीन वर्ष पूर्व स्थापित हो चुके हैं, इस से कर्मचारियों की बहुत बड़ी संख्या को लाभ होगा।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव** (खम्मम्) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। इस से श्रमिकों की पुरानी मांग स्वीकार की गई है जिसे कि त्रिदलीय सम्मेलन ने भी स्वीकार कर लिया था। कर्म-

†मूल अंग्रेजी में

[श्री त० ब० विट्ठलराव]

चारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत २८ लाख कर्मचारियों को लाभ पहुंचता है। सामाजिक सुरक्षा की दिशा में भारत अभी अपने प्रथम चरण में है अतः इस दृष्टि से भी इस विधान का स्वागत किया जाना चाहिये। इस में यह व्यवस्था कर दी गई है कि यदि किसी संस्थान में २० अथवा २० से अधिक कर्मचारी होंगे वहां यह अधिनियम लागू होगा। कर्मचारियों को दिया गया यह संरक्षण बहुत ही श्लाघायोग्य है। विधेयक के सभी उपबंधों में समुचित ढंग से सारी बातों की व्यवस्था की गई है।

खंड ५ का मैं विरोध करता हूं। मूल अधिनियम के अधीन, सरकार को अधिकार प्राप्त है कि वह किसी भी संस्थापन को इस अधिनियम के प्रभाव से मुक्त कर दे। इस में यह देखना होगा कि यदि किसी संस्थापन की जिस में कि २० से अधिक कर्मचारी काम करते हैं आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं तो उसे इस अधिनियम से छूट दी जा सकेगी। अतः खंड ५ मेरे मत में बिलकुल अनावश्यक है और

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुये]

इसे विधेयक से निकाल दिया जाना चाहिये। इस से लोग अनुचित लाभ उठायेंगे। यह पांच और तीन वर्षों की छूट वाली बात भी जंचती नहीं।

इस के अतिरिक्त मैं इस बात पर भी जोर देना चाहता हूं कि सरकार को उस २ करोड़ की राशि को वसूल करने की दिशा में कार्यवाही करनी चाहिये जोकि नियोजकों की ओर बकाया है। सरकार को कर्मचारी भविष्य निधि के आयुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रस्थापनाओं पर यह निर्णय करना चाहिये कि भविष्य निधि का भुगतान नहीं करना एक निरन्तर अपराध माना जायेगा। इस के साथ ही यह भी ध्यान रखा जाना चाहिये कि यदि किसी संस्थापन को समाप्त किया जाय, तो अन्य ऋण दाताओं के मुकाबले में भविष्य निधि की राशि को सब से अधिक प्राथमिकता दी जाय।

मैं इस बात पर भी जोर देना चाहता हूं कि कर्मचारियों की पात्रता की अवधि १५ वर्ष से कम कर के तीन वर्ष कर दी जानी चाहिये। इस मामले में मालिकों की धमकियों से हमें प्रभावित नहीं होना चाहिये। साथ ही भविष्य निधि के अंशदान की दर ६¼ प्रतिशत से बढ़ा कर ८⅓ प्रतिशत कर दी जानी चाहिये। इस संगठन में लगे उत्तरदायी अधिकारियों को काफी सचेत रह कर काम करना चाहिये और मामलों के सम्बन्ध में निर्णय करने में अनावश्यक देरी नहीं करनी चाहिये।

मैं विधेयक का स्वागत करता हूं परन्तु खंड ५ को निकाल देने पर जोर देता हूं।

श्री रामसिंह भाई वर्मा (निमाड़) : श्रीमान्, जो अमेंडमेंट हाउस के सामने पेश किये गये हैं उन का कुछ हद तक मैं समर्थन करता हूं। जो श्रमिक अपनी मेहनत मजदूरी से पेट भरता है उस के लिये प्राविडेंट फंड एक बहुत ही जरूरी चीज़ है। वह उस की मेहनत का हिस्सा है। जिस प्रकार जो पढ़े लिखे लोग दफ्तरों में जाते हैं उन के लिए साइकिल, घड़ी, पेन और स्त्री जरूरी हैं, उसी प्रकार एक मेहनतकश के लिये उस का प्राविडेंट फंड भी निहायत जरूरी है। एक श्रमिक के लिए एक प्राविडेंट फंड ही ऐसी चीज है जो उस की बेवा की मदद कर सकता है। अगर इस प्रावीडेंट फंड को स्त्रीधन कहा जाय तो बहुत अनुचित नहीं होगा।

पहला संशोधन ५० से घटा कर जहां २० काम करते हों वहां भी यह एक्ट लागू करने का है। मैं यह मानता हूं कि अगर ५० की संख्या घटा कर २० की गई तो देश के काफी श्रमिकों को इस का लाभ होगा और हमारी प्लान में भी इस प्राविडेंट फंड से काफी मदद होगी। इस का मैं स्वागत करता हूं।

लेकिन एक निवेदन इस के साथ करना चाहता हूं कि कुछ श्रमिक ऐसे हैं कि जहां पर वे काम करते हैं उन की संख्या तो बहुत कम है लेकिन उस कनसर्न के अन्दर प्राफिट बहुत होता है, लेकिन उन श्रमिकों के वेतन बहुत कम होते हैं, और उन्हें प्राविडेंट फंड आदि नहीं मिलता, वह श्रमिक हैं खास कर पढ़े लिखे गुमाश्ते, मध्यवर्गीय । इस अमेंडमेंट से भी उन को फायदा मिलने वाला नहीं है । तो गवर्नमेंट को इस पर भी विचार करने की ज़रूरत है कि जो ग्रेजुएट हैं, मैट्रिकुलेट हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, मिडिल क्लास के हैं वे और ऐसे फर्मों में काम करते हैं जहां कि पांच सात ८ या १५ आदमियों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वे फर्म इतना ज्यादा कमाते हैं कि जितना वे कनसर्न भी नहीं कमाते जहां ५० श्रमिक काम करते हैं । जो संशोधन लाये गये हैं उन से इन मध्यम वर्गीय गुमाश्तों को फायदा मिलने वाला नहीं है । इसलिए मेरा निवेदन है कि गवर्नमेंट को इस बारे में भी विचार करना चाहिये और कोई दूसरा अमेंडमेंट इस तरह का लाना चाहिये कि इन पढ़े लिखे मध्यवर्गीय गुमाश्ता लोगों को भी यह फायदा मिल सके ।

रिटेनिंग एलाउंस सम्बन्धी संशोधन भी बड़ा महत्व रखता है । आई० एन० टी० यू० सी० की तरफ से एक दो बार मिनिस्टर साहब का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि सीजनल सूगर फैक्टरीज़ में लाखों लोग एक खास काम करते हैं और उन को रिटेनिंग एलाउंस मिलता है । उन का प्राविडेंड फंड भी काटा जाता है, लेकिन उस में उन का रिटेनिंग एलाउंस शामिल नहीं किया जाता और उस पर प्राविडेंट फंड नहीं काटा जाता । पर यह भी तो उन की मेहनत का हिस्सा है । गवर्नमेंट ने भी इस को महसूस किया है । इसी आधार पर यह अमेंडमेंट लाया गया है । इस का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं क्योंकि इस से भी लाखों श्रमिकों को फायदा मिलेगा । तीसरी अमेंडमेंट कोआपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में है । मुझे अभी तक यह समझ में नहीं आया कि कोआपरेटिव सोसाइटीज़ की संख्या के अन्दर यह तरमीम २० और ५० के अन्तर्गत अलग क्यों की गई है ? आज कोआपरेटिव सोसाइटीज़ भी ऐसी हैं कि जिन को शोषण करने वाले लोग भी चला रहे हैं । उन के अन्दर हद से ज्यादा प्राफिट होता है लेकिन वे प्राविडेंट फंड का पैसा जमा नहीं कराती । कुछ ऐसे लोगों ने यह बड़ा उद्योग शुरू किया है और वहां कोई १५, २० या २५ आदमी उन्होंने रक्खे हैं और कहीं पर ३० रक्खे हैं और उस में बेशुमार मुनाफा कमाते हैं । कमाई का धंधा इतना है कि बम्बई के अन्दर मिनिमम वेजेज़ एक्ट लागू किया तो उन कोआपरेटिव सोसाइटीज़ को वहां से खत्म कर के मध्यप्रदेश में कायम किया । मध्यप्रदेश में मिनिमम वेजेज़ एक्ट लागू किया तो वहां से खत्म कर के दूसरी जगह ले गये लेकिन हैं सब जगह वही आपस के भाई बंद । मैं तो आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि कोआपरेटिव सोसाइटीज़ को इस तरह की छूट देना ठीक न होगा । वह ५० आदमी से कम आदमी रख लेंगे, अलग अलग ग्रुपों में बैठा लेंगे इसलिये कोआपरेटिव सोसाइटीज़ को भी यह छूट नहीं दी जानी चाहिये ।

इस के बाद मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्राविडेंट फंड्स के मूल एक्ट के अन्दर जो खामी है उस का भी बड़े बड़े उद्योगपति नाजायज़ फायदा उठा रहे हैं और वह है २४० दिन की कैद । एक श्रमिक जिस की कि १२ महीने की कंटीनुएस सर्विस होती है और २४० दिन की हाजिरी होती है तो उस का प्राविडेंट फंड काटा जाता है वरना उस का प्राविडेंट फंड नहीं काटा जाता है । हालत यह हो गई है कि कितने ही मजदूर हैं जोकि काम छोड़ कर जाते हैं और उन की खाली जगहों पर जो बदली वाले रखने चाहियें, तो उन बदली वालों की इतनी ज्यादा संख्या रखते हैं कि उन्हें महीने के अन्दर ५, ५ और ६, ६ दिन भी काम नहीं मिलता लेकिन उन्हें अपने कार्ड पर हाजिरी लगवाने के लिये रोजाना कारखाने पर आना पड़ता है । बदली वालों की संख्या ज्यादा जानबूझ कर रक्खी जाती है ताकि उन की हाजिरी साल भर के अन्दर २४० दिन की न होने पाये । जो वैकेंसीज़ होती हैं उन पर वैकेंसीज़ से कहीं अधिक बदली वाले रख लिये जाते हैं । एक जगह खाली होती है तो उस

[श्री रामसिंह भ.ई वर्मा]

पर एक ही बदली वाले को नहीं रखते और होता यह है कि आज उसे रक्खा तो कल किसी दूसरे को रक्खा और परसों किसी और तीसरे को काम पर रक्खा । इस तरीके से ३, ३ और ४, ४ वर्ष तक खाली पोस्ट्स पर यह बदली वाले काम करते हैं लेकिन उन की २४० दिन की हाजिरी नहीं हो पती है और बदली वालों को अधिक संख्या में रखने का एक मकसद यह है कि २४० दिन की हाजिरी किसी भी श्रमिक की १२ महीने के अन्दर न होने पाये । और उन्हें प्रावीडेंट फंड न देना पड़े । मेरा यह निवेदन है कि श्रीमन्, को इस बारे में भी विचार करने की जरूरत है कि जब एक वैकेंसी होती है जगह खाली होती है तो उस के ऊपर आदमी फौरन आना चाहिये और वह उस के ऊपर परमानेंट होना चाहिये और उस को प्राविडेंट फंड का बराबर फायदा मिलना चाहिये । एक श्रमिक को तीसों दिन कारखाने के अन्दर आना पड़ता है और यदि उस को केवल महीने में ४, ५ या ६ दिन ही काम मिले तो उस हालत में भी उस को रोजाना कारखाने में आने जाने का किराया भी नहीं मिलता है यह भी विचार करने की जरूरत है ।

इसी के साथ साथ प्राविडेंट फंड एथौरिटीज़ जोकि आप की स्टेट्स के अन्दर हैं उन्हें आप एफेक्टिव बनाइये । हालत यह हो गई है कि बड़े बड़े कारखाने हैं जिन के कि अन्दर लाखों करोड़ों का शेयर कैप्टिल है बड़े भारी भारी उद्योग धंधा चलाते हैं, लाखों और करोड़ों रुपया इधर से उधर करते हैं लेकिन एक श्रमिक जो काम करता है उस की मजदूरी में से जो प्राविडेंट फंड की रकम काटी जाती है कानून के अनुसार २० दिन के अन्दर अन्दर वह अधिकृत स्थान या सरकारी खजाने में जमा हो जानी चाहिये लेकिन श्रीमन्, महीने महीने, दो दो महीने और ४,४, ६, ६ और कभी कभी १२, १२ महीने तक वह रकम सरकारी खजाने में जमा नहीं होती है और उस में श्रमिक को जो कष्ट होता है उस का आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं । कभी कभी तो यह कारखाने बंद हो जाते हैं और २, २ और ३, ३ साल तक वह रकम श्रमिकों को नहीं मिलती है । ऐसी हालत में गवर्नमेंट फिर यह विचार करती है कि भाई यह जो प्राविडेंट फंड और यह जो सारे कारखाने बंद हो जाने के कारण श्रमिक को वह रकम नहीं मिल पाई है तो उस की भरपाई करने के लिये कोई फंड इकट्ठा किया जाय । मैं तो कहूंगा कि आखिर यह हालत पैदा ही क्यों हों ? जब पालियामेंट एक कानून बनाती है और उस कानून के अन्तर्गत एक कारपोरेशन बनाती है तो सरकार का यह काम है कि वह देखे कि जब सरकार पर विश्वास कर के श्रमिक ने प्राविडंट फंड स्कीम लागू करना मंजूर किया है और जो उस की रकम काटी जाती है वह उस को मिले । अब यदि एक एम्पलायर है जोकि अपने कर्मचारियों की प्राविडेंट फंड की रकम जमा नहीं करा रहा है तो गवर्नमेंट को यह देखना है कि कानून के अनुसार उस के ऊपर क्या कार्यवाही करनी चाहिये । अनुभव यह बतलाता है कि एक श्रमिक अगर कानून के बरखिलाफ कोई काम करता है तो उसे अपनी नौकरी से रोजी से, हाथ धोना पड़ता है और कभी कभी तो उसे जेल तक की भी हवा खानी पड़ती है लेकिन यह एम्पलायर्स लोग जोकि लाखों रुपयों का इस तरीके से गोलमाल करते हैं, गवर्नमेंट ऊंचा हाथ कर के उन के सामने खड़ी हो जाती है और उन के खिलाफ कोई कार्यवाही करने की उस की हिम्मत नहीं होती है ।

मैं अपने यहां के एक कारखाने की बात करूं । सन् १९५८ में उस कारखाने के मालिक ने लाख रुपया प्राविडेंट फंड का जमा नहीं कराया । सेन्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उसके बारे में एक एन्क्वारी कमेटी बिठाई गई और उस कमेटी ने यह कहा कि नवम्बर, १९५८ तक इस कारखाने ने ५ लाख रुपया प्राविडेंट फंड का जमा नहीं कराया है । आज नवम्बर, १९६० है । लगभग २० लाख रुपया इस कारखाने के मालिक ने प्राविडेंट फंड के आज तक जमा नहीं कराया । इतनी रकम जमा हो गई । अब अगर कल को कारखाना बंद हो गया तो क्या हालत बनेगी? उस कारखाने के ऊपर पहले ही

फाइनेन्शियल कारपोरेशन का ७, ८ लाख रुपया निकलता है और कभी कभी दो, तीन महीने का मज़दूरों का वेतन चढ़ जाता है । सारे कारखाने की कीमत इनक्वायरी कमेटी के हिसाब से २५ लाख की है और अगर उस कारखाने को नीलाम किया गया तो, उस कारखाने को बेचा गया तो २५ लाख रुपये से ज्यादा आने वाला नहीं जिसमें २, ३ महीने की मजदूरों की तनख्वाह है, २० लाख रुपया प्राविडेंट फंड का है और ७, ८ लाख फाइनेंशियल कारपोरेशन का है। अब श्रीमान् यह जवाबदेही किस की है ? मेरी समझ में यह गवर्नमेंट की जवाबदेही है । जिसने कि यह प्राविडेंट फंड एक्ट बनाया और और जिसके आधार पर श्रमिकों ने उसे स्वीकार किया । मेरा यह निवेदन है कि यह जो बड़े बड़े कारखानेदार जिनका कि शेयर कैप्टिल ५०, ६० लाख है और जिनका कि टर्न ओवर ४ करोड़ के करीब है उनकी मैं बात कर रहा हूं जहां २० श्रमिक काम करेंगे । इनका टर्नओवर क्या होगा ? इनका शेयर कैप्टिल क्या होगा उनकी पूंजी क्या होगी ? मान लीजिये कि आप ने अगर प्राविडेंट फंड लागू किया जो कि अमेंडमेंट है और आप की एथारिटीज़ दुशाला ओढ़ कर सोती रहीं तो क्या हालत होगी ? लाखों श्रमिकों का नुकसान होगा । मेरा तो यह निवेदन है कि कानून बनाने के साथ साथ सरकार को यह देखना भी बहुत ज़रूरी है कि प्राविडेंट फंड की रकम समय के अन्दर निश्चित स्थान पर जमा होती है अथवा नहीं । इसमें सरकार की किसी तरह की ढील नहीं करनी चाहिये। हर एक एम्पलायर इसमें गड़बड़ करने की कोशिस करता है। मैं समझता हूं कि मिलों पर लगभग ४, ५ करोड़ रुपया प्राविडेंट फंड का है और उसे आज एम्पलायर्स हजम करके बैठे हुये हैं और मज़दूर केवल भगवान के भरोसे बैठे रहें यह कदापि उचित नहीं है । मेरा यह निवेदन है कि प्राविडेंट फंड की रकम समय के भीतर वसूल हो । अब एक दो दफे हाउस के अन्दर ऐसे जवाब दिये गये हैं और यह सोचा गया है कि अगर रकम वसूल की गई तो कारखाना बंद हो जायेगा तो इसके लिये मेरा कहना है कि यह धमकियां तो रोजाना आती हैं। एक्साइज़ ड्यूटी में छूट पाने के लिये कारखाना बंद करने की धमकी, भाव बढ़ाने के लिये कारखाना बन्द करने की धमकी मतलब यह कि हर एक अपनी बात और मांग मनवाने के लिये आये दिन यह मिलमालिक कारखानेदार अपने कारखाने बंद करने की धमकी दे दिया करते हैं और वे गवर्नमेंट की कमज़ोरी बखूबी समझ गये हैं । मेरा निवेदन है कि गवर्नमेंट को इस के लिये एक साहस का काम करना चाहिये ।

एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं कि नये कारखाने बनते हैं और चालू होते हैं । उन कारखानों को ५, ५ साल की छूट आप देते हैं और इस प्रकार की छूट देते हैं कि पांच साल तक या तीन साल तक प्राविडेंट फंड की रकम नहीं काटी जायेगी मैं यह बताने के लिये तैयार हूं कि एक कारखाना चालु किया गया और दूसरे साल उस ने एक करोड़ रुपये का प्राफिट किया । आज वह कारखाना प्रतिदिन एक लाख रुपये का प्राफिट कर रहा है । मैं मानता हूं कि कैपेसिटी टु पे को देखना चाहिये -- इस बात को देखना चाहिये कि किसी कारखाने में प्राविडेंट फंड को लागू करने से उस की हालत क्या होगी । यह देखने में कोई ऐतराज़ नहीं है । लेकिन उसको पहले ही से यह सार्टिफिकेट दे दिया जाये कि पांच साल तक इन कारखाने के श्रमिकों का प्राविडेंट फंड नहीं काटा जायगा, यह ठीक नहीं है । मैं आप को बताना चाहता हूं कि अथारिटीज़ क्या करते हैं। एक कारखाना बंद हो गया, क्योंकि उसकी मशीनरी चलने जैसी नहीं थी। दूसरे कारखाने ने उसको खरीद लिया और चालू कारखाने के साथ उसको मिला दिया गया । उसमें नई मशीनरी, नए स्पिन्डल्ज़ लाकर डाल दिये । वह एक लिमिटेड कन्सर्न हो गया। उसके बाद जब वह चालू होता है, तो श्रमिकों का प्राविडेंट फंड न काटा जाय, ऐसा अथारिटीज़ ने उस कारखाने को लिख कर दे दिया । उस के दो तीन महीने के बाद मुझे मालूम हुआ कि श्रमिकों का प्राविडेंट फंड नहीं काटा जा रहा है, हालांकि जिस लिमिटेड कम्पनी में वह मर्ज हो गया है, वहां प्राविडेंट फंड सब को मिल रहा था । मैं ने इस बारे में गवर्नमेंट से लिखा-पढ़ी की । चार साल हो गये हैं, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है । प्रश्न यह है कि गवर्नमेंट ने उसको क्यों छूट दी ।

[रामसिंह भाई वर्मा]

जहां तक नई मशीनरी लगाने का सवाल है, स्पिंडल्ज़ और लूम्ज़ की रिप्लेसमेंट का सवाल है, वह तो हर टेक्सटाइल मिल में हो रहा है। अगर उसमें नये स्पिंडल्ज़ और लूम्ज़ डाले गये, तो प्राविडेंट फंड की छूट नहीं दी जानी चाहिये थी। अगर उसको किसी चालू मिल के साथ मर्ज कर दिया गया, तो भी मज़दूर प्राविडेंट फंड पाने के अधिकारी थे। इन दोनों हालतों में प्राविडेंट फंड बन्द नहीं होना चाहिये था। मैंने गवर्नमेंट को इस बारे में लिखा, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला है। यह सब तो ट्रेड यूनियन ने किया। सवाल यह है कि गवर्नमेंट का कर्तव्य क्या है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट के अथारिटीज़ को यह देखना चाहिये कि प्राविडेंट फंड से छूट देने के नियम क्या हैं, हालात क्या हैं और सब बातों को मालूम करना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। मुझे आशा है कि जो सुझाव मैंने दिये हैं, उनकी कद्र की जायेगी और उन पर विचार किया जायेगा। आगे मज़बूती के साथ इस कानून पर अमल हो, यही मेरा निवेदन है।

श्री बाल्मीकि (बुलन्दशहर---रक्षित---अनुसूचित जातियां) : सभापति जी, एम्पलाईज़ प्राविडेंट फंड (संशोधन) बिल, जो कि सदन के सामने विचारार्थ प्रस्तुत है, का प्रभाव २६ लाख इंडस्ट्रियल वर्कर्ज़ पर पड़ा है। मैं उन बारीकियों में नहीं जाना चाहता हूं, जिन का उल्लेख मेरे पूर्व वक्ता ने किया है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि प्राविडेंट फंड के सम्बन्ध में चीनी मिलों और दूसरी मिलों में मज़दूरों की दिक्कतें दिखाई देती हैं। जब हमारा लक्ष्य देश में एक समाजवादी ढांचे की स्थापना है और वर्तमान सरकार भी उसी लक्ष्य पर विश्वास रखती है, तो यह देख कर आश्चर्य होता है कि एम्पलायर्ज़ की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाता है और एम्पलाईज़ की तरफ कम। प्राविडेंट फंड के सम्बन्ध में जो दिक्कतें पेश आती हैं, खासतौर से उसके देने में जो देरी होती है, उसकी वजह से मज़दूरों में बहुत निराशा होती है। सुपरवाइज़री स्टाफ को उस ओर ध्यान देना चाहिये। मैं सारे देश में गया हूं और मैं जानता हूं कि जहां तक इंडस्ट्रियल वर्कर्ज़ का ताल्लुक है, उन पर प्राविडेंट फंड की योजना का प्रभाव पड़ा है। म्युनिसिपैलिटीज़ और लोकल बाडीज़ में भी वह लागू है, लेकिन बहुत कम और उसकी गति बहुत धीमी है। म्युनिसिपैलिटीज़ की हालत देखने के लिये भंगी जांच समिति के सम्बन्ध में मैं सारे देश में गया। मैंने इस सम्बन्ध में पहले भी मंत्री जी से बातचीत की है और अब भी निवेदन करना चाहता हूं कि लोकल बाडीज में ट्रांसपोर्ट में काम करने वाले और सफाई का काम करने वाले भंगी आदि मज़दूर प्राविडेंट फंड के मामले में बहुत पीछे रह गये हैं। उन के सम्बन्ध में पूरा अमल नहीं होता है। मेरे कहने का मकसद यह है कि इस सम्बन्ध में जो भी नीति हो और जैसा भी प्रभाव इस बिल का होगा, उसके बारे में क्रियात्मक कदम उठाने का सवाल है। छोटी छोटी म्युनिसिपैलिटीज़ में वर्कर्ज़ को इस प्रकार की सुविधा से कोई लाभ नहीं पहुंच रहा है। उनकी सर्विस की सुरक्षा की गारण्टी न के बराबर है। आवश्यकता इस बात की है कि सब प्रकार के वर्कर्ज़ को, चाहे वे सफाई मज़दूर हों और चाहे कोई भी काम करने वाले हों, ज्यादा से ज्यादा गारण्टी मिले और उनकी कन्डीशन्ज़ आफ़ सर्विस में समुचित सुधार किया जाये। उनको जिन हालतों में काम करना पड़ता है, वे किसी से छिपी नहीं हैं। यह बहुत प्रसन्नता की बात है कि हमारी राष्ट्रीय सरकार का ध्यान उस तरफ जा रहा है और उनकी कन्डीशन्ज़ आफ़ सर्विस को किसी हद तक ठीक करने के लिये प्रयत्न चल रहा है। यही नहीं, तीसरी योजना में भी इस सम्बन्ध में कुछ प्राविजन रखी गई हैं। वह भी एक धन्यवाद की बात है।

यह सब जानते हैं कि मज़दूर जिन्दगी भर सेवा करता है और आखिरी वक्त में उसको यह सहूलियत और सुविधा मिलने म बड़ी भारी देरी होती है। यह देखा गया है कि प्रोविडट फंड की

किताबें भी मेनटेन नहीं की जाती हैं और अगर की जाती हैं, तो उनमें हिसाब ठीक तरीके से नहीं रखा जाता है। यह दिक्कत इस लिये है कि सरकार का ध्यान मिलों की तरफ़ ज्यादा जाता है। मिलों में सुपरवाइज़री स्टाफ पूरा ध्यान देता है, लेकिन म्युनिसिपैलिटीज़ में उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। इस कारण वहां ठीक तरह से काम नहीं चलता है। कास्मोपालिटन टाउन्ज़ में, कारपोरेशन्ज़ और म्युनिसिपैलिटीज़ में, बड़े बड़े और छोटे छोटे नगरों में भी इन दिक्कतो को उठाया जा रहा है। रिटायर होते समय मज़दूरों को जो सुविधा मिलनी चाहिये, वह उनको प्राप्त नहीं होती है। मैं यह चाहता हूं कि इस बिल का जो भी रूप हो, उसको म्युनिसिपैलिटीज़ के मज़दूरों पर भी पूरी तरह से लागू किया जाये और जो इस तरह की सुविधायें मज़दूरों के लिये हैं, वे इन मज़दूरों को भी उपलब्ध की जायें। मैं दिल्ली के केसिज़ जानता हूं कि चार चार साल गुज़र जाने के बाद भी लोगों को प्राविडट फंड नहीं मिल पाता है। उनको समय पर न मिलने की वजह से बड़ी निराशा होती है। इसमें जो अनियमितता होती है, उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

यह स्वागत करने योग्य बात है कि इस बिल के रूप में यह संशोधन आ रहा है। इसका जो प्रभाव इंडस्ट्रियल वर्कर्ज़ पर पड़ता है, उस की ओर मेरे पूर्व वक्ता ने ध्यान दिलाया है। प्राविडेंट फंड की यह सहूलियत सब वर्कर्ज़ के लिये, चाहे वे लोकल बाडीज़ में काम करते हों, चाहे किसी म्युनिसि-पैलिटी, नोटिफ़ाइड एरिया कमेटी या जिला परिषद् में, और खास तौर से सफाई का पेशा करने वाले मज़दूरों के लिये अमृत के समान है और एक देन है और उस से उनको बहुत लाभ हो सकता है। उनका काम एक विशेष प्रकार का काम है, इसलिये समाज स्वास्थ्य की रक्षा की दृष्टि से और सारे देश के व्यापक हितों को सामने रख कर उन की कन्डीशन्ज़ आफ सर्विस को बहुत अच्छा बनाया जाना चाहिये और उनको सब प्रकार से सुरक्षा की गारण्टी दी जानी चाहिये। इस दृष्टि से वे इन अधिकारों से सदियों से वंचित रहे हैं। प्राविडेंट फंड की दर में समस्त देश में भिन्नता पाई जाती है, उत्तरी भारत में कुछ है, दक्षिणी भारत में कुछ और है, मद्रास कारपोरेशन में कुछ है, दूसरी कारपोरेशंस में कुछ और है, यह खत्म होनी चाहिये और सब के लिये एक जैसा आधार प्राविडेंट फंड की दर का होना चाहिये। प्राविडेंट फंड का लाभ सफाई मज़दूरों को तथा दूसरे मज़दूरों को जो कि म्युनिसिपैलिटीज़ में काम करते हैं पहुंच सके, इसकी आप को व्यवस्था करनी चाहिये। यह जो सुविधा राष्ट्रीय सुविधा मज़दूर वर्ग को दी जा रही है, इसका उनको लाभ पहुंचना चाहिये। इससे उनको अपने आखिरी जीवन में बहुत लाभ पहुंचता है। आज जब कि हमारा ध्येय समाजवादी समाज की रचना करने का है तो यह और भी जरूरी हो जाता है, कि उनको इस प्रकार को सुविधा प्राप्त हो और मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस ओर ध्यान दें।

†**श्री एन्थनी पिल्लै** (मद्रास उत्तर) : यह विधेयक निर्विवाद है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। ढाई वर्ष की बात है कि भारतीय श्रम सम्मेलन में जो कि नैनीताल में हुआ था इस सम्बन्ध में एक मत से निर्णय हुआ था, परन्तु इसे प्रस्तुत करने में काफी देर कर दी गयी है। इससे अतिरिक्त खेदजनक बात यह है कि इसमें से बहुत सी आवश्यक बातों को छोड़ दिया गया है। बड़े संस्थानों में तो इस दिशा में कोई अधिक शिकायतें नहीं आती परन्तु छोटे संस्थानों में काम ठीक तरह से नहीं होता। गत वार्षिक प्रतिवेदन से पता चलता है कि लगभग एक हजार संस्थापनों के मालिकों पर इस लिए मुकदमा चलाया गया कि उन्होंने इस दिशा में अपने दायित्वों को पूरा नहीं किया था। विधेयक में इस बड़े दोष को दूर करने के सबन्ध में कोई निश्चित व्यवस्था नहीं की गयी। ,इसका परिणाम यह होगा कि यह रोग निरन्तर बढ़ता जायेगा। विधेयक में केवल एक बात का ध्यान रखा गया है और बाकी सब बातों की उपेक्षा कर दी गयी है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री एन्थनी पिल्ले]

इसमें यह व्यवस्था करने की भी कोई कोशिश नहीं की गयी थी यदि मालिक लोग लगातार अपने अंश की राशि जमा करने में चूकते जायें तो यह समझा जाय कि अपराध बराबर किया जाता रहा है और इसके लिए उन पर जुर्माना किया जाय। साथ ही मूल अधिनियम के जिन दोषों की ओर विभिन्न श्रम संगठनों ने संकेत किया है उन्हें दूर करने के लिए इस विधेयक में कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। अतः मैं इस बात पर जोर दूंगा कि अंशदान को बढ़ा कर ८१/, प्रतिशत कर देने के प्रस्ताव को शीघ्र ही कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

अधिकारियों को इस बात का कोई अधिकार नहीं दिया गया कि यदि मालिक विवरणियां दाखिल न करें तो वे इस बात का अनुमान लगा सकें कि मालिकों की ओर से कितना अंशदान आना चाहिए। सभी उद्योगों को इस विधेयक के क्षेत्राधिकार में ले आने से प्रशासन-व्यय बढ़ जायेगा। यह कठिनाई तो एक व्यापक विधेयक के प्रस्तुत होने से ही दूर की जा सकती है।

श्रम वर्ग की एक और शिकायत है जो कि मैं प्रकट करना चाहता हूं। वह यह कि वित्त मंत्रालय लगातार जिस प्रकार हस्तक्षेप करता रहता है वह ठीक नहीं है। कर्मचारी भविष्य निधि योजना का प्रशासन करने वाले संयुक्त बोर्ड को यह अधिकार दिया जाना चाहिए कि वह राशि को ऐसी प्रतिभूतियों में लगाये जिन से इतना लाभांश प्राप्त हो सके कि समुचित दर पर सूद देना सम्भव हो जाय। भविष्य निधि में से मकान बनाने के लिए ऋण देने में वित्त मंत्रालय को बाधा नहीं डालनी चाहिए। साथ ही श्रमिकों से यह नहीं कहना चाहिए कि वे अपने भारण भत्ते का कुछ प्रतिशत अंश भविष्य-निधि में जमा करें।

इस अवसर पर मैं उन श्रमिकों की आवाज भी आप तक पहुंचाना चाहता हूं जिनको इस विधेयक के अन्तर्गत नहीं रखा गया। मध्यवर्ग में क्लर्की का काम करने वाले अथवा दुकानों और वाणिज्यिक संस्थापनों में काम करने वाले लोगों को बिल्कुल छोड़ दिया गया है। अतः इस विधेयक का विस्तार कर इसे दुकानों और व्यापारिक संस्थापनों के क्लर्कों इत्यादि मध्यवर्गीय कर्मचारियों पर भी लागू कर देना चाहिए। इन लोगों को तनिक भी सामाजिक सुरक्षा प्राप्त नहीं है।

अन्त में मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

†**श्री काशीनाथ पांडे** (हाता) : मैं इस विधेयक का हार्दिक स्वागत करता हूं। परन्तु मेरा निवेदन है कि धारण भत्ते में से भविष्य निधि का अंश न काटने का कोई कारण नहीं है क्योंकि वास्तव में यह भत्ता मजूरी का ही अंश होता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि श्रमिकों की यह मांग स्वीकार कर ली गयी है। यह भी प्रसन्नता की बात है कि श्रमिकों की संख्या का स्तर कम कर दिया है।

यह तो ठीक है बहुत से लोग इस विधेयक के अन्तर्गत आ जाते हैं परन्तु फिर भी कई दोष रह गये हैं। सरकार को इस विधेयक को ठीक ढंग से लागू करने की व्यवस्था करनी चाहिए। चमड़ा उद्योग में इस समय देश भर में एक लाख से अधिक लोग काम कर रहे हैं मंत्री महोदय को इन लोगों को इस विधेयक के लाभ से वंचित नहीं रखना चाहिए। इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करूंगा कि भविष्य निधि सम्बन्धी दावों के निबटारे में होने वाली देरें समाप्त की जानी चाहिए।

मालिकों द्वारा अपना अंश न दिये जाने के कारण जिन श्रमिकों को लाभ नहीं हुआ उनके लिए विशेष रक्षित निधि की स्थापना करने सम्बन्धी जो उपबन्ध उपमंत्री महोदय द्वारा इस विधेयक में

†मूल अंग्रेजी में

रखा गया है उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। इस दिशा में हुई प्रगति के सम्बन्ध में सरकार द्वारा समुचित प्रकाश डाला जाना चाहिए।

श्री एंथनी पिल्लै की इस बात का मैं समर्थन करता हूं कि भविष्य निधि के धन का विनियोजन इस ढंग से किया जाना चाहिए जिससे और भी अधिक मुनाफा प्राप्त हो जिसका उपयोग श्रमिकों के कल्याण के लिए किया जा सके। अब तो उन्हें केवल ४ प्रतिशत प्राप्त होता है, इससे अधिक प्राप्त करने की व्यवस्था हो सकती है। इन शब्दों से मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

†**श्री अरविन्द घोषाल** (उलुबेरिया) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। काफी देर से हम जो मांग कर रहे थे उसे मान लिया गया है। लोग अपने बड़े बड़े कारखानों को विभाजित करके इस से बचने का प्रयत्न कर रहे थे। अच्छा है कि अब इस उद्देश्य के लिए संख्या को घटा कर २० कर दिया गया है। छोटे छोटे कारखानों को कुछ वर्षों की छूट भी दी गयी है ताकि एक दम उन पर आर्थिक बोझ न पड़े। नये कारखानों को दी जाने वाली छूट एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं होनी चाहिए। जिन कारखानों में पचास से कम श्रमिक काम करते हैं उसमें छूट तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

श्री एंथनी पिल्ले ने भी ठीक ही कहा है कि मध्यवर्गीय क्लर्कों को भी इस विधेयक के अन्तर्गत लिया जाना चाहिए और इस दिशा में अभी से प्रयत्न होना चाहिए। इसके साथ ही श्रमिकों के धन का विनियोजन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि जिससे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। इस प्रकार सेवा निवृत होने पर उन्हें कुछ तो राशि प्राप्त हो। सरकार को यह व्यवस्था भी करनी चाहिए कि मालिक इस निधि का धन शीघ्रता से जमा कराये ताकि श्रमिकों को सेवा निवृत होने पर इस मामले में विशेष असुविधा न हो। इन शब्दों से मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

चौ० रणवीरसिंह (रोहतक) : सभापति महोदय, मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं और स्वागत करता हूं। मैं मानता हूं कि गो श्रम मन्त्रालय के लिये यह एक नया तजुर्बा था लेकिन यह हकीकत है कि सन् १९५२ से उन्होंने देश के करीब २६ लाख मजदूरों को इस विधेयक के जरिये फायदा पहुंचाया है। यह इसके बावजूद है कि इस देश के अन्दर जो जत्थाबन्द मजदूर हैं तो इन मजदूरों की संख्या इस देश की आबादी के हिसाब से कोई बहुत ज्यादा नहीं है और इस बात के भी बावजूद है कि यहां जत्थाबन्द मजदूर जो हैं वे राजपाट के काम के अन्दर कोई बहुत ज्यादा दखल नहीं रखते हैं। जहां जहां इंडस्ट्रियलिस्ट देश हैं अमरीका और अन्य देश, जहां कि मजदूरों की संख्या भी अधिक है और जहां मजदूर जत्थाबन्द भी हैं, उनकी एक शक्ति भी है। वहां अगर कोई एक ऐसा कायदा और कानून बने और उसके अन्दर यह प्रगति रहे तो वह शायद सराहनीय न हो लेकिन जिस देश के अन्दर मजदूरों की संख्या भी मुकाबलतन् दूसरे आदमियों के थोड़ी हो और उनकी जत्थेबन्दी की शक्ति भी थोड़ी हो, इसके बावजूद अगर सरकार ने इस कानून को इतनी तेजी से आगे बढ़ाया और दस साल की जिन्दगी के अन्दर ही ५० से संख्या २० तक घटा देना चाहते हैं तो यह दरअसल एक बड़ा सराहनीय काम है।

इसके अलावा सभापति महोदय, यहां कई माननीय सदस्यों ने इस बात के ऊपर ऐतराज किया कि जो नये इस्टैब्लिशमेंट्स हैं कोआपरेटिव सैक्टर में हैं उनको जो छूट दी गई है यह छूट सही नहीं है। मैं समझता हूं कि शायद वह किसी अपने ध्येय के जोश में आकर ऐसी बात कहते हैं वरना यह मानना होगा कि इस नीति के पीछे इस ध्येय के पीछे एक ही नीति है कि कमजोर की मदद की जाय और जहां

†मूल अंग्रेजी में

[चौ० रणवीर सिंह]

मजदूर कारखानेदार के मुकाबले में कमजोर हो वहां उसकी सहायता कानून को करनी है और उसके इंटरैस्ट्स को सेफगार्ड करना है ।

इसके साथ साथ यह भी सही है कि बड़े कारखानेदार के मुकाबले में छोटे कारखानेदार बहुत कमजोर अवस्था में होते हैं और शुरू में ही जिन्होंने अपनी जिन्दगी शुरू की है वह तो बिल्कुल बच्चे ही हैं और उनको सहारा देना बहुत सही नीति है ।

इसके अलावा जहां तक कोआपरेटिव सैक्टर का वास्ता है कई भाइयों को गिला है कि पहले ही सैक्शन १६ के अन्दर यह दर्ज था और सरकार छुट दे सकती थी लेकिन आप जानते हैं कि जो को-आपरेटिव सैक्टर के अंदर काम करते हैं उनको गिला रहता है कि जो अधिकारी वर्ग हैं वह उनके साथ पूरा इंसाफ नहीं करते हैं । कानून की और सरकार की जो मंशा उनको थोड़ा बहुत बढ़ावा देने की है वह केवल कागज तक ही सीमित रह जाती है और उनको बराबर अधिकारियों से शिकायत बनी रहती है कि वे उनके साथ पूरा न्याय नहीं करते हैं और उनको कुछ न कुछ शिकायत बनी ही रहती है कि उनको प्राइवेट लिमिटेड कम्पनीज या पब्लिक लिमिटेड कम्पनीज के मुकाबले किसी कदर ज्यादा तकलीफों से गुजरना पड़ता है । इसलिये मैं समझता हूं कि सरकार ने सही तौर पर इस विधेयक के अन्दर जो कोआपरेटिव सैक्टर को छूट दी है वह एक बहुत सही बात है और यह जो क्लाज है उसको सदन को पास करना चाहिये ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । मेरे विचार से यह विधेयक सामाजिक आवश्यकताओं के बारे में सरकार की जागरुकता का द्योतक है । जहां तक कि श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा और उन्हें सुविधायें देने का प्रश्न है श्रम मन्त्रालय ने बहुत अच्छा कार्य किया है । लेकिन मेरा निवेदन है कि प्रवीण श्रमिकों के सम्बन्ध में सरकार जो जागरूकता दिखा रही है वह काफी नहीं है । यह भी ठीक है कि अनेक क्षेत्रों के श्रमिकों को अछूता छोड़ दिया गया है । लेकिन इस बात का सर्वेक्षण किया जाना चाहिये कि देश की अर्थ व्यवस्था के किन-किन क्षेत्रों के श्रमिकों को श्रम सम्बन्धी कानूनों से लाभ नहीं हुआ है ।

कुछ ऐसे भी श्रमिक हमारे देश में हैं जो अपने मालिकों की दया पर ही निर्भर हैं । दुकानों में काम करने वाले लोगों, स्थानीय संस्थाओं के कर्मचारियों, क्लर्कों, अध्यापकों और इसी प्रकार के अन्य सभी कर्मचारियों को भी भविष्य निधि सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिये ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

कुछ कर्मचारी ऐसे भी हैं जो विभिन्न मन्त्रालयों के अधीन आते हैं लेकिन उनके बारे में नाना प्रकार की चर्चाएं, सम्मेलन आदि करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ । मालिक इन चर्चाओं और सम्मेलनों में भाग लेते हैं । लेकिन बाद में चल कर अपने कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं देते ।

ऐसी स्थिति में मन्त्रालय का कर्तव्य है कि वह प्रगतिशील विधियां बनाये तथा यह देखे कि इन विधियों का लाभ श्रमिकों को मिलता भी है ।

यह प्रसन्नता की बात है कि इस विधेयक के द्वारा श्रमिकों की संख्या २० से घटा कर १५ कर दी गई है । इससे श्रमिकों के हितों की सुरक्षा ही होगी । यह प्रसन्नता की बात है कि प्रतिधारण भत्ता वेतन का अंग बना दिया गया है और भविष्य निधि में अंशदान देते समय इसकी गिनती भी की जायेगी । सहकारी समितियों के मामले में ५० कर्मचारियों के रखने तक की छूट दी गई है लेकिन इस खण्ड को

---

†मूल अंग्रेजी में

क्रियान्वित करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि कहीं इसका दुरुपयोग न हो। यही बात छोटे पैमाने के उद्योगों के साथ भी लागू होती है। इन उद्योगों को दी गई सुविधाओं का दुरुपयोग न हो इस बात का भी अच्छा ध्यान रखना चाहिये। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की कमियों को इस विधेयक में कोई स्थान नहीं दिया जाना चाहिये।

मेरा विचार है कि भविष्य निधि में अंशदान की दर बढ़ा कर ८-१/३ कर देनी चाहिये। क्योंकि आजकल की आवश्यकताओं को देखते हुए एवं बढ़ती हुई महंगाई को दृष्टिगत रख कर यह आवश्यक है।

विधेयक के अधीन बनाये गये नियम ऐसे होने चाहियें कि जिन का मालिक अनुचित लाभ न उठा सकें।

श्री सरजू पाण्डेय (रसड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल इस सदन के अन्दर आया है, अन्य माननीय सदस्यों की तरह से मैं भी इसका समर्थन करता हूं। आम तौर से इस बिल के सम्बन्ध में दो तीन बात कही जा रही हैं। मैं समझता हूं कि इन दोनों तीनों बातों में सत्यता का काफी बड़ा अंश है और माननीय मन्त्री महोदय को उन पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये।

पहली बात यह कही गई है कि कोआपरेटिव सोसाइटीज़ के जो वकर्ज़ हैं उनको इस कानून से अलग रखा गया है। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि अगर यह कानून बना तो लाज़िमी तौर पर फर्जी कोआपरेटिव सोसाइटीज़ बनेंगी और बहुत सारे लोग ऐसी सोसाइटीज़ बना लेंगे जिन में उनके परिवार के लोग ही होंगे, व सरकार से पैसा लेंगे और वर्कर्स को प्राविडेंट फण्ड न देने की गर्ज से अपने कारखानों को कोआप्रेटिव कारखाने बतायेंगे। इसलिये इसके बारे में मेरा पहला सुझाव यह है कि इस कानून को कोआप्रेटिव्ज़ पर भी जरूर लागू किया जाए।

यह बात सही है कि इस सदन में बहुत सारे कानून श्रमिकों के लिये बनते हैं। लेकिन यह हमें पता नहीं चलता है कि दरअसल उन कानूनों से वे फायदा उठाते हैं या नहीं। आम तौर से देखा जाता है कि पैसे वाले लोग उन कानूनों का फायदा उन गरीब मजदूरों को नहीं उठाने देते। इसलिये मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय इस पर भी गौर करें कि प्राविडेंट फण्ड जो उनको नहीं मिल पाता है वह उनको मिले और इस का प्रबन्ध भी इस कानून में होना चाहिये। इस वक्त यह चीज़ इस बिल में नहीं है।

मेरा विचार है कि केवल इतने से ही, कानून बना देने मात्र से ही, काम चलने वाला नहीं है। हमें देखना होगा और कोई मशीनरी बनानी होगी जो यह देखे कि दरअसल में जो कानून श्रमिकों के लिये बनाये जाते हैं उनका फायदा श्रमिकों को मिलता है या नहीं।

इस बिल के सैक्शन ५ के सब-सैक्शन (बी) में कहा गया है कि ऐसे कारखाने जिनमें पचास से अधिक या बीस से अधिक श्रमिक काम करते हैं उन में तीन बरस तक और पांच बरस तक मजदूरों को प्राविडेंट फन्ड नहीं दिया जाएगा। मैं समझता हूँ कि यह बिल्कुल गलत बात है। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि ऐसे कारखानों की मिसालें दी जा सकती हैं जिन में लाखों रुपया सालाना मालिक मुनाफा कमाते हैं, लेकिन वे श्रमिकों को जो सुविधायें मिलनी चाहियें, नहीं देते हैं। यह भी देखने में आया है कि कई कारखानों में पचास से अधिक मजदूर काम करते हैं लेकिन उनकी हाजिरी नहीं दिखाई जाती है, उनकी हाजिरी बीस या दस या पांच दिखा दी जाती है। इस तरह का जाल बट्टा करने की उनको पूरी छूट है। मैं समझता हूँ कि इस में यह जो छूट देने की व्यवस्था की गई है इस से मुनाफाखोरों को और भी प्रोत्साहन मिलेगा। यह छूट देने की कोई जरूरत नहीं है।

[श्री सरजू पाण्डेय]

अन्त में मैं चाहता हूं कि कोआपरेटिव्ज में काम करने वाले लोगों पर भी इस कानून को लागू किया जाए और अगर ऐसा नहीं किया गया तो जाली कोओप्रेटिव सोसाइटीज़ बना ली जायेंगी इस गर्ज से कि मज़दूरों को प्राविडेंट फंड की सहूलियत न देनी पड़े। साथ ही साथ मैं यह भी चाहता हूं कि जो रोक तीन साल की और पांच साल की रखी गई है, इसको हटा दिया जाए और यह व्यवस्था कर दी जाए कि जिन कारखानों में मुनाफा होता है, चाहे वे एक साल के हों या चार साल के हों उन को प्राविडेंट फंड काम करने वाले मजदूरों को देना चाहिये।

†**श्री आबिद अली** : यह विधेयक गत सत्र में पुरःस्थापित किया गया था और इसके मुख्य उपबन्धों पर विभिन्न सम्मेलनों एवं समितियों में चर्चा हो चुकी है। इनका प्रकाशन समाचार पत्रों में हो चुका है। हमने इस विधेयक में जो व्यवस्था की है उसके बारे में किसी ने अभी तक कोई आपत्ति नहीं की है। अतः इस विधेयक का प्रचालन अनावश्यक है।

खण्ड २ के परन्तुक का एक माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है। यह तो सच है कि यह विधेयक ५० कर्मचारियों से कम कर्मचारी रखने वाले संस्थानों पर भी लागू हो सकता है लेकिन इस विधेयक के अनुसार सरकार को जो शक्ति दी गई है वह सीमित है। इस संशोधन के द्वारा हमने यह प्रस्ताव रखा है कि हमें ऐसी शक्ति मिल जाये कि हम इस विधेयक को ५० से कम कर्मचारी रखने वाले संस्थानों पर भी लागू कर सकें। कुछ माननीय सदस्यों को शंका थी कि क्या इस अधिनियम के पारित हो जाने के पश्चात् कर्मचारियों को उतना ही वेतन मिलता रहेगा अथवा उस में कमी कर दी जायेगी। मेरा निवेदन है कि यह अधिनियम कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा करता है तथा इस बात की कोई भी सम्भावना नहीं है कि मालिक श्रमिकों के वेतनों में कोई कमी कर सकें।

मैं भी इस पक्ष में हूं कि भविष्य निधि के अंशदान की दर बढ़ा कर ८-१/३ प्रतिशत कर दी जाये। लेकिन साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना है कि इस दर के अतिरिक्त श्रमिकों को वेतन भी तो मिलता रहे। हो सकता है कि अंशदान की दर में वृद्धि करने से कहीं संस्थान बन्द ही न हो जाये। इसलिये हमें इस बात पर गम्भीरता से विचार करना होगा। इस बारे में कई समितियों में विचार किया गया जिस में कर्मचारी तथा मालिकों ने भाग लिया और यह निश्चय किया गया कि इस की जांच एक प्रविधिक समिति द्वारा की जानी चाहिये। और इस समिति का प्रतिवेदन आ जाने के पश्चात् ही हम आगे कार्यवाही करेंगे।

इस अधिनियम के क्रियान्वयन की आलोचना की गई है और ऐसा बताया गया है कि मालिकों को जो कुछ और जितना करना चाहिये था उतना उन्होंने नहीं किया है और प्रशासन इस कार्य को कराने में असमर्थ रहा है। लेकिन यह बात सत्य नहीं है।

इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा कि यह योजना लगभग २८ लाख श्रमिकों पर लागू की गई थी और श्रमिकों तथा मालिकों दोनों ही से अंशदान प्राप्त हो गया है। इन २८ लाख श्रमिकों के अतिरिक्त सरकार तथा गैर-सरकारी संस्थानों एवं रेलों में कर्मचारियों को भविष्य निधि का लाभ मिल रहा है। इस अंशदान से ३१ अगस्त, १९६० को हमें २३८.७८ करोड़ रुपये की आय हुई। यह ठीक है यह राशि पूरी प्राप्त नहीं हुई थी लेकिन वह इतनी कम है कि मुश्किल से वह १ प्रतिशत ही आती है।

कर्मचारियों के संघ तथा केन्द्र एवं राज्यों की विधान सभाओं के सदस्य हमारे प्रशासन की आलोचना करते हैं। हम उन से यह पूछना चाहते हैं कि वे हमारी इस बारे में सहायता करें कि जब

मालिकों पर अंशदान रुक जाता है और हम उसको पाने के लिये तुरन्त ही कार्यवाही करते हैं तो वह मिल बन्द हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिये—यही हमारी समस्या है। अगर कर्मचारी संघ हमें यह परामर्श देते हैं कि इस धन की प्राप्ति के लिये हम मालिकों को कुछ समय दें तो हम इस के लिये तैयार हैं। फिर यह राशि भी तो कोई अधिक नहीं हैं केवल २।। करोड़ रुपये शेष रह जाते हैं।

प्रशासन की बड़ी आलोचना की गई है लेकिन मेरा निवेदन है कि आलोचना में कुछ सत्यता होनी चाहिये। मैं इतना ही कहूंगा कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसका प्रकाशन भी साथ ही साथ कर रहे हैं और उस से यह स्पष्ट है कि हमारा कार्य अच्छा है। हम सभी मजदूर संघों के प्रतिनिधियों, मालिकों, केन्द्रीय एवं राज्य के पदाधिकारियों से हम परामर्श लेते हैं। ये पदाधिकारी उनके लेखाओं की जांच करते हैं तथा उनके काम की देखभाल करते हैं। मेरा निवेदन है कि यह संगठन अच्छा कार्य कर रहा है।

यह कहा गया है कि श्रमिकों की अवकाश प्राप्ति एवं उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके सम्बन्धियों द्वारा श्रमिकों का रुपया वापस लेने में काफी देर कर दी जाती है। मेरा निवेदन है कि इसकी यहां चर्चा करने की अपेक्षा माननीय सदस्य ऐसे मामलों की जानकारी मुझे दें। हम उनकी जांच करेंगे। हम उन मामलों का नमूना सर्वेक्षण करेंगे और यह देखेंगे कि व्यवस्था में कहां कमी है और कैसे उस में सुधार किया जा सकता है। ठीक है रुपया वापस करने में कुछ देर हो जाती है और विशेष रूप से उस समय जबकि मृतक अपने उत्तराधिकारियों के नामों का उल्लेख नहीं करता।

हमें विधि के अनुसार चलना पड़ता है। मजदूर जहां काम कर रहा होता है, वहां से बड़ी दूर-दूर के गांवों में जा कर उस के सही वारिस का पता लगाना काफी कठिन होता है। उस में काफी समय लग जाता है। इसीलिये मजदूर आन्दोलन में काम करने वाले अपने माननीय मित्रों से, और मालिकों से भी मेरा अनुरोध है कि वे इस के सम्बन्ध में प्रचार करें और मजदूरों को भली भांति समझायें कि उन को अपने प्रपत्र पूरे-पूरे भरने चाहियें और उन प्रपत्रों में बड़े स्पष्ट रूप में इस का उल्लेख करना चाहिये कि यदि दुर्भाग्यवश उन की मृत्यु हो जाये तो उन के नाम की निधि की राशि उन के किस वारिस को दी जाये। माननीय मित्रों को ऐसे मामलों की ओर हमारा ध्यान भी आकर्षित करते रहना चाहिये। मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम उन के बारे में कार्यवाही करेंगे ; और उस कार्यवाही से उन को पूर्ण संतोष होगा।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या मंत्रालय भविष्य निधि आयुक्त से नहीं कह सकता कि वह ऐसे मामलों के आंकड़े तैयार करे जिन में विलम्ब होता है ? मृत्यु होने पर ही नहीं, साधारण निवृत्ति के मामलों में भी बड़ा विलम्ब होता है और तब तक लोग ऐसे लोगों को दूसरों से भीख मांग-मांग कर अपना काम चलाना पड़ता है। इस में भी लगभग पूरा एक साल लग जाता है।

†**श्री आबिद अली** : मुझे स्वयं इस की बड़ी चिन्ता रहती है। मैं जब भी बम्बई, कलकत्ता या अन्य स्थानों के इन कार्यालयों में जाता हूं, तब हमेशा ऐसे मामलों की फाइलें देखता हूं। वैसे इस में तीन सप्ताह से अधिक समय नहीं लगना चाहिये। हां, कुछ मामले ऐसे जरूर होते हैं जिन में ज्यादा विलम्ब होता है। वह इसलिये कि मालिकों और मजदूरों द्वारा किये जाने वाले अंशदानों में कहीं कुछ कमी होती है। लेकिन कुल मिला कर, साधारणतया निवृत्ति के तीन सप्ताह के अन्दर-अन्दर भविष्य निधि की राशि अदा कर दी जाती है। तीन सप्ताह के अन्दर-अन्दर मनीआर्डर भेज दिया जाता है।

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री आबिद अली]

मैं एक बार फिर माननीय मित्रों से अनुरोध करता हूं कि वे ऐसे मामलों की हमें जानकारी कराते रहें । मेरा यह अनुरोध केवल औपचारिकतावश नहीं है । मैं हृदय से चाहता हूं कि इस में सुधार किया जाये । मज़दूरों को सेवा से निवृत्त होते ही उन की भविष्य निधि की राशि मिल जानी चाहिये जिस से कि वे तय कर सकें कि वे उस का क्या करेंगे । मैं समझता हूं कि जब तक मज़दूरों को यह राशि नहीं मिलती, तब तक उन को उसी शहर में रहना पड़ता है जहां वे काम कर रहे होते हैं । वे तब तक अपने-अपने गांवों में नहीं लौट पाते और शहरों में रहने का खर्च बहुत ज्यादा पड़ जाता है । और चूंकि निवृत्त होने के बाद मजूरी मिलना बन्द हो जाती है, इसलिये उन को ऋण लेना पड़ता है । इस से उन की स्थिति बड़ी कठिन हो जाती है । इसलिये उन को निवृत्त होने के बाद के तीन-चार सप्ताहों के अन्दर-अन्दर भविष्य निधि की राशि मिल जानी चाहिये, जिस से कि वे तय कर सकें कि वे आगे क्या करेंगे—कोई व्यवसाय करेंगे या कहीं जमीन खरीदेंगे ।

रक्षित राशियों के बारे में निर्णय हो ही चुका है । रक्षित राशियों के लिये मज़दूरों से लिया गया रुपया यदि उन मज़दूरों की भविष्य निधि में जमा नहीं हुआ है, तो उन मजदूरों को कुछ रियायत मिलनी ही चाहिये । शुरू में यह रक्षित राशि शायद २५ लाख रुपये बताई जा चुकी है । तरह-तरह की जब्तियों और निधि में बचने वाली अतिरिक्त राशियों के जुड़ने से यह रक्षित राशि बढ़ती जायेगी । मंशा यह है कि यदि मजदूरों से भविष्य निधि के नाम पर कोई राशि वसूली गई है तो वह उसे मिलनी ही चाहिये । इस योजना की मंजूरी दी जा चुकी है ।

यह तो ठीक है कि भविष्य निधि पर अधिक ब्याज मिलना चाहिये , लेकिन उस में खतरा भी ज्यादा है । अधिक ब्याज पाने की कोशिश में, मूलधन पर आंच आ जाती है । इसलिये हम ने इस मामले में वित्त मंत्रालय की ही बात मानी है ।

माननीय सदस्यों ने इस के बारे में जितने भी सुझाव दिये हैं, उन पर विचार अवश्य किया जायेगा । लेकिन हमारी अपनी कोशिश यही है कि मजदूरों से जो भी अंशदान लिया जाये, या मालिकों से मजदूरों को अदा करने के लिये जो भी अंशदान लिया जाये उन दोनों की राशि का विनियोजन इस प्रकार का हो जिस में कम से कम खतरा हो । चाहे ब्याज उन को कुछ कम ही मिले, लेकिन मूलधन पर तो आंच न आये । माननीय सदस्यों के सभी सुझाव हम वित्त मंत्रालय के पास भेज देंगे । खास तौर से इस मामले में वित्त मंत्रालय की सलाह पर ही काम किया जायेगा ।

बदली वगैरह के कुछ ऐसे विषय हैं, जिन के बारे में मजदूर-आन्दोलन को ही सक्रिय होना चाहिये । भविष्य निधि अधिनियम में उसकी व्यवस्था की गुंजाइश नहीं है । एक बार भी यदि मजदूर भविष्य निधि पाने का हकदार हो जाये, तो उसे वसूली करा लेनी चाहिये, और वसूली की राशि बिलकुल निरापद रहनी चाहिये ।

एक माननीय सदस्य ने कहा है कि जुर्माने की राशि बहुत कम होती है, हालांकि जिस राशि की गैर-अदायगी के लिये जुर्माना किया जाता है वह कहीं ज्यादा होती है । लेकिन हमें यह भी देखना चाहिये कि यदि किसी राशि की गैर-अदायगी के लिये न्यायालय ने किसी मालिक पर जुर्माना कर दिया तो उस का यह मतलब तो नहीं होगा कि उस मालिक को केवल जुर्माना भरना पड़ेगा, मूल राशि अदा नहीं करनी पड़ेगी । मूल राशि तो उतनी ही बनी रहेगी, और उस की अदायगी भी उसे करनी ही पड़ेगी । इतना ही नहीं, विधि में यह भी व्यवस्था है कि गैर-अदायगी के लिये दण्ड के रूप में मालिक को ब्याज की अधिक ऊंची दर अदा करने पर विवश किया जा सकता है । उस अतिरिक्त

दर को नुकसानी कहा जायेगा । अधिनियम में तो छः महीने की सजा की भी व्यवस्था है । अब यह काम वकीलों का है कि वे न्यायालय से और अधिक दण्ड देने के लिये कहें, और तब न्यायालय जो ठीक समझे दण्ड दे ।

लेकिन अब वसूलियों के बारे में स्थिति काफी सुधर गई है । सभी माननीय सदस्य जानते हैं । इसलिये मुकदमे और दण्ड दोनों ही बेमतलब से हो गये हैं ।

५० या इस से अधिक मज़दूरों वाले संस्थानों को विमुक्ति देने की व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है । नये संस्थानों को तीन वर्ष तक विमुक्ति दी जायेगी । ५० से कम २० मज़दूर तक रखने वाले संस्थानों को तीन की जगह पांच वर्ष तक विमुक्ति दी जायेगी । संभव है कि कुछ संस्थान ऐसे भी कहीं-कहीं मिल जायें जिन को काम शुरू करते ही मुनाफा होने लगे । लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिये कि यह अधिनियम पूरे देश के लिये है, और इस की सभी व्यवस्थायें समूचे देश की परिस्थितियों को सामने रख कर ही की जानी चाहियें, एक-दो छिटपुट संस्थानों को देख कर नहीं ।

सहकारी समितियों के बारे में काफी कहा जा चुका है । इस में केवल उन सहकारी समितियों को रखा गया है जिन में २० मज़दूर तक काम करते हों । उन को पांच वर्ष तक विमुक्ति दी जायेगी, जिस से कि उन का काम जम सके और भविष्य निधि की व्यवस्था के कारण उन की फैक्टरी बन्द होने की नौबत न आ पाये ।

मकान बनाने और ज़मीनें खरीदने के लिये दिये जाने वाले ऋणों के बारे में सभी एकमत हो गये हैं, इसलिये उस में कोई कठिनाई नहीं पड़ेगी ।

†**श्री एन्थनी पिल्लै** : वह अपर्याप्त है । उस की एक अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गई है ।

†**श्री आबिद अली** : लेकिन हम उसी राशि में से तो दे सकते हैं जिस का कि कोई मज़दूर हक़दार हो ।

माननीय सदस्य ने आन्ध्र की एक मिल का उल्लेख किया था । ऐसे भी छिटपुट मामले हो सकते हैं । लेकिन मालिक का यह भी दायित्व है कि वह भविष्य निधि में अपनी ओर से अंशदान करने के साथ ही साथ मज़दूरों से भी उन का अंशदान वसूल करे और पूरी राशि को बैंक में जमा कर दे । हमारे अधिकारी भी इस सम्बन्ध में काफी सतर्क रहते हैं । यदि न रहते, तो इतने अधिक संस्थानों को इस में शामिल करना संभव न हो पाता । यहां-वहां कुछ त्रुटियां तो रह ही सकती हैं । मैं फिर अनुरोध करता हूं कि यदि कहीं कोई संस्थान इस में शामिल न हुआ हो, तो माननीय सदस्य हमें उस की जानकारी कराते रहें ।

निवृत्ति-काल के बारे में माननीय सदस्य जानते ही हैं कि यदि सेवा-काल तीन वर्ष से कम हो तो २५ प्रतिशत, और उस के बाद ५०, ७५ और ८० प्रतिशत तक की अदायगी की जा सकती है । पूरी राशि १५ वर्ष के सेवा-काल के बाद मिलती है । मजदूर आम तौर पर २० वर्ष की अवस्था में नौकरी शुरू करते हैं । भविष्य निधि की पूरी राशि पाने के लिये उसे कम से कम १५ वर्ष तक सेवा करनी चाहिये । यदि हम माननीय सदस्य का यह सुझाव मान लें कि पूरी राशि वापस कर दी जाये, तो फिर वह निवृत्ति-लाभ नहीं रह जायेगा । हम तो चाहते हैं कि मजदूर एक ही संस्थान में अधिक काल तक रहें, जिस से कि उन की मजूरी और भविष्य निधि में वृद्धि हो सके ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री आबिद अली]

मद्रास के एक माननीय मित्र, और एक अन्य माननीय सदस्य ने भी, कहा है कि मजदूर चाहते हैं कि उन को यह ऋण मिले और इस की मंजूरी काफी उदारता से दी जाये। हम चाहते हैं कि भविष्य निधि की राशि में से बहुत थोड़ी सी चीजों के लिये ऋण देने की व्यवस्था हो। मकान बनाने और जमीन खरीदने के लिये तो उस में से ऋण दिया ही जा सकता है। मंशा यह है कि निवृत्त होने पर मजदूरों को एक खासी अच्छी रकम दी जाये। लेकिन यदि तीन वर्ष के सेवा-काल के बाद ही भविष्य निधि में मालिकों के अंशदान की पूरी राशि मजदूरों को देने की व्यवस्था की जाये, या उस में से अधिक ऋण देने की व्यवस्था कर दी जाये, तो निवृत्त होते समय मजदूर को कुछ मिल ही नहीं सकेगा। ४५ वर्ष की अवस्था पार करने के बाद, उन को पूरी राशि लेने का हक हो जाता है। उस अवस्था में मजदूर १५ वर्ष तक काम कर चुकने के बाद अपने संस्थान को छोड़ना नहीं चाहते। इस लाभ को देख कर, मजदूरों को अपने संस्थान से लगाव हो जाता है और ऐसी हालत में वे किसी दूसरे संस्थान में तभी जायेंगे जब वहां काफी ऊंची मजूरी मिल रही हो।

माननीय सदस्यों को मालूम ही है कि कोयला खान भविष्य निधि में भी यह व्यवस्था की गई है कि यदि कोई मज़दूर एक वर्ष तक बेरोज़गार रहे तो उसे भविष्य निधि पाने का हक़ नहीं रहेगा और यदि वह एक वर्ष के अन्दर ही किसी कोयला खान में काम करने लगे तो उसकी भविष्य निधि की निरन्तरता बनी रहती है।

चमड़ा उद्योग के बारे में, मैं पहले ही कह चुका हूं कि जिन जिन स्थानों पर विभिन्न उद्योगों को इसमें शामिल करने का निर्णय किया जा चुका है, यदि वहां किसी स्थान पर इसे अब तक लागू नहीं किया गया हो, तो हम उसकी जांच करायेंगे और उस मामले में माननीय सदस्य के सुझाव पर विचार करेंगे। मेरा अनुरोध है कि माननीय सदस्य ऐसे मामलों को हमारे सामने लाने के लिये संसदीय वाद-विवाद की राह न देखें। वे जब चाहें, हमें लिख सकते हैं। हमारे काम में उनको जो भी त्रुटियां दिखें, वे हम बतायें। हम उनके सुझावों का स्वागत करेंगे और आशा है कि हमारे काम से उनको पूर्ण संतोष होगा।

आशा है कि माननीय सदस्य सर्व सम्मति से मेरे इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव** : एक प्रश्न यह भी था कि संस्थान के बन्द या दिवालिया होने पर, अन्य ऋण दाताओं के दावों की अपेक्षा भविष्य निधि की राशि की अदायगी को सर्वोपरि प्राथमिकता दी जाये। इस पर कहां तक विचार हुआ है?

†**श्री आबिद अली** : इस पर हमने काफी विचार किया है लेकिन अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं हो सका है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं श्री नलदुर्गकर का संशोधन रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं मूल प्रस्ताव रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार करेंगे ।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव** : मैं खण्ड ५ का अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं करूंगा, पर खंड ५ का विरोध करता हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : तब मैं खण्ड को अलग से ही प्रस्तुत करता हूं प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ से ४ विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २ से ४ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खंड ५—(धारा १६ का संशोधन)

†**श्री त० ब० विट्ठलराव** : मैं इस खण्ड का विरोध करता हूं । इस खण्ड की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि मूल अधिनियम की धारा १६(२) के अन्तर्गत सरकार को पर्याप्त शक्तियां प्रदान की गई हैं । यदि कोई सहकारी समिति या संस्थान घाट में चल रहा हो, तो उसे सरकार उसके अनुसार विमुक्त कर सकती है ।

हम चाहते हैं कि सहकारी समितियों को रियायतें दी जायें । उनको प्रोत्सहन दिया जाय । मैं मानता हूं कि जो सहकारी समितियां वास्तव में भविष्य निधि की अदायगी करने की स्थिति में न हों, जिनको वास्तव में कोई मुनाफा न होता हो, उनको विमुक्ति दी जाये । लेकिन इसकी आड़ में कुछ समितियों को झूठे लेखों के आधार पर, वास्तव में मुनाफा होने पर भी, विमुक्ति मिल जाती है । जो समितियां या संस्थान वास्तव में विमुक्ति के योग्य हैं, उनको मूल अधिनियम की धारा १६ (२) के अन्तर्गत विमुक्ति दी जा सकती है ।

मूल अधिनियम में विमुक्ति-काल तीन वर्ष तक का था, अब उसे पांच वर्ष क्यों किया जा रहा है ? यदि पांच वर्ष से पहले ही किसी संस्थान या सहकारी समिति को लाभ होना शुरू हो जाये, तो क्या सरकार उससे कहेगी कि वह भविष्य निधि योजना भूतलक्षी प्रभाव से लागू करे ?

इस लिये सरकार को इस खण्ड को वापस ले लेना चाहिये ।

†**श्री आबिद अली** : माननीय सदस्य को शायद मालूम होगा कि मद्रास में एक विशेष वर्ग की सहकारी समितियों को पहले ही विमुक्त किया जा चुका है । मद्रास सरकार उनको विमुक्ति देने पर बड़ा आग्रह कर रही थी । ऐसे और भी सुझाव कई जगहों से आये हैं, और उनके पक्ष में काफी वजनदार दलीलें दी गई हैं । इसी लिये हमने इस व्यवस्था को इस संशोधन विधेयक में सम्मिलित करना आवश्यक समझा । माननीय सदस्य को यह भी ध्यान रखना चाहिये कि बहुत सी सहकारी समितियां स्वयं मज़दूरों द्वारा चलाई जाती हैं । शक्ति तो हमारे पास पहले भी थी । लेकिन उसे अधिक निश्चयात्मक रूप देना चाहते थे । सम्बन्धित संस्थानों को यह स्पष्ट जानकारी होनी चाहिये कि जिनको विमुक्ति दी गई है, उनको पांच साल तक विमुक्ति दी जायेगी, जिससे कि वे उसी के अनुसार अपना कार्यक्रम बना सकें । मुझे विश्वास है कि अधिक गहराई से विचार करने पर माननीय सदस्य भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि यह व्यवस्था सहकारी समितियों, मज़दूरों और सहकारिता अन्दोलन—सभी की प्रगति में सहायक होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

'कि खण्ड ५ विधेयक का अंग बने'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ५ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ६ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

'कि खण्ड १, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम, विधेयक का अंग बने'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**श्री आबिद अली** : मैं प्रस्ताव करता हूं,

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**डा० मेलकोटे** (रायचूर) : मैं कुछ बातें माननीय उपमंत्री की जानकारी के लिये बताना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि भविष्य निधि के द्वारा जो राशि इकट्ठी होती है वह बहुत होती है और सामान्यतः सरकार उसको अपने कामों के लिये व्यय करती है। मेरा अपना विचार है कि इस धन राशि का अधिक भाग मज़दूरों की रहन सहन की दशा सुधारने में व्यय किया जाना चाहिये जब कि अभी तक इस काम के लिये बहुत थोड़ी धन राशि व्यय की जाती है ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि उपमंत्री ने बताया कि १ प्रतिशत उद्योगों में भविष्य निधि की उगाही नहीं हो पाई है। मैं समझता हूं कि सरकार को हम केवल इस लिये शाबाशी नहीं दे सकते कि शेष सारा धन वसूल कर लिया गया है। सरकार को कठोर कार्यवाही करनी चाहिये जिससे सभी उद्योगों से पूरी धन राशि उगाही जा सके ।

उपमंत्री ने माननीय सदस्यों के इसके बारे में सुझाव मांगे हैं। मेरा सुझाव है कि यदि महीने के अन्त में मालिक भविष्य निधि की पूरी रकम जमा नहीं करता है तो उसके खिलाफ़ तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिये ।

तीसरी बात मैं यह बताना चाहता हूं कि किसी भी उद्योग में परिसमापन कार्यवाही आरम्भ होने पर मज़दूरों की भविष्य निधि की उगाही को प्राथमिकता दी जानी चाहिये ।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : जब इस अधिनियम का इतना विस्तृत संशोधन प्रस्तुत है तभी मुझे यह देख कर बड़ा आश्चर्य है कि समय पर वार्षिक लेखों को मज़दूरों को भेजने के बारे में कोई उपबन्ध इसमें नहीं किया गया है। मुझे ऐसे मामलों का पता है जिनमें वार्षिक लेखे एक तथा दो वर्षों तक नहीं दिये गये हैं ।

विधेयक के खण्ड १ में बताया गया है कि यह सरकारी गज़ट में अधिसूचित तिथि से लागू होगा । मैं जानना चाहता हूं कि इसको किस तिथि से लागू किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खण्ड ५ के द्वारा धारा १६ का संशोधन किया जा रहा है कि उद्योग की स्थापना की तिथि से पांच वर्ष तक छूट दी जायेगी। मूल अधिनियम में ३ वर्ष की छूट की व्यवस्था थी जिस को अब बढ़ाकर पांच वर्ष कर दिया गया है। प्रादेशिक भविष्य निधि समितियों ने भी सिफारिश की है कि छूट नहीं दी जानी चाहिये। मैं समझता हूं कि धारा १६ (१) (ख) से हमारा वह उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है जिसको पूरा करने के लिये हमने यह संशोधन प्रस्तुत किया है।

†**श्री आबिद अली** : मुख्य अधिनियम के अन्तर्गत जो कारखाने आते हैं, जहां तक उनका सम्बन्ध है, यह व्यवस्था अहितकर नहीं है। परिवर्तन तो उन संस्थापनों में होगा जिन में थोड़े श्रमिक काम करते हैं। उनमें भी अत्यंत छोटे संस्थापनों को संरक्षण की आवश्यकता है और उसी उद्देश्य से तीन वर्ष की अवधि को बढ़ाकर पांच वर्ष तक कर दिया गया है।

जहां तक तारीख का सम्बन्ध है, हम स्वयं ही इसे शीघ्रातिशीघ्र लागू करना चाहते हैं। हम स्वयं ही इस काम में विलम्ब नहीं करना चाहते। निस्संदेह यह विधेयक दूसरे सदन में जायेगा और अभी अन्य औपचारिक कार्य पूरे होंगे। परन्तु इन कामों को भी हम तेजी से पूरा करेंगे।

जहां तक कुर्की का सम्बन्ध है उसमें एक कठिनाई है। जब किसी नियोजक की वित्तीय स्थिति कमजोर हो जाती है तो वह अपना अंशदान नहीं भेजता। यह अंशदान हर महीने प्राप्य है। तो ऐसी स्थिति में हमे क्या करना चाहिये। यह समस्या है। माननीय सदस्यों को केन्द्रीय संगठनों के द्वारा यह हमें बताना चाहिये। यदि वे हमें सुझाव दें कि यदि कोई नियोजक अमुक अवधि के भीतर अंशदान की अदायगी न करे तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाये। कार्यवाही का अभिप्राय कुर्की से ही है। जिस समय हम कुर्की करेंगे बाजार में उसकी साख जाती रहेगी। फलतः संस्थापन बंद हो जायेगा और श्रमिक बेकार हो जायेंगे। पहले जब कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती रही है तभी हमें संघों के प्रतिनिधि यह बतलाते रहे हैं कि हमें धीरे धीरे चलना चाहिये। स्थानीय श्रमिकों के प्रतिनिधियों ने हमें यही सलाह दी है। तलचर के संस्थापन पर चर्चा हुई थी। वहां श्रमिक काम करते थे। भविष्य निधि का प्रश्न कहां है? श्रमिक तो वहां पर खान बन्द हो जाने के महीनों बाद तक काम करते रहे। नियोजक तक भाग गये थे। परन्तु उस पर भी श्रमिक काम करते रहे, सम्पत्ति की देखभाल करते रहे ताकि जब कभी दूसरा नियोजक आये तो उसे काम चालू करने में कठिनाई न हो। हमें श्रमिकों के व्यवहार की प्रशंसा करनी चाहिये।

†**डा० मेलकोटे** : श्रमिकों का धन नियोजक के हाथ में नहीं जाना चाहिये।

†**श्री आबिद अली** : पहले महीने वह नहीं देता। दूसरे मास वह श्रमिकों से अंशदान एकत्रित करता है। यह काम चलता ही रहता है। मालिक न केवल अपना अंशदान ही नहीं देता बल्कि वह श्रमिकों के अंशदान की अदायगी भी करता है और हमारी ओर से बैंक को उसकी अदायगी नहीं करता। मैंने सभी माननीय सदस्यों को कहा है कि वे मुझे बतायें कि कितनी अवधि के बाद हम नियोजक के विरुद्ध कार्यवाही करें। सुझाव प्राप्त करने का आशय यह है कि उसके परिणामस्वरूप श्रमिकों को बेकार न रहना पड़े। यही कठिनाई हमारे सामने है। अब सुझाव देना आपके हाथ में है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक को पारित किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बिलासपुर वाणिज्यिक निगम (निरसन) विधेयक

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"बिलासपुर वाणिज्यिक अधिनियम २००५ विक्रमी सवत् को निरसन करने तथा तत्संबंधी कतिपय अन्य मामलों की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

यह विधेयक सीधा सा है । इसका उद्देश्य एक ऐसे विधेयक का निरसन करना है जो इस समय प्रयुक्त नहीं किया जा रहा । इस विधेयक की मुख्य बातें मैं सभा के सामने रखूंगा ।

बिलासपुर, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में स्थित एक छोटी रियासत थी जिसका विलय १९४८ के करीब भारत में हुआ । १९४८ से पहले वहां के शासक ने, राज्य की प्रजा में वस्तुओं के समान वितरण के प्रयोजन से एक वाणिज्यिक अधिनियम बनाया था । उसी अधिनियम के अधीन यह निगम बना था और यह राज्य के विलय तक काम करता रहा । उसके बाद यह संविहित निगम के रूप में चलता रहा ।

१९५४ में संसद् के अधिनियम द्वारा बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का भाग बना जो कि अब संघीय क्षेत्र है । बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का एक जिला बन गया और हिमाचली प्रशासन ने यह सोचा कि वस्तुओं के समान वितरण का काम सहकारी संस्थाओं को सौंपा जाना चाहिये । अतः बिलासपुर में एक सहकारी संस्था बना दी गयी और अब उसका काम प्रगति कर रहा है । यह संस्था बड़ा उपयोगी काम कर रही है ।

सहकारी संस्थाओं के होते हुये इस निगम को व्यर्थ समझा गया । बिलासपुर के विलय के बाद भी अधिनियम लागू रहा परन्तु इसमें कुछ त्रुटियां थीं । उस अधिनियम के अनुसार इस निगम को बन्द नहीं किया जा सकता था । इस कारण निगम को बन्द करने में कठिनाइयां थीं । हमने इसे सहकारी संस्था बनाने की बात भी सोची परन्तु हमें सलाह दी गयी कि अधिनियम के होते हुये ऐसा नहीं किया जा सकता । अब इस निगम का काम काफी कम हो गया है और अनिवार्य वस्तुओं के वितरण का काम बिलासपुर सहकारी व्यापार संघ द्वारा किया जा रहा है । अब केवल इस निगम को बन्द करना है । इसके कुछ दायित्व हैं और कुछ आस्तियां हैं और इसे तभी बन्द किया जा सकता है जबकि अधिनियम को निरसित किया जाय ।

अब उस क्षेत्र में सहकारी संस्थायें सन्तोषजनक ढंग से काम कर रही हैं । इस कारण इस निगम की आवश्यकता नहीं है । विधेयक का भी यही उद्देश्य है । यदि यह विधेयक दोनों सभाओं में पारित हो जाता है तो केन्द्रीय सरकार इसके विघटन के लिये एक तारीख निश्चित करेगी । इसके दायित्व और आस्तियां केन्द्रीय सरकार को अंतरित की जायेंगी । निगम की आरम्भिक पूंजी ५ लाख रुपये थी । आस्तियों की अधिकांश वसूली हो चुकी है । गत तीन या चार वर्षों में इसने बहुत कम काम किया है । कुछ ऋण भी हैं । हम उन ऋणों की प्राप्ति करना चाहते हैं जिनकी मात्रा पांच ६ हजार रुपये के करीब है, परन्तु कुछ ऋणदाताओं का पता नहीं है । इसके विघटन से कुछ भार तो पड़ेगा परन्तु हमें विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश का प्रशासन समस्त आस्तियों की प्राप्ति का प्रयत्न करेगा ।

यही इस विधेयक का आशय है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि बिलासपुर वाणिज्यिक अधिनियम २००५ विक्रमी संवत् को निरसन करने तथा तत्संबंधी कतिपय अन्य मामलों की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : चूंकि खंडों के बारे में कोई संशोधन नहीं है अतः मैं सभी खंडों को मतदान के लिये रखूंगा । प्रश्न यह है कि :

"खंड १ से ४, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री दातार** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक को पारित किया जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

भारतीय विमान (संशोधन) विधेयक

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन्)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"भारतीय विमान अधिनियम, १९३४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये ।"

यह विधेयक भी सीधा ही है और इसे लाने का कारण यह है कि हमें विमानों द्वारा भेजी जाने वाली वस्तुओं के बारे में काफी कठिनाइयां हैं। कुछ के बारे में उपयुक्त रीति से घोषणा नहीं की जाती और वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत केवल एक हजार रुपया जुर्माने तथा दो मास कैद की सजा है। जब हम वाइकाउन्ट जैसे महंगे विमान खरीद रहे हैं, उस अवस्था में यह पर्याप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त लगता है कि न्यायालय भी तनिक नर्मी से इस संबंध में न्याय कर रहे हैं।

अतः धारा १० के संशोधन से इस जुर्माने की रकम निर्धारित नहीं करते बल्कि इसके साथ ही दंड की व्यवस्था को दो मास से बढ़ाकर दो वर्ष तक कर देना चाहते हैं। साथ ही हम विधि आयोग की सिफारिश को मानकर "भारतीय" शब्द अधिनियम से हटा रहे हैं क्योंकि अब हम स्वतंत्र हैं। "भारतीय" शब्द रखना अब आवश्यक नहीं है।

इसके अतिरिक्त हम इस कानून के अन्तर्गत बने नियमों को सभाओं के समक्ष भी रखना चाहते हैं ताकि वहां जो उपयुक्त समझा जाये हो जाये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री साधन गुप्त** (कलकत्ता-पूर्व) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

विमानों में खतरनाक चीजों को लादना उचित नहीं है। जो लोग गलत लेबल लगाकर चीजों को विमानों में लदवा देते हैं वे अवश्य ही खतरनाक काम करते हैं। किन्तु मुझे यह आशंका है कि इस विधेयक की धाराओं को कठोरता से लागू नहीं किया जायेगा। कारण यह है कि असैनिक उड्डयन विभाग गैर-सरकारी विमान संस्थापनों के साथ नर्मी का व्यवहार करता है। कानून के अनुसार किसी गैर-सरकारी संस्थापन को अनुसूचित विमान सेवा चलाने का अधिकार नहीं होना चाहिये किन्तु अनुसूचित विमान अनुमतियां देकर उन्हें नियमित सेवा चालू करने का अधिकार मिल गया है। यह सब काम कानून के होते हुये भी हो रहा है। ऐसी हालत में, मैं नहीं समझता, कि स्थिति कब सुधरेगी। ऐसे विमानों में मैंने स्वयं यात्रा की है। ऐसा करने की आज्ञा नहीं देनी चाहिये। हमें कानून का पूरा पूरा पालन करना चाहिये। इसके अतिरिक्त भारतीय विमान अधिनियम के अन्तर्गत जो नियम १३४ बनाया गया है, वह भी असंगत है। ऐसी स्थिति में सुधार कठिन है। ३१ दिसम्बर को अनुसूचित सेवाओं के परमिट दोबारा जारी किये जायेंगे अतः उस समय माननीय मंत्री को इस बात पर ध्यान देना चाहिये।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** (नवद्वीप) : मैं इस विधेयक का स्वागत करती हूं। जो लोग जहाजों में खतरनाक सामान लदवाते हैं उन्हें कड़ा दंड मिलना चाहिये। विमान में खतरनाक चीजों के कारण विस्फोट हो जाने से सारा विमान ही नष्ट हो जाता है। अतः जिस व्यक्ति ने उसमें खतरनाक सामान रखा हो या रखवाया हो उसके हस्ताक्षरों को ही पर्याप्त प्रमाण मान कर उसे दंड दिया जाये।

माननीय सदस्य ने अभी कहा कि अनुसूचित सेवाओं की आज्ञा नहीं होनी चाहिये। परन्तु जहां इनसे कोई लाभ हो, वहां अवश्य इन्हें चलने दिया जाये। जब ये लोग कानून का विरोध करें तो अलग बात है।

सरकार को अन्दमान तथा काचार क्षेत्र तक भी विमान सेवा चालू करनी चाहिये। इस प्रयोजन के लिये काचार के हवाई अड्डों को सुधारना अत्यावश्यक है। हमें अब "भारतीय" शब्द भी सभी नियमों से निकाल देना चाहिये। इसके अतिरिक्त सरकार को एक व्यापक विमान संहिता बनानी चाहिये। नियमों में भी हमें उपयुक्त सुधार करना चाहिये और इस संबंध में हमें उड्डयन क्लबों की राय भी ले लेनी चाहिये।

भारत में प्रत्येक ऋतु में पर्यटक आते हैं। इस कारण हमें देखना चाहिये कि हमें इनसे कितना लाभ पहुंचा है।

[श्री मूल चन्द दुबे पीठासीन हुये]

†**डा० प० सुब्बारायन** : पर्यटकों की बात का इस कानून से संबंध नहीं है।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : नियमों के अनुसार प्रशिक्षण भी कड़ा कर दिया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर से भी अधिक स्तर रखकर हम अपने युवकों को बीस पचीस हजार के भार तले दबायेंगे। हमारे युवा चालक बड़े सिद्धहस्त हैं। अतः इसमें यदि गुंजायश हो तो कुछ परिवर्तन किया जाय अन्यथा नहीं। सरकार को यह व्यवस्था अवश्य करनी चाहिये कि यदि कोई खतरनाक सामान रखे तो उसका ज्ञान हो जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

अन्त में मैं केवल इतना सुझाव दूंगी कि हमारे यहां के उड्डयन क्लबों को प्रमाण पत्र देने के अधिकार होने चाहियें ताकि हमारे युवकों को विमानों में रूचि लेने के लिये उत्साह प्राप्त हो।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : मैं इस विधेयक का सामान्य रूप से स्वागत करती हूं। परन्तु हमें दुःख से कहना पड़ता है कि पहले नियमों की अवहेलना होती रही है। इस अधिनियम का उद्देश्य निषिद्ध वस्तुओं को विमानों द्वारा भेजने वाले लोगों को दंड देना है किन्तु खण्ड १० (१) तथा १० (२) परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं। पहले न्यायाधीश ऐसे अपराधी को १,००० रुपये तक जुर्माना कर सकते थे किन्तु अब जुर्माने की रकम अनिश्चित रखी गयी है। इस कारण जहां कैद की अवधि बढ़ायी गयी है वहां जुर्माने की स्पष्ट व्यवस्था न कर के दंड का प्रभाव कम कर दिया गया है।

पिछले कुछ समय से अनुसूचित उड्डयन में काफी शोचनीय बातें हुई हैं। १० जुलाई के स्टेट्समैन में एक खबर छपी थी कि तेहरान में एक दुर्घटना हुई। इसी प्रकार अफगानिस्तान में भी एक दूसरी दुर्घटना हुई। पता चला है कि उस विमान में अफीम तथा गांजा इत्यादि था। उसी प्रकार नेफा क्षेत्र में भी इसी प्रकार की गड़बड़ होती रही थी। हमें यहां तक पता चला है कि फिजो भी अनुसूचित विमान द्वारा ही भारत से भागा था। हो सकता है कि यह कोरी कल्पना हो पर ऐसी अनियमितताएं ये लोग करते रहे हैं। न जाने धारा १०(१) द्वारा इन बातों के लिए भी व्यवस्था होगी या नहीं।

इस के अतिरिक्त जहां तक प्रमाण पत्र जारी करने का प्रश्न है मैं यही चाहती हूं कि उड्डयन मुख्यालय ही प्रमाण पत्र देने की क्षमता रखे क्योंकि उड्डयन क्लबों पर इस जिम्मेदारी के लिए अभी भरोसा नहीं किया जा सकता। पंजीयन पत्रों के जारी करने से नियमों के उल्लंघन की गुंजायश और भी कम हो जाती है। सरकार को वास्तव में ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिस से अनुसूचित सेवा चालू करने वाले लोग नियमों का पूरी तरह से पालन करें और किराये भाड़े की दरों को उचित स्तर पर निर्धारित करें। प्रयत्न यह होना चाहिए कि हवाई सेवा सस्ती हो। आसाम आदि जाने के लिए हवाई सेवा अत्यावश्यक है अतः यदि जहाजों का किराया कम हो तो जनता को अधिक लाभ पहुंचे। किन्तु सस्ते किरायों के साथ ही यात्रियों की सुरक्षा का पूरा पूरा ध्यान होना चाहिए।

मैं समझती हूं कि अमरीका में अप्रमाणित विभागों को वे अस्थायी अधिकार के प्रमाण पत्र देते हैं और उन्हें दीर्घ काल के लिए चलने नहीं देते। वहां भी सुरक्षात्मक उपायों की कठोर जांच होती है। इसी तरह हमें भी यात्रियों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अच्छा होता यदि यह विधेयक और व्यापक होता।

†**श्री आचार** (मंगलौर) : इस विधेयक का स्वागत करते हुए मैं सरकार का ध्यान एक बात की ओर दिलाना चाहता हूं। इस में यह व्यवस्था है कि खतरनाक माल के मालिक को अपना निर्दोषी होना सिद्ध करना पड़ेगा। यह बात दंड न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। न्याय के सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति निर्दोष समझा जाना चाहिए। पर जब दोष सिद्ध हो जाय तभी उसे दंड मिलना चाहिए परन्तु इस विधेयक से माल के स्वामी को पहले ही दोषी समझा जायेगा और अपने को निर्दोष सिद्ध करने का अवसर

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री आचार]

दिया जायेगा। इस बात के लिए सरकार को विधेयक में उपयुक्त रूपभेद करना चाहिए।

†**श्री सिंहासन सिंह** (गोरखपुर): इस विधेयक का स्वागत करते हुए मैं यह कहूंगा कि सरकार को इस दिशा में एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करना चाहिए था। यद्यपि सरकार ने खतरनाक माल लदवाने वालों के लिए दो वर्ष तक के दंड की व्यवस्था कर दी है तथापि यह जानने का कोई साधन नहीं है कि विस्फोटक माल किसने लदवाया। इस कारण इस चीज की व्यवस्था होनी चाहिए अन्यथा अपराधी का पता नहीं चल सकेगा।

१९३४ में जब पहली बार यह अधिनियम बनाया गया था, उस समय हमारे यहां थोड़े से विमान थे। किन्तु अब हमारा देश इस दिशा में काफी आगे बढ़ा है। यद्यपि हम तटस्थ हैं तथापि हमारा विमान बल इतना सुदृढ़ होना चाहिए कि आवश्यकता पड़ने पर हम अपनी सारी शक्ति लगाकर देश की रक्षा कर सकें। इस प्रयोजन से सरकार को उड्डयन क्लबों की सहायता करनी चाहिए। विश्वविद्यालयों में ऐसे क्लबों की स्थापना होना आवश्यक है।

हवाई यातायात की सुविधाओं को और व्यापक बनाया जाय। गोरखपुर तक पहले विमान जाते थे। किन्तु अब यह सेवा बन्द है। इसे फिर से चालू कर देना चाहिए।

हमें देश के युवकों को विमान चालन की शिक्षा देनी चाहिए। इस समय केवल धनी लोगों के लड़के ही चालन की शिक्षा ले पाते हैं परन्तु योग्य निर्धन युवकों को भी ऐसी सुविधाएं दी जानी चाहिएं। मैं समझता हूं कि धारा १० की उपधारा (२) में संशोधन से कोई अन्तर नहीं पड़ा है। यदि विमानों का किराया सस्ता हो जाय तो हवाई यातायात जनप्रिय हो सकता है। मैं आशा करता हूं कि सरकार शीघ्र ही एक व्यापक विधेयक लायेगी।

†**डा० प० सुब्बारायन** : जिन सदस्यों ने इस विधेयक का समर्थन किया है उन्हें मैं धन्यवाद देता हूं परन्तु लगभग सभी ने विभाग के कार्य की आलोचना की है। हम सभा को आश्वासन देते हैं कि सरकार की नीति राष्ट्रीयकरण की है और हम इस नीति को बदलेंगे नहीं। हमारी कठिनाई यह है कि हमारे पास पर्याप्त विमान नहीं हैं। अब हमने वाइकांउट विमानों की व्यवस्था की है। फॉकर फ्रेंडशिप के आगमन के बाद भी वैसी ही स्थिति होगी।

कुछ सदस्यों ने किरायों की अधिकता की बात की। परन्तु हम देखते हैं कि कलकत्ता और बम्बई के लिए सप्ताहों पूर्व ही सारे स्थान बुक हो जाते हैं। लोग फिर भी सीट के लिए प्रार्थना पत्र भेजते रहते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ती के लिए हम चार नये वाइकाउंट विमान प्राप्त करने का यत्न कर रहे हैं। संभव हुआ तो हम अधिक अच्छी सेवा चालू करेंगे। किन्तु अभी हम किरायों को नहीं घटा सकते क्योंकि पिछले वर्ष हमें १५५ लाख का घाटा रहा था; इस वर्ष ८ लाख रुपये का लाभ होने जा रहा है।

जहां तक किराये बढ़ाने का प्रश्न है; हम हर कार्य लेखे की जांच करने के बाद ही करते हैं। यदि हम यह देखेंगे कि घाटा होने की आशंका है तो किराया

†मूल अंग्रेजी में

बढ़ाने के अलावा दूसरा उपाय न होगा। किसी भी राष्ट्रीय संस्थापन को घाटे में नहीं चलाया जा सकता। किराये सस्ते करने के लिये हमें लाभ हानि की ओर समुचित ध्यान देना पड़ेगा। हर चीज़ एक साथ नहीं हो सकती।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : जनता हवाई सेवाओं की बात तो ऐसी नहीं है। श्रमिकों को कारखानों में तो जाना ही पड़ेगा।

†**डा० प० सुब्बारायन** : यह बात ठीक है किन्तु हमें ऐसी सेवा चालू करने से होने वाली हानि की ओर भी ध्यान देना होगा। निस्संदेह ऐसे क्षेत्र में जहां विमानों के अलावा यातायात असंभव हो, जनता के लिए सुविधा देना हमारा कर्तव्य है परन्तु हम यह देखेंगे कि हम कहां तक उस बात को पूरा कर सकते हैं। हमें लागत और खर्चे का ध्यान लगाना पड़ेगा। यह ठीक है कि ऐसे स्थानों पर थोड़ा घाटा भी सहन किया जा सकता है किन्तु हानि का अन्दाज हमें लगाना ही होगा। यदि हानि अधिक न हुई तो हम ऐसी सेवा चालू करने की बात सोचेंगे।

माननीया सदस्या ने अनुज्ञप्ति प्राप्त करने वाले व्यक्ति पर पड़ने वाले खर्चे के भार का उल्लेख किया। मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे देश में तुलनात्मक दृष्टि से विमानों की दुर्घटनायें कम होती हैं। इसका कारण यही है कि हम चालकों की अच्छी तरह से परीक्षा करते हैं और ध्यान रखते हैं कि चालक ऐसे हों जिन के हाथों में यात्रियों का जीवन सुरक्षित रहे। मैं समझता हूं कि इस दिशा में माननीय सदस्य ढिलाई न चाहेंगे।

मैं इस सुझाव को स्वीकार नहीं कर सकता कि उडड्यन क्लबों को अनुज्ञप्तियों की सुविधायें दी जायें। हम ने अधिकांश नियमों को पहले उड्डयन क्लबों के पास भेजा था परन्तु उन में से बहुत ही कम ने उन पर अपने टिप्पण लिखे थे। इसलिए उन से परामर्श लेने की बात भी नहीं रह जाती।

श्री सिंहासन सिंह ने शिकायत की कि कई हवाई अड्डे खाली पड़े हुए हैं। यह ठीक है। पर क्या संसद् अधिक विमानों के क्रय के लिए मंजूरी देगी।

हमारे पास इस समय विदेशी मुद्रा का घोर अभाव है। देश की और बहुत सी आवश्यकताएं हैं जिन पर विदेशी मुद्रा पहले खर्च करने की जरूरत है। इस कारण से भी हमारे सामने कठिनाइयां हैं।

अंडमान का उल्लेख भी हुआ। हम इसके बारे में भी शीघ्र ही कुछ न कुछ अवश्य करेंगे परन्तु इस समय इस सम्बन्ध में मैं सभा को पक्का विश्वास नहीं दिला सकता।

श्री सिंहासन सिंह ने गोरखपुर की बात कही। यों तो हर जिले के बारे में मांग होने लगेगी। हम जिले में हवाई सेवा चालु नहीं कर सकते। मेरे साथी डा० रेड्डी ने मेरे ही जिले का उल्लेख किया था किन्तु मैंने साफ इन्कार कर दिया। इस से आप अन्य चीजों का अनुमान लगा सकते हैं। परन्तु गोरखपुर में इन्कारी का केवल यही कारण नहीं है। हमें सामूहिक रूप से विचार करना पड़ता है पहले गोरखपुर तक विमान सेवा थी परन्तु वह घाटे में चल रही थी इसलिये उसे बन्द करना पड़ा।

†**श्री सिंहासन सिंह** : वहां सारी इमारतें अब खाली पड़ी हुई हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० प० सुब्बारायन** : सैकड़ों हवाई अड्डे खाली हैं। ऐसी स्थिति में ऐसा होना स्वाभाविक ही है। माननीय सिंहासन सिंह जी ने अभी कहा कि उन इमारतों को उर्वरकों के कारखाने के लिए प्रयुक्त किया जाय। किन्तु मेरा इस से सम्बन्ध नहीं है। मैं माननीय सदस्यों को सामान्य रूप से और श्री साधन गुप्त को विशेष रूप से यह कहना चाहता हूं कि यदि सेवाओं में कोई त्रुटि हो तो उसकी जिम्मेदारी मुझ पर डालें, विभाग पर नहीं। इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है कि

"भारतीय विमान अधिनियम, १९३४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**सभापति महोदय** : कोई और संशोधन नहीं है। मैं अब सभी खंडों को एक साथ मतदान के लिये रखूंगा। प्रश्न यह है कि :

"खण्ड २ से ६ विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २ से ६ विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड १, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**डा० प० सुब्बारायन** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक को पारित किया जाय।"

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक को पारित किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पूर्वाधिकार अंश (लाभांश का विनियमन) विधेयक

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : मैं श्री मोरारजी देसाई की ओर से प्रस्ताव करता हूं :

"कि कतिपय समवायों के पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश को विनियमित करने वाले विधेयक को श्री नौशीर भरुचा, श्री मूल चन्द दुबे, श्री अरविन्द घोषाल, श्री विमल घोष, श्री मू० चं० जैन, श्री प्रभातकार, श्री मी० रु० मसानी, डा० मेलकोटे, श्री मुरारका, श्री नथवानी श्री रामकृष्णन्, श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह, श्री सोमानी, श्री राम सिंह भाई वर्मा और श्री मोरारजी देसाई की प्रवर समिति को ५ दिसम्बर, १९६० तक प्रतिवेदन देने की हिदायत के साथ सौंपा जाये।"

---

† मूल अंग्रेजी में

मैं पहले विधेयक में सन्निहित प्रयोजन तथा उसके मुख्य उपबन्धों के विस्तार की संक्षिप्त व्याख्या करूंगा। माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि समवायों के लाभों तथा उसके लाभांशों की करारोपण प्रणाली का १९५९ तथा १९६० के वित्त अधिनियमों द्वारा पुनरीक्षण किया गया था। पुनरीक्षित योजना के चालू होने के पूर्व लाभांशों के रूप में वितरित किए गए लाभों के अंश पर समवाय द्वारा भुगतान किया गया आयकर समवाय द्वारा अंशधारियों की ओर से भुगतान किया गया समझा जाता था। तदनुसार लाभांश पाने वाले अंशधारी इस बात के हकदार थे कि उनकी ओर से समवाय द्वारा भुगतान की गई समझी जाने वाली राशि उनके नाम में डाल दी जाय। पुनरीक्षित योजना के अन्तर्गत पूर्वोक्त विधिक परिकल्पना खत्म कर दी गई है इसलिए अब समवाय द्वारा अंशधारी की ओर से भुगतान किए गए कर को अंशधारी के नाम में जमा करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

इसके साथ ही भारतीय समवायों तथा अन्य ऐसे समवायों, जिन्होंने भारत में लाभांशों के भुगतान की घोषणा की विनिहित व्यवस्था कर दी है, के द्वारा देय कर कम कर दिया गया है। समवायों पर अतिरिक्त लाभांश कर तथा सम्पदा शुल्क भी समाप्त कर दिए गए हैं। यह आशा की गई थी कि समवायों के कर दायित्व में कमी और उसके परिणामस्वरूप लाभांश के रूप में वितरण की राशि में वृद्धि होने से समवाय अधिक लाभांश की घोषणा करेंगे। इस सम्बन्ध में सरकार का मन्तव्य वित्त मंत्री द्वारा लोक सभा में २० अप्रैल, १९६० को दिए गए भाषण में स्पष्ट कर दिया गया था। परन्तु पूर्वाधिकार अंशधारियों के मामले में यह आशा पूरी नहीं हुई है। समवायों ने यह प्रकट किया है कि यद्यपि सिद्धान्ततः वे यह मानते हैं कि पूर्वाधिकार अंशधारियों को अधिक लाभांश मिलना चाहिए परन्तु उनके लिए अधिक लाभांश की घोषणा करने में कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां हैं—ऐसी कठिनाइयां जो केवल उपयुक्त विधान द्वारा ही दूर की जा सकती हैं। इन सब बातों के कारण यह विधान आवश्यक हो गया है।

वास्तव में विधेयक में यह चाहा गया है कि पूर्वाधिकार अंशों के मामले में जो आयकर से मुक्त हैं, अर्थात् जिन पर निर्धारित लाभांश समवाय द्वारा देय आयकर के कारण बिना किसी कटौती के भुगतान किया जा रहा था, निर्धारित लाभांश २५ प्रतिशत बढ़ा दिया जाना चाहिए। इस प्रकार यदि किसी पूर्वाधिकार अंश पर आयकर से मुक्त १० प्रतिशत लाभांश दिया जाना था तो अंशधारी को १२·५ प्रतिशत लाभांश भुगतान किया जाना चाहिए। यदि लाभांशों के करारोपण की पुरानी योजना कायम रखी गई होती तो एक दस प्रतिशत के कर मुक्त लाभांश से १२·५ लाभ होता यदि आयकर की समवाय-दर २० प्रतिशत होती जैसी कि आज है इसलिए न्यूनतम २५ प्रतिशत की वृद्धि पर्याप्त समझी गई है।

उन पूर्वाधिकार लाभांशों के मामले में जिन पर कर लगता है अर्थात् जिनपर निर्धारित लाभांश का भुगतान उस में से समवाय द्वारा देय आयकर के कारण कटौती करने के बाद किया जा रहा था, लाभांश को ७ प्रतिशत बढ़ा देने का विचार किया गया है। यह ७ प्रतिशत निम्न प्रकार निर्धारित किया गया है। एक १० प्रतिशत के कराधीन लाभांश के मामले में भूतकाल में समवाय द्वारा वास्तव में भुगतान की गई राशि केवल ६·८५ प्रतिशत थी अर्थात् १० में से ३.१५ प्रतिशत कम की गई। यदि इस शुद्ध लाभांश को २५ प्रतिशत बढ़ा दिया जाय जैसा कि कर मुक्त लाभांश के मामले में प्रस्ताव किया गया है, तो अब अंशधारी को ८.५६ प्रतिशत भुगतान किया जाना चाहिए। ऐसा तब हो सकता है जब कि कर योग्य लाभांश १०.७ प्रतिशत घोषित किया जाय जिसके २० प्रतिशत—समवायों के आयकर की वर्तमान दर—की दर से

[डा० बे० गोपाल रेड्डी]

कम किए जाने पर शुद्ध लाभांश ८.५६ प्रतिशत आएगा। १०.७ प्रतिशत का अंक १० प्रतिशत से •७ प्रतिशत अधिक है।

अभी तक मैंने विधेयक में सन्निहित मुख्य प्रस्ताव का निर्देश किया है। अब मैं विधेयक के कुछ सहायक उपबन्धों का संक्षेप में निर्देश करूंगा। यह विधेयक भारतीय समवायों अथवा ऐसे अन्य समवायों, जिन्होंने भारत में लाभांश घोषित करने की व्यवस्था कर ली है, द्वारा भुगतान किए जाने वाले पूर्वाधिकार लाभांशों पर लागू होता है क्योंकि करारोपण की नई योजना के अन्तर्गत केवल ऐसे समवायों के सम्बन्ध में ही कर की दर कम की गई है। इसके अतिरिक्त यह विधेयक केवल १ अप्रैल, १९६० के पूर्व जारी किए गए तथा प्रार्थित पूर्वाधिकार अंशों पर ही लागू होगा। इसका कारण स्पष्ट है। उस तारीख के पश्चात् सामव यों तथा अंश-धारियों को समवायों के करारोपण से सम्बन्धित नए उपबन्धों की जानकारी होनी चाहिए और समवाय नए उपबन्धों का विचार करके लाभांश की दर निश्चित कर सकेंगे। ३१-३-१९५९ के बाद और प्रस्तावित कानून के लागू होने की तारीख के पूर्व घोषित लाभांशों के मामले में, यदि घोषित किए गए लाभांशों में निर्धारित लाभांशों से न्यूनतम २५ प्रतिशत अथवा ७ प्रतिशत, जैसा मामला हो, की वृद्धि न हो तो सम्बन्धित समवायों को उस अन्तर की पूर्ति करने के लिए अतिरिक्त घोषणा करनी होगी। यदि लाभांशों का भुगतान लाभों में से किया जाता है जिसके केवल एक अंश पर ही कर लग सकता है, जैसा कि चाय समवाय के मामले में है, तो २५ प्रतिशत अथवा ७ प्रतिशत की वृद्धि लाभांश के उस अंश पर लागू होगी जो समवाय के कर योग्य लाभों से प्राप्त हुआ हो।

मैंने केवल विधेयक के मुख्य उपबन्धों की स्थूल रूपरेखा का निर्देश किया है। अन्य छोटे छोटे उपबन्धों का प्रयोजन स्वयं विधेयक से ही स्पष्ट हो जाएगा इसलिए मैं उनका निदश करके सभा का समय खराब नहीं करना चाहता।

विधेयक के सभा में पुरः स्थापन क पश्चात् जनता के विभिन्न वर्गों की ओर से अनेक अभ्यावदन प्राप्त हुए हैं जिन में विधेयक के उपबन्धों में संशोधन के सुझाव दिए गए हैं। ये सुझाव केवल प्रारूपण सम्बन्धी छोटी मोटी बातों तक ही सीमित नहीं है वरन् उन में महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी निर्देश है जैसे लाभांशों को विधेयक में निर्दिष्ट दरों से अधिक बढ़ाने के लिए समवायों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। चूंकि यह विधेयक समवायों तथा पूर्वाधिकार अंशों में विनियोजन करने वालों के लिए बड़े महत्व का है इसलिए यह वांछनीय है कि उसके उपबन्धों पर प्रवर समिति विस्तारपूर्वक विचार करके प्रतिवेतदन दे।

†**सभापति महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

सभा का कार्य

†**संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : कल का सारा दिन पूर्वाधिकार अंश (लाभांश का विनियमन) विधेयक तथा भारतीय संग्राहलय (संशोधन) विधेयक में खत्म हो जाएगा क्योंकि उनके लिए क्रमशः ३ घण्टे और २ १/२ घण्टे का समय निर्धारित किया गया है। इसलिये समवाय (संशोधन) विधेयक के लिए परसों का दिन रखा गया है। परन्तु यदि कल

†मूल अंग्रेजी में

कुछ समय बच रहा तो समवाय (संशोधन) विधेयक के प्रभारी मंत्री अपना प्रारम्भिक भाषण कल ही प्रारम्भ कर देंगे। मैं समझता हूं कि सभा इस कार्यक्रम को स्वीकार करेगी।

†**श्री ब्रज राज सिंह** : माननीय मंत्री ने यह नहीं बताया कि इस सप्ताह के अन्य दिनों का कार्यक्रम क्या होगा। क्या माननीय मंत्री उसके बताने की कृपा करेंगे ?

†**श्री सत्य नारायण सिंह** : हम सप्ताह के कार्यक्रम की घोषणा हर शुक्रवार को करते आए हैं। प्रत्येक सत्र में ऐसा ही होता आया है। इसलिए मैं इस परम्परा को तोड़ना नहीं चाहता हूं।

†**श्री नौशीर भरूचा** : शुक्रवार में कोई विशेषता नहीं है इसलिए वह घोषणा कल भी की जा सकती है।

†**श्री सत्य नारायण सिंह** : हमें प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए। हर देश में ऐसा ही होता है कि अगले सप्ताह के कार्यक्रम की घोषणा एक निश्चित तारीख को की जाती है।

†**सभापति महोदय** : अभी कुछ मिनट शेष रहते हैं। क्या सभा कार्य जारी रखना चाहती है अथवा बैठक स्थगित कर दी जाये ?

†**कुछ माननीय सदस्य** : अब बैठक स्थगित होनी चाहिए।

†**सभापति महोदय** : बहुत अच्छा।

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, १५ नवम्बर, १९६०/२४ कार्तिक, १८८२ (शक) **के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।**

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[सोमवार, १४ नवम्बर १९६०
२३ कार्तिक, १८८२ (शक)]

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	१—२३
तारांकित प्रश्न संख्या	
१. चीनियों द्वारा भारतीय सीमा का अतिक्रमण	१—३
२. भारत चीन वार्ता	४—७
३. रानी एलिजाबेथ की भारत यात्रा . .	७-८
४. मकान और भवन निर्माण विशेषज्ञों का दौरा . . .	८-९
५. पुनर्वास मंत्रालय का विघटन	९—११
६. कपड़े की कीमतें . . .	१२—१६
७. दादरा और नगर हवेली का एकीकरण . . .	१६—१८
८. भारी विधुत उपकरण परियोजना	१८—२२
९. खानों में सुरक्षा के लिये शिक्षा . .	२२-२३
प्रश्नों के लिखित उत्तर	२३—६१
तारांकित प्रश्न संख्या	
१०. पाम्बा-काकी परियोजना	२३-२४
११. बेरोजगार व्यक्तियों की सहायता के लिये निधि .	२४
१२. मैंगनीज डायआक्साइड का आयात . .	२४
१३ विस्थापित व्यक्तियों का दण्डकारण्य ले जाया जाना	२५
१४ पाकिस्तानियों द्वारा अतिक्रमण . . .	२५
१५ द्वितीय पंचवर्षीय योजना	२५-२६
१६ तिब्बत में भारतीय व्यापारी . .	२६
१७ रायपुर में आकाशवाणी का ट्रान्समीटर . .	२६
१८ संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में संशोधन	२६

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

१६	सिन्द्री उर्वरक कारखाना	२७–२८
२०	लौह अस्यक का निर्यात	२८
२१	खाली सरकारी फ्लेट .	२८–२६
२२	श्री लंका को कपड़े का निर्यात	२६
२३	मोटर टायर तथा ट्यूब .	२६–३०
२४	अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड .	३०
२५	पुर्तगाल में गौआनी राजनैतिक बन्दी	३०–३१
२६	प्रधान मंत्री की पाकिस्तान यात्रा .	३१–३२
२७	राजघाट पर महात्मा गांधी का स्मारक	३२
२८	कांगो में भारतीय सैनिक	३२–३३
२६	चीनियों को भारत छोड़ने का आदेश .	३३
३०	फिल्मों की लम्बाई . . .	३३–३४
३१	राष्ट्रीय आय सम्बन्धी आंकड़े	३४
३२	भारतीय श्रम सम्मेलन . .	३४–३५
३३	पुनर्वास मंत्रालय के छंटनी किए गए कर्मचारी .	३५
३४	चिलका नहर . . .	३५
३५	कांगों के भारतीय .	३५–३६
३६	कारों का आयात	३६–३७
३७	छोटे पैमाने के उद्योग . . .	३७
३८	संयुक्त प्रबंध परिषदें .	३८
३६	तिब्बती शरणार्थी .	३८
४०	सीमेंट मशीनरी . . .	३८–३६
४१	भारत में अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह	३६
४२	औषधों के भाव	३६

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का कार्यभारित संस्थापन	४०
२	केन्द्रीय लोक निर्माण—विभाग के कार्यभारित कर्मचारी .	४०
३	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग .	४०–४१

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

४	तिब्बती शरणार्थी	४१
५	सीमेंट का उत्पादन . .	४१–४२
६	तिब्बती शरणार्थी शिक्षण संस्था, मसूरी	४२
७	कुटीर उद्योगों का सर्वेक्षण .	४२–४३
८	प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया	४३
९	रेडियमधर्मिता . .	४३–४४
१०	पंजाब में प्रचार अधिकारी संयोजक .	४४
११	युद्ध विराम रेखा का उल्लंघन	४४–४५
१२	चाय	४५
१३	उत्तर प्रदेश में गंदी बस्तियों की सफाई	४५
१४	उत्तर प्रदेश में व्यय के लिये आवंटित राशि	४५–४६
१५	उत्तर प्रदेश में हथकरघा उद्योग	४६
१६	उत्तर प्रदेश में खादी का उत्पादन .	४६
१७	ज्योफोन	४६
१८	महाराष्ट्र में अम्बर चर्खा .	४७
१९	सिक्किम में रेडियो स्टेशन .	४७
२०	औषधि का कारखाना	४७–४८
२१	तिब्बती शरणार्थी . .	४८–४९
२२	मजूरी बोर्ड . .	५०
२३	बोनस आयोग	५०
२४	पंजाब में निष्क्रान्त व्यक्तियों की खेती की भूमि .	५०
२५	सरकारी क्वार्टरों का पुनर्वर्गीकरण . .	५०–५१
२६	सावंत राम रामप्रशाद मिल्स कम्पनी लिमिटेड, अकोला	५१
२७	केरल में कारखाने का पुनः खोला जाना . .	५१
२८	कर्मचारी राज्य बीमा योजना .	५२
२९	तिब्बत में भारतीय .	५२
३०	भारत में साबुन के विदेशी समवाय	५२–५३
३१	सिलाई की मशीनें . .	५३
३२	हिन्दुस्तान एन्टीबायटिक्स लिमिटेड, पिंपरी . .	५३–५४

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

३३	राज्य व्यापार निगम	५४
३४	मैसूर में शराब निर्माण	५४
३५	बिजली के "टिलर्स" का निर्माण	५४–५५
३६	नमक आयोग	५५
३७	महाराष्ट्र में गन्दी बस्तियों की सफाई	५५–५६
३८	आकाशवाणी के कर्मचारी	५६
३९	जम्मू के निकट बमविस्फोट	५६
४०	बोरिया काटन मिल्स (हावड़ा) का बन्द होना	५६–५७
४१	शोलापुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग कम्पनी लिमिटेड	५७
४२	अफगानिस्तान को फिल्मों का निर्यात	५७
४३	बांस आद्यरूप प्रशिक्षण व उत्पादन केन्द्र, पनिहारी	५७
४४	"कौयरोलाइट"	५८
४५	निर्यात गृह	५८
४६	गोआ से तस्कर-व्यापार	५८
४७	प्लाई वुड की वस्तुयें	५९
४८	"सालिसिल एनिलाइड"	५९
४९	रबड़ का उत्पादन	६०
५०	शिक्षित व्यक्तियों को नौकरी	६०
५१	तिब्बती शरणार्थी	६०–६१
५२	आस्ट्रेलिया में भारतीय चाय	६१
५३	कार्मिक संघों की सदस्यता की जांच	६१

निधन संबंधी उल्लेख ६२

अध्यक्ष महोदय ने श्री कनकपती वरिन्ना पादलू जो वर्तमान लोक सभा के एक सदस्य थे, डा० प्रमथनाथ बनर्जी जो भूतपूर्व केन्द्रीय विधान सभा के सदस्य थे, और श्री हेम चन्द्र नास्कर जो भारत की संविधान सभा के सदस्य थे, के निधन का उल्लेख किया ।

उसके पश्चात सदस्य कुछ समय के लिये सम्मान प्रकट करते हुये मौन खड़े रहे ।

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ६५—६८

(१) श्वेत पत्र संख्या ४ की एक प्रति जिसमें वे टिप्पण, ज्ञापन और पत्र दिये हुए हैं जिनका भारत और चीन की सरकारों के बीच मार्च १९६० और नवम्बर १९६० के मध्य आदान प्रदान हुआ।

(२) अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण तथा अर्जन अधिनियम, १९५२ की धारा १७ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत दिनांक १५ अक्तूबर, १९६० की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २५०५ की एक प्रति।

(३) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० की धारा २८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ११ नवम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २७५० में प्रकाशित निर्वाचकों का पंजीयन नियम, १९६० की एक प्रति।

(४) प्रैस तथा पुस्तकों का पंजीयन अधिनियम, १८६७ की धारा २०-क की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक १० सितम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०५९ में प्रकाशित समाचारपत्रों का पंजीयन (केन्द्रीय) संशोधन नियम, १९६०।

(दो) दिनांक १५ अक्तूबर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२२२ में प्रकाशित समाचारपत्रों का पंजीयन (केन्द्रीय) संशोधन नियम, १९६०।

(५) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत दिनांक २१ सितम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २३४७ में प्रकाशित ऊनी धागा (उत्पादन तथा वितरण नियंत्रण) आदेश, १९६० की एक प्रति।

(६) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ की धारा १५ के अन्तर्गत निकाली गई दिनांक २ सितम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २१८१ की एक प्रति।

(७) वाणिज्यिक नौवहन अधिनियम, १९५८ की धारा ४५८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों की एक-एक प्रति:—

(एक) दिनांक २४ सितम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११११ में प्रकाशित राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड (संशोधन) नियम, १९६० . . . .

(दो) दिनांक २२ अक्तूबर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२४२ में प्रकाशित राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड (दूसरा संशोधन) नियम, १९६०।

सभा पटल पर रखे गये पत्र—(क्रमशः) विषय पृष्ठ

(८) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष १९५९-६० के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(९) उपरोक्त समवाय के वर्ष १९५९–६० के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(१०) खादी मूल्यांकन समिति के प्रतिवेदन पर खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की टिप्पणियों की एक प्रति।

(११) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् के वर्ष १९५९–६० के कार्य के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति।

(१२) प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति:—

(क) आटोमोबाइल स्पार्किंग प्लग उद्योग का संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९६०)।

(ख) दिनांक १९ सितम्बर, १९६० का सरकारी संकल्प संख्या २१ (३)–टी० आर०/६०।

(ग) पिस्टन जोड़ना (पिस्टन, पिस्टन रिंग्स और गजन पिन्स) उद्योग का संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९६०)।

(घ) दिनांक ७ अक्तूबर, १९६० का सरकारी संकल्प संख्या ५३ (१)–टी० आर०/६०।

(ङ) दिनांक ७ अक्तूबर, १९६० की अधिसूचना संख्या ५३(१)–टी० आर/६०।

(च) ऊपर (ग), (घ) और (ङ) में उल्लिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति उक्त उप-धारा में नियत अवधि के अन्दर टेबल पर क्यों नहीं रखी जा सकी इसके कारण बताने वाला वक्तव्य।

(१३) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ की धारा ७ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत दिनांक २४ सितम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११२२ में प्रकाशित कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) योजना, १९६० की एक प्रति।

(१४) औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ की धारा ३८ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दिनांक १५ अक्तूबर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२२० में प्रकाशित औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) संशोधन नियम, १९६० की एक प्रति।

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र—(क्रमशः)

(१५) विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, १९५४ की धारा ४० की उप-धारा (३) के अन्तर्गत विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियम, १९५५ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ३० जुलाई, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८८१ की एक प्रति।

(१६) विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, १९५४ की धारा ४० की उप-धारा (३) के अन्तर्गत विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियम, १९५५ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १० सितम्बर, १९६० की अधिसूचना जी० एस० आर० १९५७ की एक प्रति।

(१७) बचाव केन्द्र समिति धनवाद के वर्ष १९५९–६० के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति।

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . ६८–६९

(एक) सचिव ने गत अधिवेशन में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये और ५ सितम्बर, १९६० को सभा को दिये गये अन्तिम प्रतिवेदन के बाद राष्ट्रपति द्वारा अनुमतिप्राप्त निम्नलिखित विधेयक सभा-पटल पर रखे:—

(१) करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक, १९६०।

(२) विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक, १९६०।

(३) विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १९६०।

(४) भेषज (संशोधन) विधेयक, १९६०।

(५) विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १९६०।

(६) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (मीट्रिक इकाइयों में बदलना) विधेयक, १९६०।

(७) दिल्ली प्राथमिक शिक्षा विधेयक, १९६०।

(८) उत्पादन शुल्क तथा उप-कर (मीट्रिक इकाइयों में बदलना) विधेयक, १९६०।

(दो) सचिव ने गत अधिवेशन में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये और ५ सितम्बर, १९६० को सभा को दिये गये अन्तिम प्रतिवेदन के बाद राष्ट्रपति द्वारा अनुमतिप्राप्त निम्नलिखित विधेयकों की राज्य सभा के सचिव द्वारा विधिवत् प्रमाणीकृत प्रतियां भी सभा पटल पर रखीं:—

(१) बैंकिंग कम्पनीज़ (संशोधन) विधेयक, १९६०।

(२) दिल्ली जोत (अधिकतम सीमा) विधेयक, १९६०।

विषय पृष्ठ

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति—(क्रमशः)

(३) त्रिपुरा नगर विधि (निरसन) विधेयक, १६६० ।

(४) अन्तर्राष्ट्रीय विकास ऐसोसियेशन (स्थिति, उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार) विधेयक, १६६० ।

(५) मनीपुर लगान और भूमि सुधार विधेयक, १६६० ।

(६) बागान श्रमिक (संशोधन) विधेयक, १६६० ।

(७) बैंकिंग कम्पनीज़ (दूसरा संशोधन) विधेयक, १६६० ।

(८) बाट तथा माप के प्रमाप (संशोधन) विधेयक, १६६० ।

(६) भारतीय मजदूर संघ (संशोधन) विधेयक, १६६० ।

(१०) त्रिपुरा लगान और भूमि सुधार विधेयक, १६६० ।

मंत्री द्वारा वक्तव्य . . . . . ६६—७१

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम) ने सिन्धु पानी के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा ।

विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय का बढ़ाया जाना . ७२

विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये नियत समय २३ दिसम्बर, १६६० तक के लिये बढ़ा दिया गया ।

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय का बढ़ाया जाना ७२

मोटर परिवहन कर्मचारी विधेयक संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये नियत समय ५ दिसम्बर, १६६० तक के लिये बढ़ा दिया गया ।

विधेयक पुरःस्थापित किया गया ७२

महेन्द्र प्रताप सिंह जायदाद (निरसन) विधेयक, १६६० ।

विधेयक पारित हुये ७३—१०२

(१) परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) ने प्रस्ताव किया कि मोटर गाड़ी (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंड वार विचार के बाद विधेयक पारित हुआ ।

(२) श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) ने प्रस्ताव किया कि कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंड वार विचार के बाद विधेयक पारित हुआ ।

विषय पृष्ठ

विधेयक पारित हुये—(क्रमशः)

(३) गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) ने प्रस्ताव किया कि बिलासपुर वाणिज्यिक निगम (निरसन) विधेयक पर विचार किया जाये। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड वार विचार के बाद विधेयक पारित हुआ।

(४) परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन्) ने प्रस्ताव किया कि भारतीय विमान (संशोधन) विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में विचार किया जाये। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड वार विचार के बाद विधेयक पारित हुआ।

विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव—विचाराधीन १०२—१०५

परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन्) ने प्रस्ताव किया कि पूर्वाधिकार अंश (लाभांश का विनियमन) विधेयक एक प्रवर समिति को सौंप दिया जाये। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

मंगलवार १५ नवम्बर, १९६०/२४ कार्तिक, १८८२ (शक) के लिये कार्यावलि—

पूर्वाधिकार अंश (लाभांश का विनियमन) विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा, भारतीय संग्रहालय (संशोधन) विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार तथा उसे पारित करना और समवाय (संशोधन) विधेयक पर संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार तथा उसे पारित करना।

GMGIPND—LS III—1278(Ai) LSD—29-1-160—115